शुक्रवार,
२७ नवंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार, २७ नवम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निजी थैलियां

*३५१. **सरदार हुकम सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भारत सरकार ने निजी थैलियों के प्रश्न पर पुनर्विलोकन करने तथा उन्हें कम करने की सम्भावनाओं की जांच करने के लिये कई राजाओं से लिखा-पढ़ी की है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या राजाओं से कोई उत्तर मिला है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु): (क) इस विषय पर सरकारी तौर पर कुछ नहीं लिखा गया है । परन्तु प्रधान मंत्री ने कुछ राजाओं को निजी पत्र लिखा था ।

(ख) प्रधान मंत्री को कुछ उत्तर मिले हैं । उनमें से अधिकांश कार्यनिर्वाहक उत्तरों के रूप में हैं जिनमें यह कहा गया है कि इस विषय पर पूरी तरह से विचार किया जा रहा है । इन उत्तरों के बारे में इस अवस्था पर कुछ और अधिक बतांना वांछनीय नहीं होगा ।

सरदार हुकम सिंह : क्या किन्हीं राजाओं ने इस प्रस्थापना को मानने से इन्कार भी किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि **प्रधान** मंत्री ने जो कुछ कहा है उसको ध्यान में रखते हुये ... ...

सरदार हुकम सिंह: मैं नाम वगैरा नहीं पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी हो, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा इस समय और कुछ बताना उचित नहीं होगा ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं.....

सरदार हुकम सिंह : उत्तर से यह पता चलता है कि उक्त पत्र केवल कुछ राजाओं को ही भेजे गये थे । यह किस आधार पर तय किया गया कि यह पत्र अमुक अमुक व्यक्ति को भेजे जायें ? क्या पत्र उन लोगों को भेजे गये जिन्हें सब से अधिक भत्ते मिल रहे हैं या किसी अन्य बात का ख्याल रखा गया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह केवल उन राजाओं को ही भेजा गया था जिन्हें निजी थैली के रूप में एक लाख या इससे अधिक रुपये मिल रहे हैं ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या ख्याल यह है कि निजी थैली में यह कभी स्वेच्छा से की जायेगी या.....

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि इन सब प्रश्नों का पूछा जाना अभी समय से पहले होगा। इस विषय पर अत्यन्त गम्भीरता से कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी: क्या सरकार का इरादा इस निजी पत्र में उल्लिखित विषय पर सरकारी तौर पर आगे कार्यवाही करने का है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: इस बात पर भी बाद में सोचा जायेगा कि इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने का सब से अच्छा तरीक़ा क्या है ?

श्री टी० के० चौधरी उठे—

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

सस्ते रेडियो सैट

*३५२. **सरदार हुक्म सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या किन्हीं भारतीय सार्थों ने सरकार से सस्ते रेडियो सैटों के निर्माण को प्रोत्साहित करने और ऐसे भारतीय सार्थों को, जो ऐसे सस्ते रेडियो सैट बनाने की स्थिति में हैं, सहायता देने के लिये अभ्यावेदन किया है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई फ़ैसला किया है और अपनी नीति बनाई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख) ऐसे कोई अभिवेदन नहीं मिले हैं। हां, हाल में एक सार्थ ने सरकार को यह सूचना दी थी कि वह सस्ते रेडियो सैट बनानें में समर्थ हो गई है, परन्तु उसने भी किसी विशेष सहायता की मांग नहीं की।

सरदार हुक्म सिंह: क्या अभिवेदन में यह प्रार्थना भी की गई थी कि सरकार को मीडियम वेव सैटों को, जो कि अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि लोग इन्हें ख़रीद सकें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं तो यही कह सकता हूं कि उसने कोई विशेष सहायता नहीं मांगी।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या इस सार्थ ने अपने द्वारा बनाया गया एक सस्ता रेडियो सैट भी नमूने के रूप में भेजा था ? क्या सरकार को यह विश्वास है कि उक्त सैट ठीक काम देता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं ने नहीं देखा है। शायद सैट 'डैवलपमेंट विंग' को भेजा गया है। वैसे, सरकार किसी सैट विशेष पर अपनी राय ज़ाहिर भी नहीं कर सकती है क्यों कि इसका अर्थ तो यह होगा कि सरकार किसी सार्थ विशेष को अन्य सार्थों के मुक़ाबले अनुचित अधिमान दे रही है।

पैंसिलें (उत्पादन)

*३५४. **श्री एस० एन० मिश्र**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सन् १९५२ में पैंसिलों के कुल उत्पादन में १९५१ में हुये उत्पादन के मुक़ाबले कमी आ गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण; तथा

(ग) अक्तूबर, १९५३ तक उत्पादन का रुख क्या रहा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) उत्पादन में कमी होने का एक कारण स्पष्टतया देशी उत्पाद की मांग में कमी होना है ।

(ग) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४३**]

श्री एस० एन० मिश्र: १९५१ में कितना आयात किया गया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: १९,११,५१० दर्जन ।

श्री एस० एन० मिश्र: क्या सरकार ने इस बात का सुनिश्चयन कर लिया है कि वर्तमान आयात नीति पैंसिलों के आयात को बढ़ावा देने वाली नहीं है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: आयात नीति में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है । शायद माननीय सदस्य को यह विदित नहीं है कि इस वर्ष मार्च से, शुल्क में एक दम बहुत वृद्धि हुई है--३१। प्रतिशत से बढ़ कर यह ६६ २/३ प्रतिशत हो गया है । इससे आयातक कोई लाभ नहीं उठा सकता । इसके अलावा हम यह भी ध्यान रखते हैं कि कोई आयातक १६ रुपये प्रति ग्रुस से सस्ती पैंसिलों का आयात न कर सके । इस चीज़ का अभिप्राय भी यह है कि यहां के निर्माताओं को सुरक्षण दिया जा सके और केवल मंहगी पैंसिलों का ही आयात हो सके । वैसे सरकार स्थिति पर बराबर निगाह रख रही है ।

श्री एस० एन० मिश्र: सरकार इस बात के लिये क्या क़दम उठाने का विचार कर रही है कि यह उद्योग पूरी क्षमता से उत्पादन कर सके ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जहां तक आयातों के विनियमन का प्रश्न है, नीति में सरकार द्वारा समय समय पर किये जाने वाले परिवर्तनों को पहले से नहीं बताया जा सकता क्योंकि उस दशा में सटोरिये उसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं । हां, जहां तक उन्हें अपेक्षित सामान मुहैया करने का प्रश्न है, इस समय उक्त उद्योग की हालत पहले से अच्छी है क्यों कि वे अपनी पैंसिलों में देश में तैयार 'स्लेट' का प्रयोग कर रहे हैं । सुधार की तीसरी अवस्था का--अर्थात् वे अपनी आवश्यकता की सब सामग्री देश में ही तैयार कर सकें--प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता क्योंकि अभी हम उस अवस्था पर पहुंचे ही नहीं हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कार्यालयों में देशी पैंसिलों का ही प्रयोग होता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह प्रश्न तो रसद विभाग से पूछा जाना चाहिये ।

श्री एस० एन० मिश्र: ऐसा प्रतीत होता है कि उत्पादन घट कर आधे से भी कम हो गया है । क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यवाही करना आवश्यक समझती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम जो कोई भी कार्यवाही करते हैं वह इस उद्योग के लिये तो विशेष कार्यवाही ही होती है । और फिर मैं यह भी कह चुका हूं कि इस विषय पर बराबर निगाह रखी जा रही है । वस्तुतः आज प्रातः ही मैं एक पैंसिल निर्माता से मिला था ।

गोआ

*३५५. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गोआ की मुख्य बन्दरगाह (मरमगोआ) का पुन-

निर्माण हो रहा है तथा इसे सैनिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा रहा है ; तथा

(ख) क्या यह भी सत्य है कि बन्दरगाह क्षेत्र में तथा बाम्बोलिम पठार पर हाल ही में सैनिक हवाई अड्डे बनाये गये हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खांन) : (क) तथा (ख). मरमगोआ बन्दरगाह का कुछ सामान्य विकास हुआ है । कच्ची धातुओं के बढ़े हुये परिवहन का निवारण करने के लिये छटा घाट बनाया गया है । सरकार की इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं कि सैनिक हवाई अड्डे बनाये गये हैं अथवा कोई किलाबन्दी हुई है ।

डा० राम सुभग सिंह: श्रीमन्, क्या यह काम वहां पुर्तगाल के धन से किया जा रहा है अथवा क्या पुर्तगाल को इस काम में कोई विदेशी राष्ट्र सहायता दे रहा है जिस से कि वहां सैनिक अड्डे स्थापित किये जा सकें ?

श्री सादत अली खान : हमें इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं ।

डा० राम सुभग सिंह: श्रीमान्, क्या इस बन्दरगाह के विकास के सम्बन्ध में भारत सरकार को भी सूचना दी गई है तथा क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुर्तगाली अधिकारी समय समय पर यह घोषणा करते रहे हैं कि उत्तर अतलांकित संधि उनकी विदेशी बस्तियों पर भी लागू होती है ? क्या भारत सरकार इस बात को स्वीकार करती है ?

श्री सादत अली खान: जहां तक हमें मालूम है उत्तर अतलांतिक संधि गवा पर लागू नहीं होती है । जहां तक किलाबन्दी का सम्बन्ध है, हमें सूचना मिली है कि कोई किलेबन्दी नहीं हो रही है तथा अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । गवा में हमारा एक कौंसल-जनरल है तथा मरमगोआ में एक उप-कौंसल है । उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार कोई किलाबन्दी नहीं हो रही है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : गोआ नैशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष ने जो यह बताया है कि गोआ को अमरीकी सहायता से एक जंगी-अड्डे में बदला जा रहा है, उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या राय है ?

श्री सादत अली खान : हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या गोआ की लोक पार्टी ने बम्बई में एक वक्तव्य देते हुये कहा है कि अमेरिका को गोआ में अड्डे बनाने की अनुमति दी जा रही है तथा बीसियों अमेरिकन गोआ में आते जाते रहते हैं और वहां बहुत से अड्डे जापानी समवायों द्वारा बनाये जा रहे हैं ?

श्री सादत अली खां : श्रीमन्, हमें केवल यह सूचना है कि कुछ वर्ष पहले पुर्तगाल के पास अपने समुद्रपार उपनिवेशों के विकास की योजना थी । हमें यह मालम नहीं कि क्या अमरीका अथवा कोई अन्य देश वहां अपने अड्डे बनाने जा रहे है ।

मैसूर आइरन एंड स्टील वर्कस भद्रावती

*३५६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती ने अपनी इस्पात विस्तार परियोजना भारत सरकार को भेज दी है ;

(ख) यदि भेज दी है, तो क्या इस परियोजना के अन्तर्गत नये संयंत्र स्थापित किये जायेंगे ; तथा

(ग) यदि किये जायेंगे तो इन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) इस समवाय ने जो परियोजना भेज दी है उस पर ६७० लाख रुपये का खर्चा आ जायेगा । इस समय तक इसे ११२.४८ लाख रुपया ऋण के रूप में दिया जा चुका है ।

डा० राम सुभग सिंह : परियोजना के अनुसार इस संयंत्र का उत्पादन सामर्थ्य क्या होगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कई प्रकार के संयंत्र हैं । उदाहरणतयः कच्चे लोहे की तीन विद्युतचलित भट्टियां होंगी, प्रत्येक का सामर्थ्य ३५,००० टन होगा । वह कच्ची धातुयें निकालने के सम्बन्ध में कुछ सुधार चाहते हैं । सीमेंट बनाने के संयंत्र का विकास करना चाहते हैं, एक एस्टिक एसिड संयंत्र स्थापित करना चाहते हैं, एक वायु-रज्जु-पथ का निर्माण करना चाहते हैं, फाउंड्री में कुछ सुधार चाहते हैं तथा 'बेस्समर डूपले संयंत्र' स्थापित करना चाहते हैं ।

फ़ासीसी तथा पुर्तगाली बस्तियां

*३५९. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१ और १९५२ के वर्षों में तथा सितम्बर, १९५३ तक फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली बस्तियों में कितने परिवार उखड़ कर भारत आये हैं ?

(ख) क्या वह भारत में बस गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अलीखान) : (क) ठीक ठीक आंकड़े देना कठिन है क्यों कि इन बस्तियों से आने वाले शरणार्थी सामान्यतः भारत से अपना नाम दर्ज नहीं कराते हैं तथा इन बस्तियों में तथा समीपवर्ती भारतीय इलाक़े में लोग निरन्तर रूप से आते जाते रहते हैं ।

बताया गया है कि १९५२ के अन्त तक १५०० व्यक्तियों ने फ्रांसीसी बस्तियों से भारत में प्रव्रजन किया है । जुलाई १९५३ में लगभग ४० व्यक्ति पांडिचेरी में कुछ मज़दूर गड़बड़ के कारण यहां चले आये । पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जी हां ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या भारत सरकार ने इस उथल पुथल के कारणों की जांच की है, तथा यदि की है तो उसने इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री सादत अली खान : इसके कई कारण हैं । मज़दूर गड़बड़ तथा कुछ राजनीतिक गड़बड़ । यही कारण है कि लोग वहां से क्यों प्रव्रजन कर रहे हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : भारत सरकार भारत के मानचित्र से इन धब्बों को दूर करने के लिये क्या कुछ कार्यवाहियां करने का विचार रखती है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : श्रीमान्, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सम्बन्ध कि विदेशी बस्तियों के सम्पूर्ण मामलों से है । यह कहना सम्भव नहीं कि हम क्या कुछ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं सिवाय इसके कि हम उन्हें वापस हासिल करने का प्रयत्न करते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : सभा-सचिव नें अभी बताया कि फ्रांसीसी बस्तियों से लोग निरन्तर रूप से भारत चले आ रहे हैं ।

क्या सरकार इस स्थिति को देखती रहेंगी ? अथवा इसे रोकने के लिये कार्यवाही करेगी ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे सहयोगी ने बताया कि लोग आते जाते रहते हैं । कभी कभी लोग राजनीतिक गड़बड़ी अथवा श्रम गड़बड़ी के कारण वहां से निकल आये हैं । जहां तक हमें मालूम है, हमारे पास आंकड़े हैं--हो सकता है कि यह संख्या अधिक भी हो--१९५२ में कुछ १५०० लोग निकल आये हैं तथा १९५३ में लगभग ४० व्यक्ति निकल आये हैं । जहां तक सामान्य आवागमन का सम्बन्ध है, किसी बात की जांच नहीं होती है ।

श्री रघुनाथ सिंह : श्रम-गड़बड़ वहां क्या थी ?

श्री सादत अली खान : दो मज़दूर संघ थे । इन में आपस में कुछ झगड़ा हो गया ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार गवा तथा पांडिचेरी से आये इन देशभक्तों के परिवारों को कोई सहायता दे रही है ?

श्री सादत अली खान : फ्रांसीसी बस्तियों के आये कुछ लोग दक्षिणी अरकाट ज़िले में बसाये गये हैं तथा भारत सरकार ने इन्हें नौकरी के रूप में सहायता दी है ।

दामोदर घाटी योजना के लिए भर्ती किए गए विशेषज्ञ

*३६०. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दामोदर घाटी परियोजना के लिये अमरीका से खरीदी गई मशीनरी को कार्यान्वित करने के लिये सितम्बर, १९५३ के अन्त तक कुल कितने विशेषज्ञ भर्ती किये गये ;

(ख) इन विशेषज्ञों को दिये जाने वाला कुल मासिक वेतन ; और

(ग) ये विशेषज्ञ किस देश के हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उप मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). सितम्बर, १९५३ तक समय समय पर भर्ती किये गये विशेषज्ञों की कुल संख्या ५७ है, ३४ अमरीकन और २३ भारतीय । इसमें से नवम्बर, १९५३ में कार्य कर रहे विशेषज्ञों की संख्या २८ है, अर्थात् ७ अमरीकन और २१ भारतीय ।

(ख) सितम्बर मास का वेतन ९४५० डालर और २६,६८० रुपये था ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि वे कितने समय तक यहां रहेंगे और क्या कोई ऐसा समझौता है कि वे किसी विशिष्ट समय के अन्दर हमारे आदमियों को प्रशिक्षित करेंगे जिससे कि वे उनका स्थान ले सकें ?

श्री हाथी : यहां जो सात अमरीकी विशेषज्ञ हैं, उनमें से तीन इस मास के अन्त तक चले जायेंगे और शेष चार फरवरी, १९५४ में । हमारे दस इंजीनियर प्रशिक्षण पा रहे हैं और वे स्टेशन का चार्ज ले लेंगे ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या इस परियोजना में कोई ग़ैर-भारतीय ग़ैर-टेकनीकल कर्मचारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं ?

श्री हाथी : जहां तक मैं समझता हूं, नहीं ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि ये चार अमरीकी, विभागों के प्रमुख हैं, अथवा भारतीय विशेषज्ञों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं ?

श्री हाथी : वे टरबाइन सेक्शन तथा अन्य चीज़ों के चार्ज में हैं ।

मिश्र से रुई का आयात

*३६१. **श्री के० पी० सिन्हा:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत ने १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में मिश्र से कितनी रुई आयात की ?

(ख) क्या मिश्र सरकार ने इस वर्ष इस देश को और अधिक रुई बेचने का प्रयत्न किया है : और

(ग) यदि हां, तो इसका परिणाम ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क)

	गांठें
१९५१-५२ के सीज़न में अर्थात् १ सितम्बर से, १९५१ से ३१ अगस्त, १९५२ तक।	१४३,८२५
१९५२-५३ के सीज़न में अर्थात १ सितम्बर से, १९५२ से ३१ अगस्त, १९५३ तक।	२४२,२४३

(ख) और (ग). सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

श्री के० पी० सिन्हा: क्या यह सत्य है कि हमारी मिलें मिश्री रुई के बजाय अमरीकी रुई प्रयुक्त कर रही हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हमारी मिलें जो आयातित रुई प्रयुक्त करती हैं वह लम्बे रेशे की रुई होती है । यदि अमरीकी रुई वैसी ही क़िस्म की हो और अधिक सस्ती हो तो स्वभावतः ही मिलें उसका प्रयोग करेंगी ।

श्री एम० डी० रामस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि मिश्र से आयात की जाने वाली क़िस्म की रुई यहां उगाने का कोई प्रयत्न किया गया है, और यदि हां, तो क्या ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं समझता हूं कि यह प्रश्न मेरे माननीय सहकारी खाद्य तथा कृषि मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

ग्लेज्ड किड लैदर

*३६४. **श्री एस० सी० सामन्त:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्लेज्ड किड लैदर का आयात बन्द कर दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो भारत में इसका वार्षिक उत्पादन कितना है ?

(ग) क्या इसकी कोई मात्रा भारत से निर्यात की जाती है ?

(घ) यदि हां, तो वार्षिक औसत आयात कितना रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) ग्लेज्ड किड लैदर के वार्षिक उत्पादन के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु यह क़िस्म बकरी की पकाई हुई क्रोम खाल से तैयार की जाती है । बकरी की पकाई हुई क्रोम खाल का उत्पादन सन् १९५२ में २२५,३४१ नग और १९५३ (जनवरी-सितम्बर) में १५२,४२७ नग था ।

(ग) जी हां ।

(घ) सूचना उपलब्ध नहीं है क्यों कि यह मद सीमा-शुल्क की आय के हिसाब में पृथक् रूप से नहीं दिखाया जाता ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में कितनी फ़ैक्टरियां ग्लेज्ड किड लैदर उत्पादित करती हैं और वे कहां कहां स्थित हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वे सब मद्रास राज्य में हैं और संख्या में वे कुल तीन हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य नहीं है कि सब्सटेंस तथा ग्रेन के लिये आवश्यक सारा कच्चा माल बंगाल और बिहार में उत्पादित होता है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि सरकार का अथवा किसी औद्योगिक उपक्रम का बंगाल या बिहार में ऐसी फ़ैक्टरी स्थापित करने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं है । जहां तक दूसरे भाग का प्रश्न है इस समय हमारा कोई इस प्रकार की फ़ैक्टरी स्थापित करने का विचार नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस प्रकार की फ़ैक्टरी स्थापित करने के लिये कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णामाचारी : अभी यह बतलाने में मैं असमर्थ हूं ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि मद्रास की तीनों फ़ैक्टरियां भारतीयों की हैं या ग़ैर-भारतीयों की ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : फ़ैक्टरियों के नाम ये हैं जिनसे माननीय मंत्री जी निदान निकाल सकते हैं :—

(१) गोरडन वुडरोफ़ लैदर मैन्यूफ़ैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, पल्लावरम्, मद्रास ।

(२) मेसर्स क्रोम लैदर कम्पनी लिमिटेड, क्रोमेपट, मद्रास ।

(३) मेसर्स एन० मोहम्मद मियां राउथर एण्ड कम्पनी, त्रिचुरापल्ली ।

गंग्वाल में बिजली-घर

*३६५. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) **क्या सिंचाई तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नागल परियोजना के अन्तर्गत गंग्वाल में बिजली-घरों को बनाने में भारतीय इंजीनियरों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था ?

(ख) क्या यह सत्य है कि वहां "वैल-पाइंट पम्पिंग" नामक नई प्रणाली अपनाई गई थी ?

(ग) यदि हां, तो उसके परिणाम ?

(घ) गंग्वाल और कोटला के बिजली-घरों की लागत क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क)

(१) अनुभवी सुपरवाइजरी स्टाफ की आवश्यक संख्या में अनुपलब्धता ;

(२) अन्तर्भूमि जल-स्तर के ६० फ़ीट नीचे और प्राकृतिक तल-स्तर के १०० फ़ीट नीचे बिजली-घर नम्बर १ की नींव रखना ।

(३) वैल-पांइट्स को कार्यान्वित करने के लिये वेक्यूमेटिक पम्पों की प्राप्ति में विलम्ब ।

(४) धरातल के दबाव का प्रतिरोध करने के लिये पथरीली ज़मीन में नल कूपों को बरमाने की कठिनाइयां ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य के सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित इम्प्रोवाइज्ड पम्पों तथा वैल-पाइंट्स की सहायता से यह प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई तथा पार्श्व के ढालों की खुदाई में काफ़ी मितव्ययता हुई ।

(घ) गंग्वाल के बिजलीघर की प्राक्कलित लागत--

	करोड़ रुपये
(१) सिविल वर्क्स	३.०४
(२) इलैक्ट्रिकल वर्क्स	३.८५

कोटला के बिजलीघर की प्राक्कलित लागत–

	करोड़ रुपये
(१) सिविल वर्क्स	३.००
(२) इलैक्ट्रिकल वर्क्स	३.८५

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि "वैल-पाइंट पम्पिंग" में प्रयुक्त मशीनरी खुद हमारी ही फ़ैक्टरियों में निर्मित की गयी थी अथवा आयात की गई थी ?

श्री हाथी : हमारी वर्कशापों में ही तैयार की गई थी ।

श्री एस० सी० सामन्त : नागल हाइडल केनाल, जो बिजली घर को पानी देती है, कितनी लम्बी ह ?

श्री हाथी : यह नागल बांध से लगभग चौदह मील के फ़ासले पर है ।

खादी

*३६८. **श्री दाभी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि खादी को लोकप्रिय बनाने के सम्बन्ध में २९ अगस्त, १९५३ को राष्ट्रपति भवन में हुई एक बैठक के सिलसिले में संगठित प्रदर्शिनी में एक चर्खा प्रदर्शित किया गया था जिस पर एक व्यक्ति ३००० गज़ सूत प्रति घंटा कात सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस चरखे को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार का कोई पग उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : (क) जी हां ।

(ख) इस चरखे पर प्रयोग तथा जांच की जा रही है ।

बाबू रामनारायण सिंह : चरखे का मूल्य क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसका मूल्य १००० रुपये के आसपास होने की सम्भावना है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस चरखे पर अखिल भारतीय कताई संघ द्वारा भी कोई प्रयोग किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पहले ही बतला चुका हूं कि इस पर प्रयोग तथा जांच की जा रही है ।

बहूलक्ष्यी नदी घाटी परियोजनायें

*३६९. **श्री दाभी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक बहुलक्ष्यी नदी घाटी परियोजना की अन्तिम वित्तीय दायिता निश्चित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना में केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्य की दायिता की सीमा ;

(ग) प्रत्येक परियोजना पर किए गए व्यय की कुल राशि,और यह धन किन स्रोत या स्रोतों से प्राप्त करके व्यय किया गया था ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।[**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या** ४४]

श्री दाभी : योजना-काल में प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय किया जाएगा ?

श्री नन्दा : यह विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर निर्भर होगा ।

कोयला परियोजना

***३७०. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग बम्बई की कोयना परियोजना को वर्तमान वर्ष में लेने का विचार कर रहा है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का प्राक्कलित व्यय कितना होगा ?

(ग) इस योजना में बम्बई सरकार कितना अंश देगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) कोयना परियोजना को लेने का प्रश्न विचाराधीन है, पर यह संभावना नहीं है कि इसे वर्तमान वर्ष में लिया जा सके ।

(ख) परियोजना का प्राक्कलित व्यय ३३ करोड़ रुपये है ।

(ग) वह विचाराधीन है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि इस परियोजना के ले लिए जाने पर लगभग कितनी जमीन में सिंचाई हो सकेगी ?

श्री हाथी : कोयना-बिजली परियोजना है ।

श्री वो० पी० पवार : क्या यह सच नहीं है कि बम्बई सरकार ने रु० १,३९,००० का उपबन्ध करने के बाद केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि तत्काल एक जलविद्युत परियोजना शुरू कर दी जाए ?

श्री हाथी : बम्बई सरकार ने प्रारम्भिक काम आदि के लिये उपबन्ध किया है, पर सरकार इस प्रश्न पर ऋण के लिये विश्व बैंक से बात कर रही है । जब तक उसका निश्चय न हो, इस प्रश्न को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है ।

श्री वो० पी० पवार : क्या यह सच नहीं है कि विश्व बैंक का एक प्रतिनिधि या संचालक हाल में कोयना परियोजना का स्थल देखने आया था और वह योजना के तुरन्त हाथ में लिये जाने के पक्ष में था ?

श्री हाथी : वह आया था और हम विशेषज्ञों की एक टुकड़ी के आने और उस स्थल को देखकर समूची परिस्थिति करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : परियोजना के पूरे होने पर कितनी बिजली पैदा होगी ?

श्री हाथी : २,४०,००० किलोवाट ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या नई परियोजनाओं के लिए अलग रखे गए ४० करोड़ रुपयों को प्रत्येक परियोजनाओं में वितरित कर दिया गया है ?

श्री हाथी : प्रतिवेदन में उल्लिखित ४० करोड़ रुपए किसी विशेष परियोजना के लिए नहीं हैं । इस का अर्थ यह नहीं कि भारत सरकार पूरे ४० करोड़ रुपए देने जा रही है । इसका अर्थ यह है कि देश में उपलब्ध संसाधनों में से ४० करोड़ रुपए अलग रखे जाएंगे ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का इमारती लकड़ी वाला मामला

***३७१. श्री अजित सिंह :** क्या **निर्माण व गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री भूतपूर्व निर्माण डिवीजन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इमारती लकड़ी वाले मामले के सम्बन्ध में ८ जुलाई १९५२, को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ के उत्तर का निर्देश करेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने उस मामले में कुछ निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस में सम्मिलित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के किन्हीं पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; तथा

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जांच पदाधिकारी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, और आगे कार्यवाही रिपोर्ट पर विचार करने के बाद की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री के० के० बसु : श्रीमान्, मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : निर्दिष्ट रिपोर्ट आई नहीं है। अगला प्रश्न।

राजेन्द्रनगर, नई दिल्ली

*३७२. **श्री अजित सिंह** : क्या **निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजेन्द्र नगर, पूसा रोड, नई दिल्ली के शरणार्थी क्वार्टरों के निर्माण के बारे में निर्धारित प्रमाप से निम्न कोटि के काम होने की शिकायतें मिली थीं ;

(ख) यदि सच है, तो क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के किसी ठेकेदार या पदाधिकारी के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की गई है ; तथा

(ग) क्या कार्यवाही की गई थी और किस के विरुद्ध ;

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वण सिंह): (क) हां, श्रीमान्, १९४९ में पूरे हुए काम के बारे में।

(ख) तथा (ग). हां। संबंधित सहायक इंजीनियरों और सेक्शन-पदाधिकारियों को चेतावनी दी गई थी, और निम्न कोटि के काम के लिए उत्तरदायी ठेकेदार से मरम्मत और पुनर्नवीकरण के दाम वसूल किए गए थे।

श्री अजित सिंह : क्या केवल सेक्शन पदाधिकारियों पर ही अधिरोप-पत्र लगाया गया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं, श्रीमान्, सहायक इंजीनियरों पर भी अधिरोप-पत्र लगाया गया था और दंड दिया गया था, जो मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री अजित सिंह : क्या यह सच है कि किसी सेक्शन पदाधिकारी के साथ किसी ठेकेदार ने हाथापाई की थी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, मुझे खेद है कि १९४९ में होने वाली इस घटना के विवरण मुझे ज्ञात नहीं हैं। यदि अलग प्रश्न रखा गया तो मैं सूचना एकत्र कर दूंगा।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि जांच किसने की थी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : एक पदाधिकारी ने।

हैदराबाद निर्मल शिल्प

*३७३. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार हैदराबाद राज्य स्थित निर्मल के चार शताब्दी पुराने भारतीय शिल्प को पुनरुज्जीवित करने के लिए कुछ सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : हां, श्रीमान्। विषय विचाराधीन है।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या निर्मल शिल्प द्वारा उत्पादित कुछ माल विदेश जाता था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देने में असमर्थ हूं। यदि पूर्व सूचना दी जाए तो, मैं उत्तर देने की चेष्टा करूंगा।

श्री एम० आर० कृष्ण : हैदराबाद सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास इस काम के लिये कितनी राशि के सम्बन्ध में अनुरोध किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रस्ताव में २६,००० रुपये का विनियोजन अंतर्ग्रस्त है।

भाखड़ा नंगल परियोजना

*३७५. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा नंगल परियोजना में बिजली पैदा करने, उसके 'फेजिंग' और उसके बचतपूर्ण वितरण के प्रश्न पर ध्यान देने के लिये कोई टैकनीकल समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि की गई है, तो समिति में कौन कौन व्यक्ति हैं ; तथा

(ग) रिपोर्ट के कब तक आने की आशा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४५]**

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं दा० घा० निगम और हीराकुड परियोजना की तुलना में यहां बिजली की प्रति यूनिट उत्पादन लागत जान सकता हूं ?

श्री हाथी : यह बताना समय से बहुत पूर्व है। यह वितरित बिजली की मात्रा आदि पर निर्भर है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या भाखड़ा नंगल परियोजना के परिशोधित प्राक्कलनों की जांच हो चुकी है और यदि हो चुकी है, तो मूल प्राक्कलन की तुलना में इस प्राक्कलन की राशि कितनी है ?

श्री हाथी : वे विचाराधीन हैं।

चावल का आयात

*३७६. **डा० एम० एम० दास:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल का आयात करने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिये १३ सितम्बर १९५३ से सरकार द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) चावल की कितनी कुल मात्रा के आयात के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ग) इन आवेदन पत्रों में किन किन दूसरे देशों से चावल आयात करने का आवेदन किया गया है ; तथा

(घ) भारतीय बन्दरगाहों में आने पर बीमा तथा भाड़े सहित चावल का प्रति मन औसत मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ४६

(ख) १,८१,८२० टन।

(ग) ईरान, बर्मा और स्याम।

(घ) यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

डा० एम० एम० दास : मैं उन आवेदन पत्रों की संख्या जान सकता हूं जिनके लिये लाइसेंस जारी किये गये थे और इन लाइसेंसों के आधार पर कितना चावल आयात किया जायेगा ?

श्री करमरकर : ४६ आवेदन पत्र आये थे ; ३९ आवेदन पत्रों को निबटा दिया गया था। यह मात्रा १,८१,८२० टन है, इसका मूल्य १६,२३,२८,४७० रुपये है। वास्तव में ४८,२१० टन के लिये लाइसेंस दिये गये थे ; इसका मूल्य ४,१३,३५,००० रुपये है।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि जितना चावल का आयात किया जाना है क्या इस में से कुछ चावल आ गया है ?

श्री करमरकर : मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि देश में चावल की बहुत अच्छी और अधिक फसल हुई है और जिसके परिणामस्वरूप दाम गिर गये हैं, क्या सरकार इस नीति में बहुत शीघ्र परिवर्तन करेगी ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि खाद्य तथा कृषि मंत्री इसका उत्तर दे सकेंगे ।

फोर्ड प्रतिष्ठान

*३७८. **श्री राधा रमण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत स्थित फोर्ड प्रतिष्ठान ने छोटे पैमाने के उद्योग तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिये कार्यक्रम की योजना बनाने के मामले में भारत को सहायता देने के लिये कहा है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो वह सहायता किस प्रकार की है ; तथा

(ग) सरकार का इस सहायता का किस प्रकार प्रयोग में लाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : फोर्ड प्रतिष्ठान कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के सात विशेषज्ञों के अन्तर्राष्ट्रीय दल को भारत भेज रहा है । जांच करने के बाद यह दल भारत सरकार से छोटे पैमाने के उद्योगों के चुने हुए स्थानों में विकास के एक कार्यक्रम की सिपारिश करेगा ।

श्री राधा रमण : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि इस योजना में, जिसे फोर्ड प्रतिष्ठान हमें प्रस्तुत करना चाहता है, कितना धन लगेगा ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि भारत में इस दल के दौरे पर जो खर्च होगा उसके लिये फोर्ड प्रतिष्ठान ने ९२,००० डालर मंजूर किये हैं ।

श्री राधा रमण : मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसे उद्योगों की कोई सूची है जिन पर छोटे पैमाने के उद्योगों के अन्तर्गत वह दल विचार करेगा ?

श्री करमरकर : मैं यह सूचना एक दम नहीं दे सकता ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): यह आयोग बर्दवान, फरीदाबाद, नीलोखेड़ी, तथा रांची क्षेत्र की सामुदायिक परियोजनाओं के उद्योगों के भविष्य के बारे में जांच करेगा । वहां जिस प्रकार के उद्योग हैं इस बात का भी ध्यान उसके पर्यालोकन में रखा जायगा ।

श्री करमरकर : इसीबीच में मुझे जो सूचना मिली है मैं उसे भी बता दूं । आरम्भ में जिन उद्योगों पर विचार किया जाना है वे ये हैं : लुहागिरी, खेतीबाड़ी के छोटे औज़ार, बढ़ई गिरी, जूते, तथा चमड़े का सामान, चमड़ा पकाना, साइकिल के पुर्ज़े, कांटा-छुरी, ड्राइंग के उपकरण, खेल के सामान, आदि ।

श्री राधा रमण: मैं जान सकता हूं कि क्या इन उद्योगों को चलाने के लिये, यदि ऐसा निश्चय कर लिया जाय, कोई स्थान निश्चित किया गया है ?

श्री करमरकर : मेरे सहयोगी ने यह बता दिया है कि किन किन बातों की जांच होगी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: मैं जान सकता हूं कि क्या देशी छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों का विकास विदेशी सहायता के बिना नहीं किया जा सकता ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ये विदेशी विशेषज्ञ बलाये गये हैं इसी बात से सरकार के इस विचार का पता लगता है कि इन लोगों से कुछ सहायता मिलने की सम्भावना है। मैं यह भी बता दूं कि इनमें से दो विशेषज्ञ स्वीडन के हैं, जहां बीच के और छोटे पैमाने के उद्योग बड़े उद्योगों के साथ साथ चल रहे हैं। ये जो दो व्यक्ति आ रहे हैं इनका अनुभव इस देश के छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में योजना बनाने और इनके लिये स्थान निश्चित करने के मामले में बहुत अधिक लाभदायक होगा।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने जापानी विशेषज्ञों को बुलाने की वांछनीयता पर विचार किया है क्योंकि यह सर्वविदित है कि जापान में छोटे पैमाने के उद्योग यहां की अपेक्षा बहुत अच्छी प्रकार से चल रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं। सरकार ने समय समय पर विभिन्न कार्यों के हेतु इन विशेषज्ञों को बुलाने का प्रयत्न किया है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमें इसमें कोई अधिक सफलता नहीं मिली।

बर्मा में आयात किये गये वस्त्र पर कर

*३७९. **श्री रघुनाथ सिंह**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बर्मा सरकार ने भारतीय वस्त्रों के आयात पर एक नया कर लगाया है ?

(ख) यदि हां, तो इस कर की दर क्या है ?

वाणिज्य मंत्री श्री (करमरकर): बर्मा की नवीनतम तटकर सूची की सरकारी प्रतिलिपि अभी तक उपलब्ध नहीं है, किन्तु सरकार को पता लगा है कि बर्मा सरकार ने भारत तथा अन्य देशों से कपड़े को आयात पर पहिली अक्टूबर, १९५३ से एक रूप २५ प्रतिशत यथा मूल्य शुल्क लगाया है।

श्री रघुनाथ सिंह: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्मा सरकार ने जिस तरह से भारतीय वस्त्रों के आयात पर एक नया कर लगाया है, उसी प्रकार से क्या भारत सरकार भी वहां के सामान पर एक एडीशनल ड्यूटी लगायेगी ?

श्री करमरकर : विदेशी कपड़े के सम्बन्ध में भारत सरकार जो नियम बर्तती है, वही नियम बर्मा पर भी एप्लीकेबल होगा, हम बर्मा के खिलाफ कोई रिटैलियेटरी स्टेप नहीं लेना चाहते।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या हाल ही में आयात किये गये माल का बर्मा में वस्त्र के आयात पर प्रभाव पड़ेगा ?

श्री करमरकर : इस समय इस पर कुछ भी कहना समय से पूर्व होगा।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत से जो यह २५ प्रतिशत शुल्क लिया जाता है वह बर्मा में दूसरे देशों से आने वाले माल पर लगाये गये शुल्क से भिन्न है ?

श्री करमरकर : इसमें कोई भेद भाव नहीं है। यह शुल्क सभी पर समान रूप से लगता है।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण

*३८०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "दूकानों को आर्थिक सहायता" की कोई व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक दूकानदार को दूकान खोलने

के लिये उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के अधिकारियों से आज्ञा लेनी पड़ती है ;

(ख) यदि ऐसा है तो, उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में कितनी दूकानें खोली गई हैं ;

(ग) अधिकारियों ने दूकानदारों पर क्या शर्तें लगाई हैं ;

(घ) क्या दूकानदारों को, अभिकरण के निवासियों में जो वह कुल बिक्री करते हैं उसका साढ़े बारह प्रतिशत निर्धारित लाभ लेने दिया जाता है ; तथा

(ङ) यदि ऐसा है, तो उपरोक्त लाभ की प्रतिशतता निर्धारित करने में किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : (क) जी हां । आदिम जाति के लोगों को सामान उन्हीं दामों पर मिल सके जो दाम आसाम के मैदान में डिब्रूगढ़ में हैं, इसलिये इनके वहां ले जाने के व्यय को पूरा करने के लिये २ आना प्रति रूपया आर्थिक सहायता दी जाती है ।

(ख) ६० दूकानें ।

(ग) जहां आदिम जाति के लोग ऐसा कर सकते हैं, उन्हें दूकान खोलने के लिये प्रोत्साहन तथा सहायता दी जाती है । गैर-आदिम जाति के लोगों को दूकान खोलने की आज्ञा अस्थायी आधार पर दी जाती है, जिसमें उन्हें यह साफ़ तौर पर बतला दिया जाता है कि बाद में यदि आदिम जाति का कोई व्यक्ति ऐसी दूकानें चलाने के लिये तैयार हो जायगा तो उसे वह बन्द कर देनी पड़ेगी । जब कभी उन्हें पहाड़ के निवासियों को वस्तु विक्रय (सेल्समैनशिप) के लिये प्रशिक्षण देना होगा तो उन्हें अधिकारियों के अधीक्षण में ऐसा करना पड़ेगा ।

(घ) तथा (ङ). इस लाभ को प्रत्येक ज़िले में ज़िला दर बोर्ड जगह की दूरी, सामान की टूट फूट तथा अन्य आकस्मिक खर्चे, व्यापारियों की जाने की इच्छा आदि का ध्यान रखने के बाद निश्चित करता है । सामान्यतया लाभ की दर १० प्रतिशत है ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि इन दूकानों में से कितनी दूकानें आदिम जाति के लोगों की हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरु : मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं ।

श्री अमजद अली : मैं जान सकता हूं वहां कितनी दूकानें पहिले से थीं और कितनी नई खोली गई हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरु : मेरे पास इस समय यह सूचना नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि उन दूकानों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा आदिम जाति के लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरु : जब वे दूकानों का कार्यभार अपने हाथ में लेते हैं तो कुछ काल के लिये काम करने का अवसर ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि आर्थिक सहायता के रूप में इन दूकानों को कुल कितना धन दिया जाता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं यह कुल धन इस समय नहीं बता सकता ।

टेपिओका मांड़ का निर्यात

*३८१. **कुमारी एनी मस्करीन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य से कितना टपिओका मांड़ निर्यात किया गया; तथा

(ख) उसकी कीमत क्या थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). त्रावनकोर-कोचीन राज्य से टपिओका मांड़ निर्यात करने पर कोई पाबन्दी नहीं है । उस राज्य से कितनी मांड़ और कितनी क़ीमत की निर्यात की गई यह आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लोगों ने सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत भेजी है कि राज्य से टपिओका मांड़ के निर्यात किये जाने से राज्य की खाद्य समस्या उग्ररूप धारण करती जा रही है ?

श्री करमरकर : जी नहीं, जहां तक मुझे ज्ञात है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या सरकार को पता है कि स्वयं मैंने ऐसी एक शिकायत भेजी है ?

श्री करमरकर : मैं मामले की जांच करूंगा ।

कम लागत के मकानों के सम्बन्ध में गोष्ठी

*३८२. **श्री भागवती झा** : क्या **निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कम लागत के मकानों के सम्बन्ध में होने वाली गोष्ठी में भाग लेने के लिये कौन कौन से देशों को आमंत्रित किया गया है तथा किन किन देशों ने स्वीकार कर लिया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : निमंत्रणपत्र संयुक्त राष्ट्र टेकनिकल सहायता प्रशासन द्वारा भेजे गये हैं । सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें उन देशों के नाम दिये हुए हैं जहां से प्रतिनिधियों के आने की सम्भावना है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६**].

श्री भागवत झा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रदर्शनी में कितने प्रतियोगियों ने भाग लेने की सूचना दी है और कितने प्रकार के नमूने पेश किये जायेंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में माननीय सदस्य प्रदर्शनी और गोष्ठी में भूल कर रहे हैं । प्रश्न का सम्बन्ध गोष्ठी से है । यदि वह प्रदर्शनी के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं तो भी मैं उसे दे सकता हूं ।

नमक

*३८४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पास अपने फालतू नमक को बेचने के लिये बाहर काफी बाजार हैं ; तथा

(ख) अब तक १९५३ में कितना नमक निर्यात किया जा चुका है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी नहीं । केवल जापान ही ऐसा देश है जो भारत से सबसे अधिक नमक का आयात करता है ।

(ख) अब तक १९५३ में समद्र द्वारा लगभग ६२ लाख मन नमक भेजा जा चुका है ।

डा० राम सुभग सिंह यदि भारत के पास अपने नमक के लिये काफी बाजार नहीं हैं तो क्या सरकार अन्य स्थानों पर बाजार तलाश करने की कोशिश कर रही है ?

श्री के० सी० रेड्डी : पिछले दो वर्षों में भारत में नमक का उत्पादन बढ़ गया है । कुछ दूतावासों द्वारा भारत सरकार नमक के लिये बाजार ढूंढ निकालने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है । मुझे खेद है कि अब तक जो परिणाम निकला है वह उत्साहजनक नहीं रहा है । साथ

ही साथ नमक निर्माता संघ तथा कुछ अन्य निर्माता भी बाहर जा कर तैयार किये गये नमक के लिये नये बाजार ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे हैं । कुछ भी हो, नमक का निर्यात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ।

उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी

*१३०. **श्री अमजद अली** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी में १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के दौरान में कितने नये डाक और तार घर खोले गये हैं ?

(ख) नियमितरूप से सामान भेजने के लिये उत्तर पूर्व सीमान्त एजेन्सी में हवाई जहाज़ों के उतरने के लिये कितनी हवाई पट्टियां बनाई जा रही हैं ?

(ग) क्या हाल के महीनों में अनाज की सप्लाई स्थिति में काफी सुधार हुआ है ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) १९५१-५२ में मिशिमी पहाड़ियों में निज़ाम घाट पर एक डाक घर खोला गया था जिसमें तार सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, किन्तु बाढ़ आ जाने के कारण चार महीने तक काम करने के पश्चात् उसे बन्द करना पड़ा तथा १९५२-५३ में मिशिमी पहाड़ियों में मिका नामक स्थान पर उसे पुनः खोला गया । हाल ही में डाक तथा तार विभाग से उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी में १२ भिन्न भिन्न स्थानों पर डाक तथा तार घर खोलने के लिये कहा गया है । तेजू और किमिन में दो ऐसे डाक घर पहले ही से काम कर रहे हैं तथा चार अन्य स्थानों पर--एलौंग, पानगिन, कारको तथा डिल्ली में तुरन्त ही ऐसे डाक घर खोलने के आदेश जारी किए जा चुके हैं ।

(ख) एबौर पहाड़ियों में टूटिंग पर एक हवाई पट्टी बनाई जा रही है तथा एक दूसरी सुबनसिरी क्षेत्र में डापो रिजो पर अभी हाल ही में बन कर तैयार हुई है । एलौंग और ज़ीरों में बनी हवाई-पट्टियों में विशेष सुधार (पी० बी० शीटों का लगाना) करने के लिये धन की मंजूरी दे दी गई है । तथा वे शीघ्र ही बन कर तैयार हो जायेंगी । अन्य आठ स्थानों पर हवाई-पट्टियों में सुधार करने तथा / या बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) अनाज की सप्लाई स्थिति में सुधार हो रहा है । हाल के महीनों में एजेन्सी के विभिन्न स्थानों पर हवाई जहाज़ों द्वारा ८६६ टन अनाज गिराया गया है ।

श्री अमजद अली : प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि पुनरीक्षित वर्ष से पहले वहां डाक और तार घरों की संख्या क्या थी ?

श्री जे० एन० हजारिका : तेजू और किमिन में डाक घरों ने काम करना आरम्भ कर दिया है ।

श्री अमजद अली : क्या पहले वहां कोई डाक घर नहीं था ?

श्री जे० एन० हजारिका : जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री अमजद अली : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान हवाई-पट्टियाँ कितनी हैं ?

श्री जे० एन० हजारिका : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री अमजद अली : मैं तो पहले ही पूर्व सूचना दे चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है । हवाई जहाज़ों के उतरने के लिये कितनी हवाई-पट्टियां बनाई जा रही हैं । उनकी संख्या क्या है ?

प्रधान मंत्री श्री (जवाहर लाल नेहरू) : श्रीमान्, हम इससे अधिक और कुछ भी नहीं जानते कि अब भी वहां पर कई नई हवाई पट्टियाँ बनाई जा रही हैं । कदाचित्, वे छोटी, अस्थायी हवाई पट्टियाँ हैं, पक्की नहीं हैं, ऐसी जिस पर हवाई जहाज़ उतर सकते हैं, किन्तु यदि बहुत अधिक उतरते हैं तो भूमि में गड्ढे पड़ जाते हैं । मैं ठीक ठीक संख्या नहीं बतला सकता ।

श्री अमजद अली : क्या यह सत्य है कि हवाई जहाज़ों द्वारा जो अनाज वहां पर गिराया जाता है वह केवल सरकारी पदाधिकारियों के लिये होता है न कि वहां के लोगों के लिये ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : हवाई पट्टी का अनाज के गिराये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है । अनाज वहीं पर गिराया जाता है जहां पर हवाई पट्टी नहीं होती । मैं कुछ समझ नहीं पाया हूं ।

श्री अमजद अली : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अनाज वहां पर गिराया जाता है वह केवल सरकारी पदाधिकारियों है या अन्य लोगों के लिये भी ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : हवाई जहाज़ों द्वारा अनाज भेजना बहुत ही कठिन है । परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां हैं ; हमारे पास काफी हवाई जहाज़ नहीं हैं तथा बहुत ही थोड़ा अनाज ले जाया जा सकता है । अनाज को विभिन्न गोदामों को ले जाया जाता है जो कि साधारण जनता तथा सरकारी पदाधिकारियों दोनों के ही लिये होते हैं । हम हवाई जहाज़ों द्वारा अनाज गिरा कर बहुत बड़े क्षेत्र का पेट नहीं भर सकते हैं ।

श्री अमजद अली : भूचाल आने के बाद से क्या स्थिति इतनी सुधर गई है कि अब वहां की असैनिक जनता के लिये हवाई जहाज़ों द्वारा अनाज गिराने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : बहुत बड़े पैमाने पर अनाज नहीं गिराया जा सकता है । सुविधाएं नहीं हैं ; ऐसा करने के लिये हवाई जहाज़ नहीं हैं । हम अपनी सामर्थ के अनुसार कार्य करते हैं । मैं माननीय सदस्य को यह बतला दूं कि वहां पर हमारे पदाधिकारियों, हमारी एजेन्सी तथा वायु सेना के बीच खेंचा-तानी होती रहती है क्यों कि वायुसेना वह काम नहीं कर पाती है जो हम उससे करवाना चाहते हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह जानने के लिये कोई कोशिश की गई है कि उस अनाज को छोड़ कर जो कि वे स्वयं वहां पैदा कर लेते हैं, उन क्षेत्रों को कितने अनाज की और आवश्यकता है तथा क्या उन्हें काफी मात्रा में समय समय पर अनाज भेजने का कोई प्रबन्ध किया गया है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू: जी हां । जब माननीय सदस्य उस क्षेत्र का निर्देश करते हैं तो उन्हें यह भी जान लेना चाहिये कि वह एक बड़ा क्षेत्र है तथा वहां पर प्रशासन भी भिन्न भिन्न प्रकार का है । फिर भी, कोशिश की जाती है । यह तो स्पष्ट ही है कि हवाई जहाज़ न होने पर यह कार्य कठिन हो जाता है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : प्रश्न यह पूछा गया था कि जो अनाज गिराया जाता है वह केवल सरकारी पदाधिकारियों के लिये होता है या स्थानीय लोगों के लिये भी । मैं जानना चाहता हूं कि जब हवाई जहाज़ों द्वारा अनाज गिराया जाता है तो

क्या सरकारी पदाधिकारियों की आवश्यकताओं के अलावा स्थानीय लोगों कीआवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : निस्सन्देह, श्रीमान् । उस क्षेत्र की अनाज सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही वहां पर अनाज भेजा जाता है । परन्तु जहां तक हवाई जहाज़ों से अनाज गिराने का सम्बन्ध है, यह कार्य बहुत ही सीमित होता है क्यों कि हवाई जहाज़ों की संख्या सीमित होती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री एस० एन० दास को अपना प्रश्न संख्या ३५० पूछने की अनुमति देता हूं ।

केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग

*३५०. **श्री राधा रमण (श्री एस० एन० दास की ओर से)** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जन लेखा समिति तथा कस्तूर भाई समिति की सिफ़ारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की रचना, संगठन, कार्य, शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

(ख) यदि हां तो क्या ?

(ग) क्या इस संगठन के सुचारु रूप से काम करने के लिये कोई नियम तथा नियमन बनमए गये हैं ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७]**

(ग) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की बैठकों के कार्य संचालन की प्रक्रिया के नियम बना दिये गये हैं । इस संगठन के सुव्यवस्थित संचालन के नियमों तथा नियमनों की एक पुस्तिका तय्यार की गई है जिस की इस समय आयोग द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री राधा रमण : इस के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

श्री नन्दा : किस के पूरा होने में ?

श्री राधारमण : जांच जिस की ओर उन्होंने निर्देश किया है ।

श्री नन्दा : वह बहुत जल्दी जल्दी की जा रही है ।

श्री मुनिस्वामी : मैं प्रश्न संख्या ३६६ पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके पहले वाला प्रश्न (संख्या ३५३) ले रहा हूं ।

जापानी कपड़े का सौदा

*८३५३. **श्री राधारमण (श्री एस० एन० दास की ओर से)** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री, जापानी कपड़े की बिक्री तथा आयात से सम्बन्धित जन लेखा समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में ११ अगस्त १९५३ को, सदन पटल पर रक्खे जाने वाले विवरण की ओर निर्देश करेंगे तथा बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४६–४७ के जापानी कपड़े के आयात तथा बिक्रि क सौदे के सम्बन्ध में, फ़र्म बनवारीलाल एण्ड कम्पनी से, सरकार को मिलने वाले तथा अभी तक अदा न किये गये १५ लाख रुपये का भुगतान निबटाने के सम्बन्ध में, नियुक्त किये जाने वाले, मध्यस्थ निर्णयन, की कार्यवाही पूरी हो चुकी है जिसकी ओर उस में निर्देश किया गया है ?

(ख) यदि हां तो मध्यस्थ निर्णयन का क्या परिणाम हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). मध्यस्थ निर्णयन की कार्यवाही का अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है । एक मात्र मध्यस्थ को चुनने के सम्बन्ध में उक्त फ़र्म के साथ बार्ता हो रही है ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि १५ लाख रुपये का भुगतान किये जाने के कारण सरकार ने फ़र्म बनवारी लाल एण्ड कम्पनी को निन्दनीय फ़र्मों की सूची में सम्मिलित कर दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य किस प्रकार की निन्दनीय फ़र्मों की सूची की ओर निर्देश कर रहे हैं। जहां तक वाणिज्य तथा उद्योग का सम्बन्ध है अभी तक निन्दनीय फ़र्मों की कोई सूची नहीं बनाई गई हैं : कम से कम मुझे नहीं मालूम है । मैं इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का मत प्रकट करने की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता हूं । इस के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री पाटस्कर : क्या यह फर्म, बनवारी लाल एण्ड कम्पनी, एक लिमिटेड कम्पनी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे नहीं मालूम ; मुझे इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि हाल में इस कम्पनी ने सरकार के साथ कोई सौदा किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का सम्बन्ध है कोई नहीं ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कम्पनी या फ़र्म विशेष, कम्पनी या फ़र्म, यह जो कुछ भी हो, अब भी कार्य कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रत्यक्ष म, तो इस कम्पनी के कुछ विधिक प्रतिनिधियों के साथ, मध्यस्थ की नियुक्ति के सम्बन्ध में, वार्ता चल रही है ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यही फ़र्म है जिसने हाल ही में सरकार से कर्टिस कमाण्डों विमान खरीद किये हैं ?

श्री टी० टी कृष्णमाचारी : विमानों के विक्रय से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । मुझे इस सबन्ध में कुछ नहीं मालूम ।

श्री सारंगधर दास : यदि किसी फ़र्म को निन्दनीय फ़र्मों की सूची में रखने के यथेष्ट कारण हों या यदि किसी फ़र्म को निन्दनीय फ़र्मों की सूची में रक्खा गया हो तो क्या वाणिज्य मंत्रालय से उस के सम्बन्ध में कोई गश्ती चिट्ठी सब मंत्रालयों में घुमाई जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो स्वाभाविक है कि यदि कोई उत्तेजक बात होती है और यदि हम चाहते हों कि कुछ विशेष फ़र्में सरकार के साथ कोई व्यवहार न करें तो इसकी सूचना सब मंत्रालयों को भेजी जाती हैं । परन्तु साधारण रूप से वाणिज्य मंत्रालय उन्हीं फ़र्मों को निन्दनीय फ़र्मों की सूची में रखता है जो आयात तथा निर्यात के सौदों में निन्दनीय व्यवहार करते हैं ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को पता है कि जन लेखा समिति ने, इस सदन को जो प्रतिवेदन भेजा है, उस में, इस फ़म विशेष के सम्बन्ध म, बहुत ही अप्रिय उक्तियां अंकित की हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सदन के सामने मैं ने जो ब्यान दिया था उस में इस का कारण स्पष्ट रूप से बता दिया गया था । हम चाहते हैं कि सारा मामला साफ़ हो जाये और इसी लिये हम शीघ्रता-शीघ्र मध्यस्थ निर्णयन की कार्यवाई आरंभ कराना चाहते हैं । जैसा मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं मध्यस्थ की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री पाटस्कर: क्या सरकार के पास इस बात की सूचना है कि इस फ़र्म के पास इतनी सम्पत्ति है कि उस में से १५ लाख रुपया वसूल किया जा सकता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जो अवसर हमें प्राप्त हैं उन को यह प्रश्न हानि पहुंचा सकता है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मध्यस्थ निर्णयन की कार्यवाही पूरी होने तक मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता हूं उस के बाद ही मैं माननीय सदास्य का उत्तर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न---प्रश्न संख्या ३६६---लेंगे ।

प्रवेश पत्र सम्बन्धी लंका का केन्द्रीय कार्यालय

*३६६. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **प्रधान** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि लंका की केन्द्रीय सरकार, प्रवेशपत्र जारी करने के लिये मद्रास में, एक केन्द्रीय कार्यालय खोलने का विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां तो क्या ऐसा कार्यालय खोला जा चुका है ?

(ग) क्या मण्डपम् तथा त्रिचिनापल्ली के कार्यालय तोड़ दिये गये हैं ?

(घ) यदि हां तो इसका कारण क्या था ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख). भारत सरकार इस बात पर राज़ी हो गई है कि सूचना तथा पारपत्र के कार्यों के लिये, लंका की सरकार मद्रास में एक नया कार्यालय खोल ले । यह कार्यालय दिसम्बर तक खुल जाने वाला है ।

(ग) तथा (घ). ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । ऐसा जान नहीं पड़ता है कि लंका सरकार मण्डपम् का तथा त्रिचिरापल्ली में से---त्रिचिनापल्ली का नया नाम----एक स्थान का भी कार्यालय बंद करना चाहती है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रवेशपत्र जारी करने का प्रश्न केवल उसी सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है या हमारी सरकार का भी उस में कोई विचार किया जाता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह प्रश्न उसी सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है जो प्रवेश पत्र जारी करती है और किसी सरकार का उस में कोई दखल नहीं होता है---उन से परामर्श लिया जा सकता है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि मद्रास राज्य के कुछ नाविकों को, प्रवेशपत्र देने से, इन्कार कर दिया गया है, जब कि वे गत कई वर्षों से प्रवेशपत्र पा रहे थे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं कह सकता हूं कि सरकार के पास ऐसी कोई सूचना आई है; संभवतः उन के पास आई होगी, परन्तु मुझे उसका कोई स्मरण नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : इस बात पर ध्यान देते हुए कि इन नाविकों को, जो कुद्दालौर से सामग्रियां ट्यूटीकोरन तथा लंका ले जाया करते हैं, अनेक कठिनाइयों का सामन करना पड़ेगा, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का कोई विचार है कि इस मामले में हस्तक्षेप करे तथा इन नाविकों को सहायता पहुंचाने के लिये सभी संभव प्रयत्न करे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जब कभी ऐसा कोई प्रश्न उठ खड़ा होता है तो उस के सम्बन्ध में हमारा उच्चायुक्त वार्ता करता है। सदन को स्मरण रखना चाहिये कि हम एक स्वतंत्र सरकार के साथ व्यवहार कर रहे हैं। हम उन के साथ मैत्रीपूर्ण व्यंवहार करते हैं और हमें कुछ सुविधायें मिल जाती हैं परन्तु कभी कभी नहीं भी मिलती हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का घण्टा समाप्त हो गया ।

श्री मुनिस्वामी: श्रीमान्, अभी पांच मिनट और हैं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रविधिक कर्मचारियों का रजिस्टर

*३५७. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री आगणन स (१९५१–५२) के पांचवे प्रतिवेदन के पृष्ठ ५९ पर कांडिका १२५ की ओर निर्देश करेंगे तथा बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उस में निर्दिष्ट इंजीनियर विशेषज्ञों तथा प्रविधिक व्यक्तियों का रजिस्टर तय्यार किया जा चुका है ?

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब का कारण या है।

योजना व सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : (क) रजिस्टर तय्यार किया जा रहा है।

(ख) अभी राज्य सरकारों से पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीय भवन-निर्माण संघ

*३५८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **निर्माण तथा गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन-निर्माण संघ की स्थापना हो चुकी है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उसका विधान तथा रूप-रेखा क्या है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). सरकार ने एक राष्ट्रीय भवन निर्माण संघ की स्थापना करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है ; तथा इस संघ को एक सम्पूर्ण संघ बनाने के लिये प्रारम्भिक कार्य को हाथ में लिया जा चुका है।

हैदराबाद में समुदाय केन्द्र

*३६२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद में १९५३ में कितने समुदाय केन्द्र खोले गए हैं ?

(ख) इन केन्द्रों द्वारा कितनी भूमि घिरी हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १९५३ में छः समुदाय विकास उप-केन्द्र खोले गए थे।

(ख) चार उप-केन्द्रों में ६,९४,४८८ एकड़ भूमि घिरी है। शेष दो उप-केन्द्रों में कितनी भूमि घिरी है, यह अभी अन्तिम रूप से निश्चय नहीं हो सका है।

मैसूर में अनुन्नत फिल्म उद्योग

*३६३. **श्री गोपाल राव** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ अगस्त, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ४४ का निर्देश कर यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मैसूर में एक विदेशी फर्म के साहचर्य से अनुमत फिल्म उद्योग की स्थापना करने की वार्ता का अन्तिम निर्णय हो चुका है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं श्रीमान ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

रूस से व्यापार समझौता

*३६७. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वार्ता के परिणाम स्वरूप रूस से एक सामान्य व्यापार समझौता करने के सम्बन्ध के कुछ निर्णय हो सका है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). रूस से व्यापार समझौते की वार्ता अभी चल रही है ।

विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों के पाठ्यक्रम में पंचवर्षीय योजना का सम्मिलन

*३७४. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग ने समस्त सरकारों को विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों के पाठ्यक्रम में पंचवर्षीय योजना का सम्मिलन करने का सुझाव दिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : यह प्रश्न विचाराधीन है ।

चमड़ा कमाने का उद्योग

*३७७. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चमड़ा कमाने के उद्योग में कच्चे माल के मंहगे होने से रुकावट पड़ती है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हाल के वर्षों में चमड़ा कमाने के उद्योग में काम आने वाले कच्चे माल के मूल्यों में ही नहीं वरन् साधारणतः सभी उद्योग के काम आने वाले कच्चे माल का मूल्य बढ़ गया है ।

(ख) उचित मूल्य पर कच्चे माल की आवश्यकता-पूर्ति में उद्योग को सहायता देने के लिये, कम मात्रा में पूर्ति किये जाने वाले निर्यात के मदों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है व उन के आयात में उदारता दिखाई गई है तथा बहुत से मामलों में सरकारी लाइसेंस पर आयात करने में सरकार ने इस दिशा में ये विशिष्ट कार्यवाहियां की हैं :

(१) भैंसों तथा गायों की कच्ची खालों पर के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लग गया है तथा भेड़ की कच्ची खालों के निर्यात पर कठोर नियन्त्रण लगा दिया गया है ;

(२) देशी चमड़ा कमाने के पदार्थ जिनकी पूर्ति कम मात्रा में होती है जसे बबूल का छिलका, कोन्नाई का छिलका तथा अवारम का छिलका, इन के निर्यात पूर्ण प्रतिबन्ध लग गया है ; तथा

(३) खालें और चमड़ा तथा चमड़ा कमाने में काम आने वाले वनस्पति पदार्थों का सभी सुलभ मुद्रा वाले क्षेत्रों से सरकारी लाइसेंस पर आयात करने की अनुमति प्राप्त है ।

कपड़े की मिलें (उत्पादन)

*३८३. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कुछ मिलों ने निर्धारित ६० प्रतिशत से अधिक धोतियों का निर्माण किया था ?

(ख) इस व्यवहार को रोकने के लिये क्या कार्यवाहियां करने का विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अनुमति दिये गए कोटा से अत्यधिक संख्या में धोतियों का निर्माण करने पर क्रमानुसार दण्डनीय उत्पादन शुल्क लगा दिया गया है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार

१९५. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के १ जनवरी १९५४ तक के सभी ठेकेदारों की एक वर्गीकृत सूची बनाने का निश्चय किया है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो वह सूची कब तक बनकर तैयार होगी और क्या वह जनता को प्रकाशित रूप में उपलब्ध होगी ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संशोधित नियमों के अनुसार सितम्बर १९५३ तक सूची में दर्ज किये गये सभी श्रेणियां के ठेकेदारों की सूची बनाने का निश्चय किया है; तथा

(ख) सूची प्रकाशित हो रही है तथा आशा यह की जाती है कि जनता में विक्रय के लिये दिसम्बर, १९५३ तक उपलब्ध हो सकेगी ।

पैट्रोल

१९६. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री १९ अगस्त, १९५३ को दिये गए तारांकित प्रश्न संख्या ३३८ के उत्तर का निर्देश कर यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आयात किये गये पदार्थों का वसूल किया गया विक्रय मूल्य जैसा कि उत्तर में निर्देशित किया गया है ;

(ख) पदार्थों पर सरकार द्वारा वसूल किया गया शुल्क ; तथा

(घ) इन पदार्थों में से कितने प्रतिशत अथवा कितनी मात्रा का आयात मेसर्स बर्मा शेल, स्टैंडर्ड वैकम आयल कम्पनी तथा काल्टेक्स ने किया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार के पास १९५२-५३ में इन पदार्थों का वास्तविक वसूल किया गया कुल विक्रय मूल्य उपलब्ध नहीं है । १९५२-५३ में विक्रय किये गये पदार्थों की मात्रा उस वर्ष आयात की गई मात्रा के अनुरूप नहीं होगा । पदार्थों के मूल्यों में एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक समय से दूसरे समय के भिन्नता होगी । आयात किये गए पदार्थों के वसूल किये गए कुल विक्रय मूल्यों की साधारण जानकारी, बम्बई के मख्य बन्दरगाह पर प्रचलित हुए, औसत फुटकर विक्रय मूल्यों से की जा सकती है । ये मूल्य निम्नलिखित थे :

	औसत फुटकर विक्रय मूल्य (प्रति गैलन)		
	रु०	आ०	पा०
मोटर तेल	२	४	६
जहाज तेल	२	१०	०
मिट्टी का तेल	१	१	०

जलाने का तेल	रु० आ० पा०
तीव्रगति डीजेल तेल	१ २ १
हल्का डीजेल तेल. . .	० १५ २
मिट्टी वाला तेल . .	० १० ६
जूटकताई सहायक तेल .	१ २ २

(ख) इन पदार्थों पर १९५२-५३ में वसूल किया गया सीमा शुल्क निम्न प्रकार से है :

पदार्थ	*वसूल किया गया शुल्क
१. मोटर तैल (जहाज तैल को सम्मिलित कर)	२७,४९,०७,००० रु०
२. मिट्टी का तैल. .	५,५२,९०,००० रु०
३. जलाने का तैल. .	१,६७,५८,००० रु०
४. जूट-कताई सहायक तैल	२६,४६,००० रु०

*इस में राज्य सरकारों अथवा स्थानीय संस्थाओं द्वारा वसूल किया गया बिक्री कर तथा चुंगी आदि सम्मिलित नहीं हैं ।

(ग) तत्काल सूचना उपलब्ध नहीं हैं ।

कोयला

१९७. **श्री बो० मिश्र** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ में कितने टन कोयले का नर्यात हुआ ; तथा

(ख) क्या गत दो वर्षों में कोयले का उत्पादन देश की आवश्यकता से अधिक हुआ है या कम ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) २,९२५,५२४ टन ।

(ख) नहीं । दूसरी ओर कोयले की मांग जैसा कि केन्द्रीय तथा राज्य के विभिन्न सिफारिश कर्त्ता अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया है—रेलों की अधिकता के कारण है । जितना कोयला निकाला जाता है तथा उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक होता है, आवागमन की सुविधाओं की अप्राप्तता के कारण भेजा नहीं जा सकता है ।

चाय

१९८. **श्री एन० एम० लिंगम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) ३१ मार्च १९४८ को भारत में कितनी एकड़ भूमि में चाय बोने की अनुमति थी ;

(ख) नियमागत अवधि १९४८–५० में चाय की खेती बढ़ाने के लिये कितने क्षेत्र की अनुमति थी ;

(ग) उक्त समय में किन क्षेत्रों में बढ़ाने के लिये अनुज्ञा दी गई थी ;

(घ) वास्तविक में बढ़ाया गया क्षेत्र ;

(ङ) ३१ मार्च १९५० को भारत में कितनी एकड़ भूमि में चाय बोने की अनुमति थी ;

(च) नियमागत अवधि १९५०–५५ में चाय की खेती बढ़ाने के लिये कितने क्षेत्र की अनुमति थी ;

(छ) उक्त समय में बढ़ाने के लिये किन क्षेत्रों में अनुज्ञा दी गई थी ;

(ज) ३१ मार्च, १९५३ तक वास्तव में बढ़ाया गया क्षेत्र ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ज) विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८].**

साबुन

१९९. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय कारखानों में प्रतिवर्ष बनने वाले साबुन का औसत मूल्य क्या है ; तथा

(ख) जनवरी, १९५३ से अक्तूबर १९५३ के अन्त तक कितने मूल्य का साबुन विदेशों से आया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार उद्योग की संघटित इकाइयों द्वारा वार्षिक तैयार की गई साबुन का औसत मूल्य लगभग १८ करोड़ रुपये है ।

(ख) साबुन वर्ग का सामान, जनवरी से सितम्बर १९५३ के बीच लगभग ३१,००० रुपये का मंगवाया गया । अक्तूबर १९५३ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

हाइड्रोग्राफिक सर्वे (समुद्रीय परिमाप)

२००. **श्री अमजद अली :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्वी बंगाल और आसाम की सीमा के सम्बन्ध में, विशेष कर मैमन सिंह तथा रंगपुर जिलों में कोई हाइड्रोग्राफिक सर्वे (समुद्रीय परिमाप) किया गया था ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : नहीं ।

समुद्रीय परिमाप किसी नदी की गहरे पानी की धार की केन्द्रीय पंक्ति का पता लगाने के लिये किया जाता है, जब इसकी बीच धारा सीमा का रूप धारण कर लेती है । आसाम और पूर्वी बंगाल वे रंगपुर और मैमन सिंह जिलों के बीच सीमा के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रश्न खड़ा नहीं हुआ ।

निर्यात

२०१. **चौ० रघुवीर सिंह :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात की वे कौन सी वस्तुएं थीं, जिन पर पहले पाबन्दी लगी हुई थी और १९५२-५३ में जिनके निर्यात की अनुमति मिल गई थीं ?

(ख) वे किन देशों में भेजी गई थीं ?

(ग) १९५२-५३ के बीच इन से कुल कितनी आय हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग), सदन पटल पर विवरण पत्र रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४९]**

विदेश में भारतीय वाणिज्यप्राधिकारी

२०२. **चौ० रघुवीर सिंह :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि विदेशों में कुछ वाणिज्य प्राधिकारी हैं ?

(ख) यदि हां, तो वे कौन से स्थान हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०]**.

औद्योगिक कारखाने तथा सहकारी समितियां का पंजीयन

२०३. **श्री बी० के० दास :** क्या **निर्माण गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कितने कुटीर तथा छोटे स्तर के औद्योगिक कारखानों तथा औद्योगिक सहकारी समितियों ने अब तक सम्भरण तथा व्ययन के महानिदेशक से अपनी वस्तुओं के

सम्भरण के लिये स्वीकृत ठेकेदार के रूप में पंजीबद्ध होने के लिये आवेदन किया है ;

(ख) उन में से कितने पंजीबद्ध किये गये हैं ;

(ग) सम्भरण के लिये कौन सी वस्तुएं दी गई थीं ;

(घ) कौन सी वस्तुएं चुनी गई हैं ; और

(ङ) इन वस्तुओं में से इस वर्ष कुल कितने मूल्य की वस्तुएं खरीदी गई हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १६ ।

(ख) ।

(ग) वस्तुओं की सूची सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट, २, अनुबन्ध संख्या ५१]**

(घ) ब्रास तथा जी० आई० चल-ताला ।

(ङ) ऊपर(ग) में १-४-१९५३ से ३०-९-१९५३ तक वर्णित वस्तुओं के क्रय का कुल मूल्य लगभग ४४ लाख रुपये है ।

असहाय विस्थापित स्त्रियां

२०४. श्री एस० सी० सामन्त : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी असहाय विस्थापित स्त्रियों को दूध-मक्खन के उद्योग और मिठाइयां बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है ?

(ख) उन में से कितनी पूर्वी पाकिस्तान से हैं ?

(ग) व्यापार चलाने और अपना निर्वाह करने के निमित्त उन में से प्रत्येक को कितना रुपया दिया गया है ?

(घ) क्या किसी असहाय स्त्री की भूमि पर विस्तृत सम्पत्ति के साथ बसाने का कोई प्रयत्न किया गया है और यदि ऐसी बात है तो कितनी स्त्रियों को ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : पूर्वी पाकिस्तान से असहाय विस्थापित स्त्रियों के सम्बन्ध में निम्न जानकारी दी जाती है :—

(क) मिठाइयां बनाने में : १४९
दुग्ध मक्खन कार्य में : कोई नहीं

(ख) सब ।

(ग) उनको रुपया नहीं दिया गया है, क्योंकि उन को साधारणतया रैस्टोरैंट्स, कैफेटेरियां और राज्य सरकारों द्वारा चलाये गये उत्पादन केन्द्रों में नौकरी मिल जाती है ।

(घ) जी हां, १५० परिवार ।

पश्चिमी पाकिस्तान से असहाय विस्थापित स्त्रियों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

जर्राही का सामान

२०५. पंडित डी० एन० तिवारी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में जर्राही का सामान बनाने वाले सार्थों की संख्या ;

(ख) १९५१-५२ और १९५२-५३ में बनाई गई वस्तुओं का मूल्य ; और

(ग) १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में निर्यात का मूल्य ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) देश में आठ कारखाने स्थापित हैं ।

(ख) भारत में बने हुए जर्राही के सामान के मूल्य के सम्बन्ध में ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) लगभग १८ लाख रुपये का जर्राही का सामान १९५२-५३ में मंगवाया गया था । १९५१-५२ के निर्यात आंकड़े उप-

लब्ध नहीं हैं क्योंकि यह सामान अप्रैल १९५२ से पहले विदेश निर्यात व्यापार विवरणिका में पृथक वस्तु के रूप में नहीं दिखाया गया था।

दक्षिण पूर्व एशिया को निर्यात

२०६. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दक्षिण पूर्व एशिया के देश, जहां भारतीय वस्तुएं भेजी जाती है ; और

(ख) भारत में इन देशों में १९५२-५३ में भेजी गई महत्वपूर्ण वस्तुएं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :

(क) बर्मा
इंडो चाइना
ब्रिटिश बोर्नियो
फिलिपाइन्ज
थाईलैंड
मलाया
सिंगापुर
इंडोनेशिया

(ख) सूती कपड़े, पटसन की चीजें, कोयला, फल और सबजियां, तंम्बाकू बीज, लाख और विविध धातु की वस्तुएं।

कपड़े के कारखानों का बन्द होना

२०७. **श्री भागवत झा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

कपड़े के कारखानों की संख्या, जिन्होंने सितम्बर १९५३ से अपनी दूसरी पारी बन्द कर दी हैं;

(ख) ऐसे कपड़े के कारखानों की संख्या, जो पूर्णतया बन्द हो गये हैं;

(ग) प्रत्येक मामले में ग्रस्त कर्मकरों की संख्या;

(घ) इस प्रकार बन्द होने के क्या कारण समझे जाते हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (घ) सदन पटल पर विवरण पत्र रखा गया है ॥

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५२]

शुक्रवार,
२७ नवंबर, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार, २७ नवम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२—२५ म० प०

सदन का कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय : सदन को मैं यह सूचना दे दूं कि वैधानिक कार्य के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कल मैंने जो घोषणा की थी उसमें मैंने कहा था कि कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक के लिये दो घंटे निर्धारित किये गये हैं। इसके स्थान पर एक घण्टा ही होना चाहिये। सही स्थिति यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक के लिये एक घण्टा निर्धारित किया गया है जिसका पहले से ही सूचनापत्र में उल्लेख कर दिया गया है।

पटल पर रखे गए पत्र

पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ सामान्य खण्ड अधिनियम

पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ भूधारण तथा कृषि भूमि अधिनियम

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ विधान सभा (सत्ता का दिया जाना) अधिनियम १९५३ की धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन निम्न अधिनियमों में से प्रत्येक की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) पेप्सू सामान्य खण्ड अधिनियम १९५३ (राष्ट्रपति के अधिनियम १९५३, सं० ७) **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एस—१७१/५३]** और

(२) पेप्सू भूधारण तथा कृषि भूमि अधिनियम (राष्ट्रपति के अधिनियम १९५३, संख्या ८) **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस—१७२/५३]**।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सदन औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने के विधेयक पर आगे विचार करेगा। खण्ड २ समाप्त हो गया है। अब हम खण्ड ३ लेंगे।

खण्ड ३—नये अध्याय ५ क को प्रविष्ट करना

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति २९ में, "and forty" (और चालीस) ये शब्द हटा दिये जायं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति ३५ से ३७ में "under an agreement or as permitted

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

by standing orders made under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (XX of 1946)." [किसी करार के अधीन या औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ (१९४६ का २०) के अंतर्गत बनाये गये स्थायी आदेशों द्वारा अनुमति दी गई हो उस प्रकार] इन शब्दों के स्थान पर "or locked out, or the period for which he has been suspended, or wrongfully discharged or dismissed." (या तालाबन्दी के कारण बाहर रहा हो, या वह कालावधि जिसके लिये वह निलम्बित किया गया हो या गलत तरीके से निकाला गया हो या बर्खास्त किया गया हो) ये शब्द रखे जायं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४ में पंक्तियां ३७ से ४४ तक को हटा दिया जाय।

श्री के० क० देसाई (हालर): मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ५, पंक्ति ७ में "gratuity" (उपदान) शब्द के स्थान पर "Compensation" (प्रतिकर) शब्द रख दिया जाय।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं :

श्री वी० वी० गिरि द्वारा प्रस्तावित संशोधन में जो सूची संख्या २ में संख्या ३७ है, "25A to 25E inclusive" (जिस में २५ क से २५ ङ तक सम्मिलित है) "25A, 25C, 25D, and 25E" (२५ क, २५ ग, २५ घ तथा २५ ङ) ये शब्द रखे जायं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति २९ में "industrial establishment" (औद्योगिक प्रतिष्ठान) के स्थान पर "industry" (उद्योग) शब्द रख दिया जाय।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति ३१ में "establishment" (प्रतिष्ठान) शब्द के स्थान पर "industry" (उद्योग) शब्द रख दिया जाय।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति ३३ में "establishment" (प्रतिष्ठान) के स्थान पर "industry" (उद्योग) शब्द रख दिया जाय।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४, पंक्ति ४६ में "workman" (श्रमिक) शब्द के स्थान पर "workman employed in any industry" (किसी उद्योग में नियोजित श्रमिक) ये शब्द रखे जायं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं :

श्री वी० वी० गिरि द्वारा प्रस्तावित संशोधन में जो सूची संख्या २ में संख्या ६३ है, प्रस्तावित उपधारा २ में "the provisions of any law" (किसी विधि के उपबंधों) के स्थान पर "the provisions of any other law" (किसी अन्य विधि के उपबंधों) ये शब्द रखे जायं।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ३ में पंक्ति २५ के पश्चात् निम्न व्याख्या जोड़ी जाय :

"**Explanation.**—In section 25A to 25E inclusive, 'industrial establishment' means a factory as defined in clause (m) of section 2 of the

Factories Act, 1948 (LXIII of 1948) and includes a mine as defined in clause (j) of section 2 of the Mines Act, 1952 (XXXV of 1952)."

["व्याख्या--धारा २५ क से २५ ङ तक (दोनों को मिला कर) में औद्योगिक प्रतिष्ठान का अर्थ है एक कारखाना जैसा कि कारखाना अधिनियम १९३८ (१९३८ के ६३) की धारा २ के खण्ड (ङ) में परिभाषित है और उसमें खान भी सम्मिलित है जैसे कि खान अधिनियम, १९५२ (१९५२ के ३५) की धारा २ के खण्ड (ञ) में परिभाषित है।"]

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति ३७ में, "(XX of 1946) (१९४६ के २०)" के पश्चात् निम्न शब्द प्रविष्ट किये जायें :

"Or under this Act or under any other law applicable to the industrial establishments the largest number of days during which he has been so laid-off being taken into account for the purposes of this clause."

["अथवा इस अधिनियम के अधीन या औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होने वाली किसी भी अन्य विधि के अधीन, इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, जिन दिनों उसे बेकार रहना पड़ा होगा उनकी अधिकतम संख्या ली जायगी।"]

(३) पृष्ठ ३, पंक्ति ३८ में "wages" (मजूरी) शब्द से पूर्व "full" (पूरी) शब्द प्रविष्ट किया जाये।

(४) पृष्ठ ४, में पंक्ति ११ से १३ तक के स्थान पर निम्न परन्तुक रखे जायें।

Provided that

(a) the compensation payable to a workman during any period of twelve months shall not be for more than forty-five days except in the case specified in clause (b),

(b) if during any period of twelve months, a workman has been paid compensation for forty-five days and during the same period of twelve months he is again laid-off for further continuous periods of more than one week at a time, he shall, unless there is any agreement to the contrary between him and the employer, be paid for all the days during such subsequent periods of lay-off compensation at the rate specified in this sub-section:

Provided further that it shall be lawful for the employer in any case falling within clause(b) of the first provision to retrench the workman in accordance with the provisions contained in section 25F, any compensation paid to the workman for having been laid-off during the preceding twelve months being set off against the compensation payable for retrenchment."

["परन्तु

(क) किसी श्रमिक को जो प्रतिकर बारह मास की किसी कालावधि में दिया जावेगा

[श्री वी० वी० गिरि]

वह खण्ड (ख) में उल्लिखित मामले को छोड़ कर पैंतालीस दिन से अधिक न होगा ;

(ख) यदि बारह मास की किसी कालावधि में किसी श्रमिक को पैंतालीस दिन के लिये प्रतिकर दिया जा चुका है और बारह मास की उसी कालावधि में वह एक ही समय पर एक सप्ताह से अधिक के निरंतर काल तक बेकार हो जाता है तो उसे, जब तक कि उसके और नियोजक के बीच कोई विपरीत करार न हो, बेकारी की अनुवर्ती कालावधियों में के सभी दिनों के लिये इस उपधारा में उल्लिखित दर पर प्रतिकर दिया जायगा;

परन्तु यह भी शर्त है कि प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन किसी मामले में नियोजक के लिये यह विधि संगत होगा कि वह धारा २५ च में किये गये उपबंधों के अनुसार उस श्रमिक की छंटनी कर दे, और विगत बारह मासों में श्रमिक को बेकारी के लिये यदि कोई प्रतिकर दिया गया हो तो वह छटनी के बदले में देय प्रतिकर में से घटा दिया जायगा ।"]

(५) पृष्ठ ४, पंक्ति ३१ में "laid-off" (बेकार) शब्द के पश्चात--

"or in any other establishment belonging to the same employer situate in the same town or village or situate within a radius of five miles from the establishment to which he belongs,"

["अथवा उसी नियोजक के किसी अन्य प्रतिष्ठान में जो उसी नगर या गांव में स्थित हो या उस प्रतिष्ठान से जिसमें वह श्रमिक है पांच मील के अन्दर-अन्दर हो",]

ये शब्द प्रविष्ट किये जायें ।

(६) पृष्ठ ५, पंक्ति ७ में "gratuity" (उपदान) शब्द के स्थान पर "compensation" (प्रतिकर) शब्द रखा जाय ।

(७) पृष्ठ ५, पंक्ति १२ से १४ तक में

"Where any workman, who is a citizen of India, is to be retrenched and he belongs to a particular class of workmen," ["जहां कोई श्रमिक जो भारत का नागरिक है छंटनी में निकाला जाना है और वह श्रमिकों की एक विशेष श्रेणी का है",] इन शब्दों के स्थान पर "where any workman in an industrial establishment who is a citizen of India, is to be retrenched and he belongs to a particular category of workman in that establishment," ("जहां किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई श्रमिक जो भारतीय नागरिक है छंटनी द्वारा निकाला जाना है और वह उस प्रतिष्ठान में श्रमिकों की किसी विशेष श्रेणी का है",) ये शब्द रखे जायें ।

(८) पृष्ठ ५, पंक्ति १७ में "class" के स्थान पर "category" शब्द रखा जाय ।

(९) पृष्ठ ५ में पंक्ति पैंतीस से अड़तीस के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें —

"(2) For the removal of doubts, it is hereby declared that nothing contained in this Chapter shall be deemed to affect the provisions of any law for the time being in

force in any State in so far as that law provides for the settlement of industrial disputes, but the rights and liabilities of employers and workmen in so far as they relate to lay-off and retrenchment shall be determined in accordance with the provisions of this Chapter."

["(२) सन्देहों को दूर करने के लिये, यह एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि इस अध्याय की किसी बात का प्रभाव किसी ऐसी विधि पर नहीं समझा जायेगा जो कि तत्समय किसी राज्य में प्रवर्तन में हो जहां तक कि वह विधि औद्योगिक विवादों के निबटारे की व्यवस्था करती हो, परन्तु बेकार होने और छंटनी किये जाने के सम्बन्ध में नियोजकों और श्रमिकों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार होगा ।

उपर्युक्त संशोधन के अतिरिक्त सर्व श्री सुभद्रा जोशी, वी० पी० सिन्हा, एस० एस० मोरे, भागवत झा, के०पी०त्रिपाठी, ए० एन० विद्यालंकार, के० के० देसाई, टी० बी० विट्ठल राव ने संशोधन प्रस्तुत किये।

अध्यक्ष महोदय : इन सभी संशोधनों को प्रस्तुत समझा जाय। अब खंड ३ तथा संशोधनों की साथ साथ चर्चा की जायगी।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : अध्याय ५ (क) में जिन खंडों का उपबन्ध किया जा रहा है उनकी पारस्परिक प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं तथा यह आश्वासन कि इस विधेयक के उपबन्ध मालिकों के निर्णयों के फलस्वरूप प्रभाव रहित तो नहीं हो जाएगें।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस विधेयक में लाखों कर्मचारियों के भाग्य निहित हैं; मैं आपका ध्यान २५ (१) के पैराग्राफ २ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस बात का आश्वासन देंगे कि इस विशेष उपबन्ध का पूरा पूरा पालन किया जायगा और किसी भी स्थिति में इससे अलग नहीं होंगे । यदि इसकी तुलना उपबन्ध २५ (ङ) (१) से की जाती है तो आप देखेंगे कि कठिनाई आती है । उदाहरण के लिये शिपयार्ड का मामला हमारे सामने है । कुछ महीने पूर्व वहां हड़तालें हुई हैं, मध्यस्थता की कार्यवाही की गई; उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महाजन ने इसमें भाग लिया ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री महाजन का पंचाट हमारे सामने है, उससे यह स्पष्ट हो जायगा कि मालिक किस प्रकार कर्मचारियों पर दबाव डालते हैं । कर्मचारियों को सभी काम करने पड़ते हैं चाहे वे उनके व्यवसाय से कुछ भी सम्बन्ध न रखते हों ।

प्राय: देखा गया है कि इस विधेयक के पास होने के पूर्व भी मालिकों ने अध्यादेश का प्रयोग इस प्रकार किया है कि प्रविधिक कार्य करने वालों से शारीरिक कार्य लिया है । अतएव मैं माननीय श्रम मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि प्रत्येक संस्थापन तथा नौकरियों के स्थानों में जहां कि श्रमिकों को वर्गों में बांटा गया है, उन सभी श्रेणियों से सम्बन्धित समझौते एवं पंचाटों का जहां तक सम्बन्ध है उनमें २५ (ङ) के अन्तर्गत परिवर्तन नहीं किया जायगा जब कि इस उपबन्ध में मालिकों को कर्मचारियों को कोई भी काम देने के सम्बन्ध में बड़े ही विस्तीर्ण अधिकार हैं और

[डा० लंका सुन्दरम्]

जब एक कर्मचारी उस काम को स्वीकार नहीं करता तो उसे क्षतिपूर्ति पाने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मेरा पहला संशोधन यह है कि २५ क (ख) पंक्ति २ में 'or' (अथवा) के स्थान पर 'and' (और) कर दिया जाय । ताकि इसके सामयिक होने की घोषणा होने के पूर्व इन दोनों विशेष बातों को आजमाया जा सके; यदि यह नहीं किया जाता तो इनमें से प्रत्येक मामले में एक उद्योग को सामयिक कहा जा सकता है जो कि गलत होगा । कुछ उद्योग ऐसे हैं जहां कुछ कार्यों को सामयिक कार्यों के रूप में किया जाता है किन्तु उन उद्योगों को समष्टि रूप से स्थायी कहा जाता है । इन मामलों में काम की दृष्टि से उन्हें सामयिक उद्योग नहीं कहा जा सकता । अतएव मेरा कहना है कि जब एक कारखाना, अथवा संस्थापन अथवा उद्योग नितान्त रूप से सामयिक है तभी उसे सामयिक कहा जाय अन्यथा नहीं । मैं समझता हूं कि यह सभी को मान्य होगा ।

मेरा संशोधन संख्या ३८ सरकारी संशोधन के बारे में है । सरकार का यह संशोधन 'औद्योगिक संस्थापन' के निर्वचन के बारे में है । सरकार इसका निर्वचन बहुत ही सीमित रूप में करना चाहती है । इसका तात्पर्य यह होगा कि केवल कारखाने तथा खानें ही इस अधिनियम के अधीन आयेंगी किन्तु मैं इसमें बागान को भी सम्मिलित करना चाहता हूं जैसा कि इन बागानों की परिभाषा 'बागान' अधिनियम १९५१ में की गई है । दलों के बीच हुए समझौते को पढ़ने से जिस पर कि यह विधेयक आधारित है, मैं तो नहीं समझता कि इसे इतना सीमित किया जाय । यह समझौता समय समय पर चलने वाले तथा सामयिक उद्योगों को छोड़ कर शेष सभी उद्योगों के लिए लागू है। यह कहा जा सकता है कि बागानों को इस चर्चा में सम्मिलित नहीं किया गया था । जहां तक इस समझौते की बात है वहां बागानों में छुट्टी के सम्बन्ध बागान वाले राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस समझौते की शर्तों को नहीं माना था, किन्तु दूसरी ओर कर्मचारियों की कमी करने एवं उनको अलग करने की नीति को आसाम के प्रतिनिधि श्री चेट्टियार ने मान लिया था; तब फिर बागानों को निकालने का अधिकार माननीय मंत्री जी को कहां से मिला । अतएव माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे ।

इस प्रश्न के बारे में कि इन बगानों को सम्मलित किया जाय अथवा नहीं, इसके सम्बन्ध में मैं 'रेज समिति' के प्रतिवेदन की ओर निर्देश करता हूं । यह प्रतिवेदन १९४६ में प्रकाशित हुआ था । प्रतिवेदन में कहा है कि बागानों में साधारण रूप से बेकारी की कोई समस्या नहीं है । इससे प्रकट होता है कि यह सदैव चालू रहने वाले उद्योग हैं और न कि सामयिक । इस विधेयक में एक उपबन्ध है कि यह आक्समिक कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है अपितु यह तो केवल स्थायी कर्मचारियों के लिए ही है । प्रत्येक बगानों में स्थाया कमचारियों को स्थायी रूप से रखा जाता है, तो फिर ऐसा कोई कारण तो नहीं दिखाई पड़ता कि यह बगानों के लिए लागू न हो । दूसरी बात इस प्रतिवेदन में यह कही गई है कि जब एक कर्मचारी को अलग किया जाता है, तो उनको कुछ ऋण दिया जाना चाहिए ।

यह सुझाव सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने सन् १९४६ में दिया था । अतएव सरकार आज यह नहीं कह सकती कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते । सन् १९४६ में ये सुझाव दिये गये थे और बाद को एक सम्मेलन में इन्हें

मान लिया गया था कि इन्हें बागानों के लिये भी लागू किया जाय तब फिर क्या कारण हो सकता है कि इन्हें बागानों के लिए लागू नहीं किया गया।

इस उद्योग की आर्थिक स्थिति भी अच्छी रही है, नियमित रूप से १५ प्रतिशत, १८ प्रतिशत, २५ प्रतिशत, तथा २८ प्रतिशत आदि आदि का लाभांश इन्होंने दिया है। यहां तक कि पिछले वर्ष १५० प्रतिशत से ३०० प्रतिशत तक लाभांश देने की घोषणा की गई है, अतएव इसकी देय क्षमता भी मानी हुई है। लाभांश एंव लाभों को बांटने के लिए इस उद्योग के भिन्न भिन्न ढंग हैं। यह अपने प्रबन्धकों को घर जाने की सवैतनिक छुट्टी निवृत्ति वेतन आदि देते हैं जिसके लिए उनके यहां भिन्न भिन्न रक्षित कोष हैं। वे अपने यहां इसी लिये ये भिन्न भिन्न कोष रखते हैं ताकि कम लाभ वाले वर्ष में भी वे लाभांश दे सके। इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के भत्ते जैसे महंगाई, निवृत्ति वेतन, छुट्टियों के लिए मनोरंजन भत्ता आदि आदि देते हैं। यदि आप इस उद्योग के भागों का बाज़ार भाव देखें तो भारतवर्ष के अन्य उद्योगों की अपेक्षा इसके भागों की दर सबसे अधिक आपको मिलेगी। तब फिर क्या कारण है कि इस उद्योग को अलग रखा जाय। यह उद्योग अपने कर्मचारियों को १२ महीने के लिए रखते हैं। फिर उस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया था कि बागानों को भी सम्मिलित किया जाय। मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसा भी कारण है कि इन्हें सम्मिलित न किया जाय।

संशोधन संख्या ४० में पृष्ठ ३ पंक्ति २९ में "and forty" (और ४०) को निकाल दिया जाय ताकि २४० दिनों के स्थान पर २०० दिन पढ़ा जाय। हमारा अनुभव है कि यह भुगतान करने के लिये यह उपबन्ध किया गया है। जहां तक नौकरी से अलग करने के भुगतान की बात है वह तो एक प्रकार से सहायता भत्ता है अतएव जितने कम दिन होंगे उतना ही अच्छा है। नौकरी करन के दिनों का हिसाब लगा कर, मैं समझता हूं कि २०० दिन ठीक रहेंगे और २४० दिन बहुत हो जायेंगे। क्योंकि यदि २४० दिन रखे जाते हैं तो लगभग सभी अथवा कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या काम करने से रह जायगी। अतएव मैं समझता हूं कि यह संख्या २०० दिन ठीक रहेगी।

संशोधन संख्या ४१ के बारे में--मैं निलम्बन काल, अनुचित रूप से निकाला जाना अथवा पदच्युत काल जारी करना चाहता हूं। जब एक उद्योग में इस प्रकार की बातें होती हैं तो मामला न्यायाधिकरण को. जाता है और अधिक समय तक मामला निलम्बित किया जाता है और जब कर्मचारियों को नौकरी में ले लिया जाता है तो उन्ह फिर से भुगतान किया जाता है। कभी कभी उनको भुगतान भी नहीं किया जाता। ऐसे मामलों में इसे लागू किया जाय।

अब मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या ४५ को लेता हूं। इसमें अलग करने का सिद्धान्त है। कमी के समय दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के विरुद्ध थोड़े समय के लिए अलग करने की क्षतिपूर्ति को समाप्त करना है। मैं इस सिद्धान्त का विरोध करता हूं क्योंकि मेरा अनुभव है कि इन दोनों के रखने के कारण भिन्न भिन्न हैं। थोड़े समय के लिए अलग किये जाने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का अभिप्राय उस अलग किये जाने वाले समय में उसकी सहायता करना है जबकि नौकरी से अलग करने के समय दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का अभिप्राय दूसरी नौकरी पाने तक उसे उसके लिए तैयार करना है। अतएव यह प्रकट है कि थोड़े दिनों के लिए अलग किये गये समय में उसने उस धन को समाप्त कर

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

लिया है अतएव उस धन को दूसरी नौकरी पाने तक के लिए उसकी तैयारी में खर्च नहीं किया जा सकता । अतएव सिद्धान्त के रूप में इसे नहीं लागू करना चाहिए । समझौते में भी यह बिल्कुल नहीं था । अतएव यह प्रकट है कि यह दाद को किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क की चतुरता है । अतएव मैं इसका कि एक क्षतिपूर्ति को दूसरी क्षतिपूर्ति के विरुद्ध समाप्त कर दिया जाय विरोध करता हूं । किन्तु समझौते के लिए मैंने कहा है कि पहले ४५ दिनों के लिए उसे थोड़े समय के लिए अलग करने की क्षतिपूर्ति मिले, किन्तु यदि उसी वर्ष ४५ दिनों के बाद वह फिर भी अलग रहता है तो यह सम्भव है कि उसे फिर कमी में आने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति दी जाय ।

किन्तु मैंने यह केवल समझौते की दृष्टि से ही कहा है, वैसे सिद्धान्त की दृष्टि से इस सिद्धान्त का विरोध करता हूं कि यह सिद्धान्त विधान में सम्मिलित न किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उसे ४५ दिन से अधिक समय के लिए नौकरी से अलग रखा जाता है तो क्या क्षतिपूर्ति देने का कोई उपबन्ध है ?

श्री के० पी० त्रिपाठी : संशोधन में उपबन्ध है । और वह एक समय में एक सप्ताह के लिए है ।

अब मैं संशोधन संख्या ४८ लेता हूं । खंड २५ (ङ) (१) पंक्ति ३२ में एक वाक्यांश है "In the opinion of the employer" (मालिक के विचार से) मैं इस वाक्यांश को निकालना चाहता हूं । इस वाक्य को निकाल देने के उपरांत भी बात वही रहेगी । गुणिता के आधार पर कार्य होना चाहिए । मालिकों की इच्छा पर अथवा उनकी इच्छानुसार कार्य नहीं होना चाहिए । यदि मालिक अपनी इच्छानुसार कार्य करता है तो यह मामला न्यायाधिकरण तथा इस प्रकार की बातचीत हो सकता है । किसी तीसरे दल को यह अधिकार नहीं होगा कि वह कह सके कि नहीं यह ऐसी बात नहीं थी । अतएव 'मालिक के विचार से' वाक्य मालिक को यह अधिकार देता है कि वह अपनी इच्छानुसार कार्य कर सके । किन्तु यदि यह गुणिता के आधार पर भी किया जाता है तो यह हो सकता है कि कर्मचारी इसको स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे । यदि वैकल्पिक नौकरी के सम्बन्ध में झगड़ा फिर भी चलता है तो आदेश को बाद में निरस्त किया जा सकता है । अतएव यह मौखिक परिवर्तन है जो प्रारूप में सुधार करेगा, और विधयक को उस स्थिति में रखेगा जिसमें कि इसे रखने का उद्देश्य था ।

अब मैं संशोधन संख्या ४९ लेता हूं । खंड २५ (छ) के बारे में माननीय मंत्री जी के प्रस्तुत संशोधन द्वारा इसमें कुछ सुधार करने का प्रयत्न किया गया है । उनका कहना है कि 'class' (वर्ग) के स्थान पर 'category' (श्रेणी) कर दी जायगी । मैं तो नहीं समझता कि वर्ग के स्थान पर श्रेणी कर देना ही काफ़ी होगा ।

एक टेकनिकल मजदूर किसी केवल शारीरिक काम पर लगाया जाता है । उस शारीरिक काम के लिये किसी विशेष प्रवीणता की आवश्यकता नहीं होती । अतः मैंने यह रखा है :

"परन्तु साथ ही वह बैकल्पिक कार्य मज़दूर को उस की स्थिति से गिराता हो ।"

यदि यह स्वीकार कर लिया गया तो मालिक लोग मजदूर को कोई ऐसा कार्य न दे सकेंगे जो उसे उसकी स्थिति से गिराये ।

अब मैं संशोधन संख्या ५० पर जाता हूं। यह (२) से (४) तक के उप-खंडों को हटाने के लिये है। उप-खंड (२) में कहा गया है :

"यदि वह काम के घंटों के बीच एक दिन में एक बार भी काम पर निश्चित समय पर नहीं जाता है ; "

मैं देखता हूं कि यह स्थाई समिति में स्वीकृत नहीं हुआ था। मुझे कोई युक्ति युक्त कारण दिखाई नहीं देता कि यह ऐसा क्यों होना चाहिए। मैं समझता हूं कि मालिक लोगों नें यह केवल डाह होने के कारण रखा है। जब कोई काम से हटाया जाता है तो उसे निर्माणशाला में प्रति दिन क्यों आना चाहिए। यह बेकार ही है। मैं समझता हूं कि यदि यह हटा दिया जाता है तो इससे उस मज़दूर की स्थिति सुधरेगी जो काम से हटा दिया जाता है। वेतन के स्थान पर आप उसे क्षतिपूर्ति का केवल ५० प्रतिशत देते हैं। वास्तव में वह पूरे कोटे का अधिकारी है। यह स्वयं मालिक के हित के विरुध है। यह समस्त दृष्टिकोणों से समस्त उत्पादन उद्देश्यों के लिये आवश्यक है। अतः यह उपवन्ध नहीं रखा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्री त्रिपाठी का सुझाव स्वीकार होता है तो मज़दूर किसी अन्य निर्माणशाला में पूर्ण-समय का काम कर सकता है और अपना पूर्ण वेतन ले सकता है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : फिर वह वापस नहीं आयगा। परन्तु उसे यहां जो क्षतिपूर्ति मिलती है वह उसे अन्य काम पर जाने से रोकती है। समझौते के १०वें मद में कहा गया है कि उन दिनों के लिये कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी जिनमें मज़दूर ने और कहीं काम किया हो। यहां कहा जाता है कि वह कहीं और नहीं जा सकता। यह ठीक है कि यदि एक व्यक्ति एक स्थान पर कमाता है तो उसे दुबारा भुगतान नहीं होना चाहिए। अस्तु यहां तो कहा जाता है कि वह बिल्कुल न कमायेगा। क्या इसमें कोई युक्ति है। जब समझौता इस बात पर हुआ था कि यदि एक मज़दूर आधा वेतन कमाता है तो उसे आधा वेतन दिया जाना चाहिए और यदि पूरा वेतन कामाता है तो कुछ न मिलना चाहिए। तो अब यह परिवर्तन करने की आवश्यकता क्या है ?

उप-खंड (३) में कहा गया है कि "यदि वह कहीं और काम करता है तो उन दिनों के लिये जब वह वहां काम करता है"। वहां यह रखा गया है। यदि वह केवल छः आने कमाता है, और उसकी मज़दूरी एक रु० है, तो क्या उसे क्षतिपूर्ति के लिये मना करनां उचित होगा ? क्या यह न्याय है ? विधेयक का प्रारूप श्रम विभाग ने मज़दूरों के विरुध बेगार टालने की दृष्टि से किया है। यह आश्चर्यजनक है।

उप-खंड (४) में कहा गया है कि यदि इस प्रकार काम से हटाना हड़ताल या निर्माण-शाला के अन्य भाग में मज़दूरों की ओर से उत्पादन में कमी होने के कारण हैं। यह एक झगड़ाग्रस्त उत्तरदायत्व है और हम इसे सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यदि मज़दूर ने स्वंय ऐसा किया है तो उसे दंड मिलना चाहिए परन्तु उसने यदि स्वयं ऐसा नहीं किया है तो उसे दंड नहीं मिलना चाहिए।

अब मैं अपने संशोधन संख्या ५३ पर आता हूं। परन्तुक में मैं ने सुझाव दिया है कि शब्द "नवीकरण का विकल्प के बिना" जोड़ दिये जायें। बहुत से काम ठेके पर कराय

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

जाते हैं ऐसी प्रत्येक ठेके की नौकरी में ठेके का यह परन्तुक होता है कि मजदूर को अपनी इच्छा पर नवीकरण करने का अधिकार होगा। यदि ऐसा परन्तुक होता है तो उसकी नौकरी निरन्तर चलती है और यदि मालिक उसे काम से हटाना चाहता है तो मजदूर को क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी । इसके अतिरिक्त, यदि इच्छा का खंड है तो मजदूर को अपनी विकल्प करने का अधिकार होना चाहिए । यदि वह विकल्प नहीं करता है उसकी नौकरी समाप्त हो जाती है ।

अब मैंने अपने संशोधन संख्या ६० में प्रस्ताव दिया है कि २५ छ में अन्तिम दो पंक्तियों को हटा दिया जाये । छंटनी का सिन्द्धात यह है कि अन्त में आने वाला पहिले जाये । यहां आप मालिक को इस सिद्धान्त का पालन न करने का अधिकार दे रहे हैं । क्या ऐसा करन में आप ठीक कर रहे हैं । आप कहते हैं कि "रिकार्ड किये जाने वाले कारणों के लिये।" परन्तु इसका कोई माप नहीं है कि ऐसे कारण उचित हैं या नहीं क्योंकि इसमें केवल मालिक ही पंच होता है । अतः ये हटा देनी चाहिए :

उपाध्यक्ष महोदय : अर्थात बिना कारण के वह काम से हटा सकता है ?

श्री के० पी० त्रिपाठी : 'पीछे आना पहिले जाना' सिद्धान्त है । यदि मालिक कारण का रिकार्ड करता है तो वह बड़ी सुगमता से सिद्धान्त का उल्लंघन कर सकता है । परन्तु उसे ऐसा नहीं करना चाहिए ।

अपने संशोधन संख्या ६२ के अनुसार मैं चाहता हूं कि यहां "सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में जैसा निश्चित किया गया हो" जोड़ दिया जाये ।

अब मैं अपने संशोधन संख्या ११५ पर आता हूं । यह सरकारी संशोधन का एक संशोधन है । मेरा प्रस्ताव यह है कि सरकारी संशोधन के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायें : "जब तक अन्यथा प्राप्त क्षतिपूर्ति अधिक न हो" । कभी ऐसा होता है कि मालिक लोग सहानुभूति प्रदर्शक अस्थाई छंटनी करते हैं । जब वे ऐसी छंटनी करते तो सब उद्योग उसका अनुसरण करने लगते हैं । उदाहरण के लिये चाय उद्योग को लीजिये । वहां अस्थाई छंटनी हुई थी और फिर उन्होंने आपकी विधि के रूप में ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति करना स्वीकार कर लिया । आप कहते हैं कि वे हटा दिये गये थे । यदि हम यह सिद्ध कर दें कि वह सहानुभूति प्रदर्शक अस्थाई छंटनी थी तो हमें पूर्ण क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होगा । कोई भी औद्योगिक न्यायालय हमें पूर्ण क्षतिपूर्ति देगा । यहां तक कि यदि मेरे माननीय मित्र श्री वी० वी० गिरि भी देते यदि वह वहां होते.....

श्री वी० वी० गिरि : पूर्ण क्षतिपूर्ति ही नहीं अपितु ड्योढी ।

श्री एस० एस० मोरे : यदि आप मंत्री न होते ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : अतः मैं इस प्रकार की अस्थाई छंटनी के लिये निवेदन करता हूं, आप उसके लिये क्या व्यवस्था करते हैं । यदि आप कहते हैं "होगा" तो मजदूर लाचार होगा और मालिक लोग मनमानी करेंगे । यदि उसे न्यूनतम क्षतिपूर्ति का अधिकार मिलता है तो वह ५० प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए । अतः मैं श्री. वी० वी० गिरि से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रश्न पर भी विचार करें ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, धारा २५क के खंड (ख) के अर्थों निर्णय के सम्बन्ध में मुझे कुछ आपत्ति है । इसमें

कहा गया है कि यह विशेष खंड ऋतुकालीन निर्माणशालाओं पर लागू नहीं होगा । जहां तक मुझे विदित है, शब्द 'ऋतुकालीन' की परिभाषा कहीं भी नहीं की गई है । शब्द ऋतुकालीन का क्या अर्थ है और इसका समय कितना लम्बा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या निर्माणशाला अधिनियम में कोई परिभाषा नहीं है ?

श्री एस० एस० मोरे : मैं पृष्ठ ७५ का निर्देश कर रहा हूं जहां कहा गया है कि "हमने आंकड़े एकत्रित करने का प्रयत्न किया है, परन्तु ऋतुकालीन निर्माणशालाओं की परिभाषा में कुछ संदेह होने के कारण ठीक आंकड़े देना असम्भव है" । यह सन्देह होने पर भी, उन्होंने अपने आंकड़ों का वर्गीकरण किया और कुछ निर्माणशालाओं का ऋतुकालीन निर्माणशालाओं की श्रेणी में रख दिया । मेरा निवेदन यह है कि बिना किसी निश्चित परिभाषा के, किसी निर्माणशाला को ऋतुकालीन बनाना संकटमय है क्योंकि ऐसा होने से मालिक लोगों को उन उत्तरदायित्वों से सर्वथा छुट्टी मिल जाती है जो यह विशेष खंड उन पर लगाता है । अतः कोई भी निर्माणशाला कह सकती है कि मैं ऋतुकालीन निर्माणशाला हूं । दूसरे उपबन्ध में कहा गया है कि जिस में काम लगातार नहीं होता है । उत्तरदायत्वों से बचने के लिये कोई भी निर्माणशाला कभी कभी बन्द रह कर, कह सकती है कि वह लगातार काम नहीं कर रही है । मेरा निवेदन यह कि इस पर विधान बनाने वाले सरकारी व्यक्ति द्वारा और विचार किया जाना चाहिए : अतः "और जिन्हें आवश्यक पूछ ताछ के पश्चात्, निश्चित अधिकारी ने इस धारा की सुविधा के अधिकार का प्रमाणपत्र दे दिया है," जोड़ने के लिये मैंने एक संशोधन संख्या ७९ रखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसकी यहां व्यवस्था नहीं की गई है ? धारा २५क (२) को देखिये । प्रश्न का निर्णय यथोचित सरकार द्वारा किया जायेगा ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं यह जानता हूं यथोचित सरकार के निर्णय कई बार न्यायिक निर्णय नहीं होते हैं । वे प्रशासकीय निर्णय होते हैं और इनके अनुसार उन पर कोई वैधानिक उत्तरदायित्व नहीं होता कि वे अन्य सम्बन्धित मामलों की सुनवाई करें । मैं चाहता हूं कि इसका निर्णय न्याय सम्बन्धी अधिकारी द्वारा हो । उदाहरण के लिये नीति नियमों को लीजिये । इन में उच्चपदाधिकारियों को वेतन और पूंजी में भागीदारों को लाभांश पूर्ण वर्ष का मिलता है, परन्तु बिचारे मजदूरों को केवल उस समय तक वेतन मिलता है जब तक वे काम करते हैं । क्योंकि यह एक ऋतुकालीन निर्माणशाला है ।

अब धारा २५छ पर आता हूं । इसमें छंटनी का ढंग निश्चित किया गया है । इसमें कहा गया है "...मालिक तथा मजदूर के बीच कोई समझौता न होने पर..." परिणाम यह है कि यदि दो दलों में कोई समझौता है, तो यह खंड लागू नहीं होगा और अन्तिम व्यक्ति प्रथम व्यक्ति के रूप में रह सकता है और प्रथम व्यक्ति काम से हटाया जा सकता है । मैंने एक संशोधन रखा है "न होने पर" शब्दों के बजाय यह इस प्रकार होना चाहिए "मालिक तथा मजदूर के बीच कोई समझौता होते हुए" ।

अब मैं इस भाग पर आता हूं "जब तक रिकार्ड दिये जाने वाले कारणों के आधार पर मालिक किसी अन्य मजदूर को काम से नहीं हटाता है" । हम मालिकों पर ठीक और सन्तोषजनक कारण बताने का उत्तरदायित्व रखते हैं ताकि उच्चअधिकारी इस निश्चय पर पहुंच जायें कि इस खंड के अन्तर्गत दिया गया यह विशेषाधिकार उचित तथा ठीक ढंग से कार्यान्वित किया गया था

[श्री एस० एस० मोरे]

या नहीं । आप वैधानिक रीति जानते हैं कि जब किसी अधिकारी को बिना किसी शर्त के कारण बताने का अधिकार दिया जाता है तो यह तथ्य है कि केवल इस आधार पर कि कारण बता दिया गया है, कोई उच्चाधिकारी उस प्रकार के निर्णय में हस्ताक्षेप नहीं करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह न्यायालय निर्णय है ?

श्री एस० एस० मोरे : मेरा विचार यही है, यद्यपि मैं तत्काल यह नहीं बता सकता हूं । परन्तु इस सिद्धान्त के आधार उच्च-न्यायालय मना कर देते हैं कि यदि अधिकारी ने कारण बता दिया है, चाहे अच्छा, बुरा···

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे कितना ही अनुचित हो ?

श्री एस० एस० मोरे : चाहे कितना ही युक्तिहीन है यद्यपि न्यायालयों के मामले में नहीं । मैं इसमें भेद रखता हूं क्योंकि न्यायालय दीवानी प्रक्रिया तथा फौजी प्रक्रिया के साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत है । परन्तु जब किसी विशेष अधिकारी को कारण बताने का उत्तरदायित्व दे दिया जाता है तो उच्चाधिकारी उनकी देखरेख के क्षेत्राधिकार में, उस प्रकार के निर्णय में हस्ताक्षेप करने से मना कर देंगे । अतः मेरा निवेदन है कि कारण "सन्तोषजनक" होना चाहिए ताकि देखरेख करने वाला अधिकारी या वैधानिक न्यायाधिकरण कारण के सन्तोषजनक होने की जांच कर सके ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत सरकारी संशोधन ने केवल निर्माणशाला अधिनियम में कथित निर्माण-शालाओं को इस संशोधन विधेयक के अन्तर्गत किया है और खदानों व चाय के बागों को छोड़ दिया है । केवल चाय उद्योग में संकट होने के कारण ने ही सरकार को यह विधान बनाने पर वाध्य किया था और उसी को छोड़ दिया गया है । मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया है ? उदाहरण के लिये, १९५१ का बागान अधिनियम अभी तक लागू नहीं किया गया है । अब चाय मजदूरी को जो थोड़ी सी सुविधा इस संशोधन विधेयक से मिलती, वह संशोधन रख कर हटाई जा रही है । मेरा दृढ़ मत है कि हमारा यह व्यवहार ब्रिटिश पूंजीपतियों के प्रति कमजोर नीति के कारण है । यह शीघ्र समाप्त होना चाहिए ।

अब मैं कोयला खादानों पर आता हूं । मने एक संशोधन रखा है कि खदानों में धरती के नीचे काम करने वाले मजदूरों के लगातार काम करने के दिनों की संख्या २४० से घटाकर १९० कर दी जाये ।

जो संशोधन सरकार ने प्रस्तुत किया है उस से केवल वे कारखाने संशोधक विधेयक के क्षेत्र में आते हैं जिनकी परिभाषा कारखाने तथा खानें अधिनियम में दी गई है और बागान को छोड़ दिया गया है । चाय उद्योग के संकट काल और आन्दोलन के फलस्वरूप इस विधान को लाना पड़ा है । परन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि इन बगान मालिकों के प्रति इतनी सहृदयता क्यों दिखाई जाती है । उदाहरणतः बगान अधिनियम जो १९५१ में अधिनियमित किया गया था अभी तक दो वर्ष बीतने पर भी कार्यान्वित नहीं किया गया । अब बागान श्रमिकों को जो थोड़ी सहायता मिलनी थी वह भी संशोधक विधेयक में नया संशोधन लाकर समाप्त की जा रही है । मुझे पूरा विश्वास है कि यह व्यवहार अंग्रेज पूंजीपतियों के प्रति हमारी निर्बल नीति क कारण है ।

अब मैं कोयले की खानों की ओर आता हूं । मैं ने एक संशोधन रखा है कि भूमि के

नीचे काम करने वाले श्रमिकों की जो कोयले की खानों में काम कर रहे हैं, २४० दिन की निरन्तर सेवा के बजाये १९० दिन रखी जाए। यह कोई नयी मांग नहीं है। भारतीय खानें अधिनियम १९५२ में भी यह दिया गया था।

जिस प्रकार का कष्टपूर्ण, थकावट वाला और सख्त कार्य खानों में होता है उसके आधार पर भी हमें और कम दिन रखने चाहिएं।

क्या इससे काम पर कोई प्रभाव पड़ेगा। कोयले की खान का श्रमिक कपड़ा, कागज, चीनी, सब उद्योगों के श्रमिकों से कम वेतन पाता है परन्तु कर्मकार संचालक को ३००० रुपये वेतन मिलता है। इसका अभिप्राय यह है कि कार्य के दिन घटाये जा सकते हैं और इससे कोई हानि नहीं होगी। कोयले की खानों में प्रबन्ध अभिकरण को समाप्त किया जा सकता है। उदाहरणतः कोयले के मूल्य, वितरण, और उत्पादन पर नियंत्रण है।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : यह समवाय कौन सा है ? कृपया उसका नाम बतायें।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : श्री सिंगेरिणी। इसलिये प्रबन्ध अभिकरण की आवश्यकता नहीं।

कोयले के उद्योग में वर्ष भर में वेतन सहित दो दिन की छुट्टी मिलती है जबकि अन्य उद्योगों में अधिक छुट्टियां मिलती हैं। फिर उन्हें सारे वर्ष में वार्षिक छुट्टी ७ दिन की मिलती है जबकि कारखाने अधिनियम के अधीन १४ या १५ दिन की छुट्टी मिलती है।

बदली के श्रमिकों के लिये उस विशेष वर्ष का ही उपबन्ध है परन्तु कपड़ा उद्योग के ऐसे श्रमिक हैं जो दो अथवा चार वर्ष की सेवा के पश्चात् भी बदली के श्रमिक कहलाते हैं। इसलिये मेरा संशोधन है कि जब बदली का श्रमिक २४ मास में ३६० दिन काम कर ले तो उसे भी वार्षिक अवकाश और छंटनी के समय क्षतिपूर्ति दी जाए।

४ म० प०

कपड़ा उद्योग बहुत लाभ प्राप्त कर रहा है और वह सुगमता से क्षतिपूर्ति दे सकता है। यदि कोई कारखाने और खानें क्षतिपूर्ति न दे सकें तो उन्हें सरकार की सहायता लेनी चाहिए। हानि इत्यादि श्रमिकों पर नहीं पड़नी चाहिए वरन् वह सरकार को सहन करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब ४ बज चुके हैं। जिस दिन विधेयक पर पुनः विचार होगा माननीय सदस्य अपना भाषण पुनः दे सकेंगे।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

पुरःस्थापन की प्रक्रिया

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहता हूं कि उन माननीय सदस्यों को सुविधा प्रदान करने के लिये प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किया गया है, जो बार बार अभ्यावेदन भेजते हैं कि उनके कई बार पुरःस्थापन की पूर्व सूचनायें देने पर भी उन के विधेयक पुरःस्थापित नहीं किये जाते। कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियमों के नियम २५ का संशोधन किया गया है ताकि इन सब विधेयकों के पुरःस्थापन को प्राथमिकता दी जाये। कुछ विधेयक विचारार्थ स्थिति में हैं तो भी इन्हें प्राथमिकता दी जायेगी सिवाए उन विधेयकों के जिन का उद्देश्य विधान को संशोधित करना है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : श्रीमान्, मेरा एक सुझाव है। यह अच्छा होगा कि सूची के आधार पर सरकार पहले ही

[श्री एस० एस० मोरे]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करे अन्यथा हम यहां व्यर्थ वाद विवाद और सार्वजनिक निधि की हानि करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : संभवतः माननीय सदस्य को ज्ञात नहीं, यह पहले ही गजट में प्रकाशित हो चुका है कि नये नियमों के आधीन एक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक समिति नियुक्ति की जायेगी जो पुरःस्थापित किये गये विधेयकों पर विचार करेगी । पुरःस्थापित करने की स्थिति के पश्चात् वह इन्हें (क) तथा (ख) श्रेणियों में विभाजित कर देगी । फिर वह माननीय सदस्य और सरकार के परामर्श से इन विधेयकों को प्राथमिकता देगी । समिति शीघ्र नियुक्त की जायेगी ।

इस समय मैं समझता हूं कि सरकार ने पहले ही लगभग १० विधेयकों के सम्बन्ध में विचार किया है और वह उचित समय पर अपना मत बतायेगी ।

सारभूत प्रदाय (अस्थाई शक्तियां) सशोधन विधेयक

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हुं :

"कि सारभूत प्रदाय (अस्थाई शक्तियां) अधिनियम, १९४६ में अग्रेतर संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

बालविवाह निरोघ (संशोधन) विधेयक

(धारा २ तथा ४ का संशोधन)

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

"कि बाल विवाह निरोध अधिनियम, १९२९ में अग्रेतर संशोधन करने के लिये एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

वनस्पति उत्पादन तथा आयात प्रतिषेध विधेयक

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गाव) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

"कि बनस्पति के उत्पादन तथा आयात के प्रतिषेध की व्यवस्था करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक

श्री झूलन सिन्हा (सारन उत्तर) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

"कि वनस्पति के उत्पादन तथा विक्रय के प्रतिषेध की व्यवस्था करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक

श्री झूलन सिन्हा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

बाल विवाह निरोध (संशोधन) विधेयक

(धारा २ तथा ३ का संशोधन)

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम): मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं

"कि बाल विवाह निरोध अधिनियम, १९२९ में अग्रेतर संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

"कि विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, १८७२ में अग्रेतर संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारत दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम): मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं ।

"कि भारत दंड संहिता, १८६० में अग्रेतर संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

हथकरघा उद्योग (सुधार और संरक्षण) विधेयक

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

"कि हथकरघा उद्योग में सुधार और संरक्षण के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय रेलें (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत विधेयक श्री नम्बियार के नाम से है । माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : क्या अनुपस्थित सदस्य की ओर से मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित कर दूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं ।

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : मैं सविनय प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :

"कि मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ में अग्रेतर संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० एन० बी० खरे : म विधयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दशरथ देव, श्री बीरेन दत्त, श्री ी० ी० नायर

[उपाध्यक्ष महोदय]

श्री नम्बियार और श्रीमती कमलेन्दुमति शाह के नाम से कुछ विधेयक है। सम्बन्धित सदस्य अनुपस्थित हैं ।

जहां तक श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन के नाम पर स्त्रियों और बालकों की संस्थाओं को अनुज्ञप्तियां देने के विधेयक का सम्बन्ध है वह वापस ले लिया गया है।

श्री बी० दास के नाम से स्त्रियों और बालकों की संस्थाओं को अनुज्ञप्तियां देने के विधेयक के विषय में, माननीय सदस्य अनपस्थित हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कह दूं पहले ऐसी प्रथा रही है कि पुरःस्थापन हेतु मत पत्र के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर लिये जाते हैं। अब ऐसा नहीं किया जायेगा । वे सब विधेयक जिन्हें पुरःस्थापित करना है और जिनके पुरःस्थापन के लिये सूचनायें दी जा चुकी हैं उन्हें अपने आप ही पूर्ववादिता मिल जायेगी । अतः भविष्य में आदेश पत्र को उनके नाम तथा हस्ताक्षरों से भारान्वित नहीं किया जायेगा ।

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी--पश्चिम) : मैं सविनय प्रस्ताव करती हूं :

"कि महिला तथा बालकों की देखभाल करने वाली संस्थाओं को विनियमित करने और उन्हें अनुज्ञप्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में एक विधेयक पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती उमा नेहरू: मैं विधेयक को पुरः स्थापित करती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: इसके बाद श्रीमती जय श्री, श्रीमती मायदेव और श्रीमती कमलेन्दुमति शाह के नाम से क्रमषः तीन विधेयक हैं । सम्बन्धित माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं ।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन के नाम वाला अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक वापस ले लिया गया है ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और श्रीमती ए० काले के नाम से 'अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक' शीर्षक के अन्तर्गत चार विधेयक हैं । ये वापस ले लिये गये हैं ।

अनैतिक पण्य तथा वैश्यागृह दमन विधेयक

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी--पश्चिम) : मैं सविनय प्रस्ताव करती हूं :

"कि अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन के सम्बन्ध में विधि की व्यवस्था और उसके संहिताकरण के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमति उमा नेहरू : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: इसके पश्चात् श्रीमती जयश्री, श्रीमती मायदेव और श्री डी० सी० शर्मा के नाम से क्रमशः अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक, अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक और प्रशिक्षण तथा नियोजन विधेयक हैं । ये माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं ।

विदेशी राज्यों से खिताब तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरि): मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेशी राज्यों से खिताब तथा उपहारों की स्वीकृति पर दण्ड की व्यवस्था के सम्बन्ध में एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

व्यवहार-प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

श्री पाटस्कर (जलगांव) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

"कि व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता, १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमती दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पाटस्कर : मैं विधेयक को पुर:-स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बेकारी सहायता विधेयक पर आते हैं। यह श्री ए० के० गोपालन के नाम से है। इससे सम्बन्धित माननीय सदस्य श्री गोपालन अनुपस्थित हैं।

बेकारी सहायता विधेयक

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

"कि बेकार श्रमिकों को सहायता के उपबन्ध के लिये एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद श्री रघुनाथ सिंह के नाम से दो विधेयक हैं। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

भारतीय शास्त्रास्त्र संशोधन विधेयक

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम, १८७८ में अग्रेतर संशोधन के लिये एक विधेयक पुर:स्थापित करने की स्वीकृति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यू० सी० पटनायक : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री ए० के० गोपालन और श्री वी० पी० नायर के नाम से दो विधेयक हैं। दोनों ही माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

दहेज निरोध विधेयक —जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्रीमती उमा नेहरू द्वारा २८ अगस्त १९५३ को प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव पर विचार आरम्भ करेगी :

"कि विवाहों में दहेज लेने और देने की रीति का निरोध करने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री आर० के० चौधरी : मैंने अपनी पिछली वक्तृता में एक महत्वपूर्ण सुझाव रखा था जिससे इस विधान की आवश्यकता नहीं रह जाती तत्पश्चात् मुझे यह देखने का भी अवसर मिल गया कि देश पर मेरे सुझाव का क्या प्रभाव पड़ा है। मेरा सुझाव यह था कि

[श्री आर० के० चौधरी]

प्रत्येक कोर्टशिप के पश्चात् होना चाहिए। इस सुझाव के सम्बन्ध में मुझे एक ओर तो विरोध के पत्र आए हैं कि गांधी जी का अनुगामी होते हुए मुझे समाज के ढांचे को नहीं तोड़ना चाहिये और दूसरी ओर मुझे श्रीमती रेणु चक्रवर्ती जैसे मित्र का अनुमोदन भी प्राप्त हुआ है। मैं प्रस्तावक से प्रार्थना करता हूं कि यदि वे मेरे सुझाव को स्वीकार करें तो इस विधेयक को वापिस ले लें तथा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को अपना विधेयक प्रस्तुत करने दें।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

सभा के समक्ष यह विकल्प है कि वैध और शास्त्रिक विवाह घट रहे हैं। आज पुरः स्थापित विधेयकों की सूची से पता चलता है कि स्त्री सदस्यों ने समय को पहचान लिया है। वे इच्छा करती हैं कि स्त्रियों के लिए घरों का उपबंध हो और अनैतिक स्त्री पणन और चकलों का अन्त करने के लिए विधेयक बनाया जाए। अन्यथा इस प्रकार के विधान द्वारा चकलों की संख्या ही बढ़ेगी।

हमने देश में परिवर्तन देखा है नारियों के सेवायुक्त हो जाने के कारण बेकारी फैल रही है।

यदि इस विधेयक को प्रभावित किया गया तो यह विवाहों पर एक प्रतिबन्ध हो जाएगा। यदि कोर्टशिप के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया तो विवाह घट जाएंगे।

मैं विधेयक की हानियों के सम्बन्ध में कह रहा हूं। इस विधेयक से बेकारी बढ़ेगी। जो स्त्रियां अविवाहित रह जाएंगी वे नौकरी की खोज करेंगी और उस युवक को नौकरी प्राप्त नहीं हो सकेगी जो अपने वेतन से अपने भाईयों और माता का पेट पालन कर सकता है। वरन् नौकरी उस युवती को मिलेगी जो अपने वेतन का तीन चौथाई फैशन पर व्यय करती है।

अब विधेयक की उपयोगिता को देखिये। मेरा विचार है कि जो उच्च श्रेणी के लोग दहेज देकर जवाईयों को खरीदना चाहते हैं उस बुरी प्रथा को समाप्त करना विधेयक का उद्देश्य है। विवाह की व्यवस्था में जब लड़की का पिता कपड़े घड़ी इत्यादि लड़के को देता है तो उस समय एक मंत्र बोला जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य विवाह की इस व्यवस्था का अन्त करना चाहते हैं? क्या वे वर दक्षिणा की प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं। यदि विवाह की इस धार्मिक प्रथा में बाधा डालने का उद्देश्य नहीं है तो मैं आजकल की प्रथा के सम्बन्ध में बताता हूं। यह केवल धनाढ्य लोगों में पाई जाती है। यदि आपने कोई विधान बना भी दिया तो भी इस पर नियंत्रण नहीं हो सकता। बहुत से धनाढ्य लोग उन लड़कों को जिनके साथ लड़की का विवाह करना होता है, पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं, अथवा भारत में ही पढ़ाते हैं। आप विधान द्वारा भी इसे नहीं रोक सकते। इस लिए इस विधेयक का कोई लाभ नहीं होगा।

मेरे माननीय मित्र ने यह उपबन्ध किया है कि कुछ राशि जमा करवा कर शिकायत की जा सकती है। इतने समय में विवाह हो जाएगा। धनी व्यक्ति जो दहेज दे सकता है वह जुर्माना भी दे सकेगा। विधेयक का केवल यह प्रभाव होगा कि निचले और मध्य वर्ग के लोगों में विवाह कठिन हो जाएगा। इससे केवल अविवाहित स्त्रियों, निराश्रित बच्चों और चकलों की संख्या में वृद्धि होगी। कोर्टशिप के पश्चात् विवाह होने दीजिये, विशेष प्रकार के विवाह हों, विवाह-विच्छेद इत्यादि सब कुछ हो। परन्तु दरिद्र लोग जो हिन्दू धर्म

के रीति रिवाज का अनुसरण करना चाहते हैं उन्हें वैसा करने दीजिये।

अन्त में मैं विधेयक की अनुपयोगिता पर जोर देता हूं। इस से बुराई दूर नहीं होगी वरन् इससे सामाजिक बुराईयों की बाढ़ आ जाएगी।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस–मध्य): चेयरमैन साहब, हमें दो बिल इन्ट्रोड्यूस करने थे, लेकिन हम बाहर चले गये थे। यदि इजाजत दे दी जाय तो हम अब इन्ट्रोड्यूस कर दें। उनके नम्बर हैं––४१ और ४२।

सभापति महोदय: हां।

श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस–मध्य): मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर के, जो बनारस का स्वर्ण मन्दिर कहलाता है, परिपरक्ष तथा अधिक सुचारु प्रशासन और प्रबन्ध के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रघुनाथ सिंह: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन विधेयक

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस––मध्य): मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं:

"कि दंड प्रक्रिया संहिता में अग्रेतर संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रघुनाथ सिंह: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर): मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं:

"कि महिलाओं के अनैतिक पण्य तथा वेश्याग्रहों के दमन की व्यवस्था करने और तत्सम्बन्धी विधि को एक स्थान पर संकलित करने के लिये एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय: ठीक ऐसा ही विधेयक पहले पुरःस्थापित किया गया है। एक ही सत्र में दो समान विधेयकों के पुरःस्थापित करने की कोई अपेक्षा नहीं है।

दहेज निरोध विधेयक–जारी

श्री रघुवीर सहाय (ज़िला एटा––उत्तर पूर्व व ज़िला बदायूं–पूर्व): मैं श्रीमती उमा नेहरू का बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने सदन का ध्यान दहेज़ की एक बहुत बुरी प्रथा की ओर दिलाया है। २५ वर्ष पहले यह हमारे देश में इतनी नहीं थी जितनी कि अब है। उत्तर प्रदेश में कायस्थ पहले इससे पीड़ित थे, परन्तु बाद में यह अग्रवाल, खतरियों, ठाकुरों तथा ब्राह्मणों में भी फैल गई। अब सभी विचारशील व्यक्तियों के सामने प्रश्न यह है कि इस प्रथा को कैसे समाप्त किया जाय।

दहेज़ की मांग के बहुत अधिक हो जाने से विवाहों के बारे में बड़ी कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है। दहेज़ के साथ साथ धूम धाम का भी बड़ा विचार रहता है। श्रीमान्, विवाहों तथा धूमधाम के सम्बन्ध में व्यय बहुत बढ़ता जा रहा है। ऊंचे वर्गों में यह प्रथा बहुत भयंकर रूप धारण कर चुकी है। जब बड़े बड़े व्यक्तियों के लड़के आई० ए० एस० आदि परीक्षाओं में सफल होकर बड़े अधिकारी बन जाते हैं तो उनकी शादियों में बहुत अधिक दहेज़ की मांग की जाती है।

श्रीमान्, शिकायत की जाती है कि देश

[श्री रघुवीर सहाय]

में भूक नंगे और बेकारी बहुत फैली है । परन्तु यदि कोई विदेशी यहां आकर हमारे विवाहों की धूमधाम को देखता है तो उसे ऐसा विचार होता है कि इस देश में भूक, नंग और बेकारी बिल्कुल नहीं है ।

सभापति महोदय : इस सामाजिक बुराई को तो स्वीकार किया जाता है । प्रश्न यह है कि हम इस विधेयक को स्वीकार करते हैं या नहीं ।

श्री रघुवीर सहाय : अब इस बुराई को कैसे रोका जाय । विधान की अपेक्षा यह समस्या अधिक सामाजिक महत्व की है । जब तक जनता की सामाजिक भावना जागृत न हो, दहेज़ की प्रथा बन्द नहीं होगी । इसे जागृत करने के लिये उचित विधान की ज़रूरत है । इस विधान के सिद्धान्त से सहमत होते हुए भी मैं इसे अपर्याप्त समझता हूं । इसमें बहुत सी बातें नहीं रखी गई हैं । मैं चाहता हूं कि या तो हमें श्री दास के सुझाव के अनुसार एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर देना चाहिये अथवा स अभिप्राय से एक छोटी समिति नियुक्त करनी चाहिये जहां इस मामले से सम्बन्धित सभी बातों पर पूर्ण विचार हो सके ।

मैं इस विधेयक में किए गए इस प्रावधान से सहमत नहीं हूं कि इस विधान के उल्लंघन करने वाले को तीन मास साधारण कारावास का दण्ड दिया जाय । यदि हम इस बुराई को बलपूर्वक समाप्त करना चाहते हैं तो हमें कड़े दण्ड की व्यवस्था को करना होगा । श्रीमान्, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं चाहता हूं कि सारी आवश्यक बातों को सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली समिति को सौंप दिया जाय ।

श्रीमती ए० काले (नागपुर) : श्रीमान्, मुझे यह देखकर दुःख हुआ कि इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य इस विधेयक के विरोध में बोले हैं । वास्तव में यह कुप्रथा हमारे देश में बहुत देर से प्रचलित है । मेरे कालेज के दिनों में स्नेहलता नाम की लड़की ने इसी कारण आत्म हत्या कर ली थी ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि केवल विधान से यह बुराई दूर नहीं होगी । इसके लिए जनता के सहयोग की आवश्यकता है । यह अवश्य है कि इससे उक्त सामाजिक बुराई को दूर करने में सहायता मिलेगी ।

इस प्रथा से लड़के और लड़की दोनों का अपमान होता है । यदि कोई लड़का अपने परिवार का बोझ सहन नहीं कर सकता तथा उसे लड़की के पिता के थोड़े से धन पर निर्भर करना पड़ता है तो उसे विवाह में नहीं पड़ना चाहिये । खेद की बात है कि पढ़े लिखे लड़के भी या तो अपने माता पिता अथवा ससुर के धन से मज़े उड़ाना चाहते हैं ।

मेरा विचार है कि इस से संविधान का भी उल्लंघन होता है । आखिर, दहेज़ को लड़की वालों से ही क्यों लिया जाय ? संविधान में लड़के और लड़की की स्थिति एक समान है ।

हमें दहेज़ की परिभाषा को विस्तृत करके ऐसा बनाना चाहिये कि विवाह में नकद धन या वस्तुओं के रूप में दी गई किसी भेंट को दहेज़ समझा जाय तथा इसके देने और लेने वाले दोनों को कड़े दण्ड दिये जायं । मेरा विचार है कि कारावास से ही काम नहीं चलेगा । हमें दिए गए धन को भी ज़ब्त करके इस बुराई के विरुद्ध प्रचार करने के काम में लाना चाहिये ।

श्री रोहिणी कुमार चौधरी ने इस विधेयक के पारित करने से वैश्या घरों के बढ़ जाने की आशंका प्रकट की है । यह विचार ग़लत है । उन्होंने बेकारी का भी वर्णन किया । कारण कुछ भी हों, उन्हें इस विधेयक का विरोध नहीं करना चाहिये । मैं चाहती हूं

कि सदन के सभी सदस्य इसका ज़ोरदार समर्थन करें ।

इस क्रम पर डा० एन० बी० खरे ने बतलाया कि सदन में कोरम नहीं है ।

श्री पोकर साहेब (मलप्पुरम) : मैं इस विधेयक के उद्देश्य का पूर्ण समर्थन करता हूं । बड़े बड़े दहेज़ों की मांग से कई परिवारों का नाश हो चुका है । इस कारण कई हज़ार लड़कियां विवाहित नहीं हो पाती हैं । यह माता पिताओं की निष्दिन की चिन्ता है ।

मुझे सन्देह है कि इस विधेयक से यह बुराई पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकेगी । हम जानते हैं कि बाल विवाह निरोध अधिनियम के होते हुए भी प्रत्येक वर्ष कई हज़ार बालकों के विवाह हो रहे हैं । मेरा विचार है कि लोग इस अधिनियम से बचने के भी रास्ते निकाल लेंगे । परन्तु इसी कारण से हमें अपना प्रयत्न नहीं छोड़ देना चाहिये । इससे अत्यधिक दहेज़ की मांग करने वालों तथा विवाह को व्यापार का रूप देने वालों पर अवश्य कुछ प्रभाव पड़ेगा । पुत्र वाले समझते हैं कि वे खूब धन ले सकते हैं तथा पुत्रियों वाले उन्हें अपने पर बोझ विचार करते हैं । हमें इस मनोवृत्ति को अवश्य बदलना चाहिये । मैं समझता हूं कि इस विधेयक से इस दिशा में कुछ न कुछ सहायता अवश्य मिलेगी ।

मुझे इस विधेयक के बारे में कुछ मतभेद है । यद्यपि इसमें लड़की वालों से लड़के वालों द्वारा दहेज़ की मांग को रोकने का उपबन्ध है, परिभाषा के अन्तर्गत दूसरी ओर की बात भी आती जान पड़ती है । मुझे मालूम नहीं कि क्या विधेयक के प्रस्तावक का ऐसा आशय है या नहीं ।

विधेयक में एक उपबन्ध यह रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति विवाह से पहले या बाद ५० रु० जमा कराने से शिकायत कर सकता है । इसका अर्थ यह है कि कोई भी जन साधारण ऐसी शिकायत कर सकता है । हमारा अनुभव यह है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम के सम्बन्ध में बहुत से व्यक्तियों ने अपनी निजी दुशमनी का बदला लेने के लिए उसका अनुचित लाभ उठाया । मेरा विचार है कि यह राशि कम से कम ५०० रु० होनी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि यह अधिकार किसी व्यक्ति को न दिया जाना चाहिये बल्कि इससे प्रभावित व्यक्ति को होना चाहिये ।

इस विधेयक में हिन्दू विधि के अन्तर्गत 'स्त्रीधन' तथा इस्लामी विधि के अन्तर्गत 'मेहर' को अपवर्जित किया गया है । यदि विधेयक का उद्देश्य लड़के वालों द्वारा लड़की वालों से दहेज़ की मांग का रोकना है तो 'मेहर' पर यह विधेयक लागू नहीं हो सकता । परन्तु 'इसके विपरीत' शब्दों से सम्भवतः 'मेहर' का धन भी इसके अन्तर्गत आ जाता है । इस सम्बन्ध में मैं मालाबार के मापलों का भी वर्णन करना चाहता हूं । उनमें जो स्त्रीधन दिया जाता है । वह हिन्दू विधि के अन्तर्गत स्त्रीधन के समान नहीं होता । यह विवाह के समय लड़की के भरण पोषण सम्बन्धी व्यवस्था है जो अचल सम्पत्ति के रूप में की जाती है । इसे भी इस विधेयक की प्रयक्ति से मक्त कर दिया जाना चाहिये ।

मैं विधेयक के उद्देश्य तथा सिद्धान्तों का पूर्ण समर्थन करता हूं ।

श्री बिस्वास : श्रीमान्, मैं इस विधेयक के बारे में स्थिति को स्पष्ट करने के हेतु कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

इस विधेयक का उद्देश्य निश्चय ही सराहनीय है । परन्तु आरम्भ में मैं यह कह देना चाहता हूं कि दहेज़ की रोक का सवाल हिन्दू विधि से ही सम्बन्ध नहीं रखता । यह प्रथा हिन्दू विधि, हिन्दू धर्म या हिन्दू रिवाज से पैदा नहीं हुई । आप कह सकते हैं कि इसका

[श्री बिस्वास]

मूलकारण मनुष्य की सम्पत्ति प्राप्त करने की लालसा है। परन्तु प्रश्न यह है कि इस बुराई को इस विधान द्वारा क्रियाकारी ढंग से दूर किया जा सकेगा ? इस प्रश्न पर बहुत कम वक्ताओं ने कुछ कहा है। इस बुराई को दूर करने के लिये मैं माननीय सदस्यों तथा दूसरे व्यक्तियों से सुझाव आमन्त्रित करता हूं तथा सरकार की ओर से मैं यह वचन देता हूं कि इस बुराई को दूर करने के लिए विधान पुरःस्थापित किया जायगा।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग पश्चिम) : तब इसे क्यों पारित न किया जाय ?

श्री बिस्वास : मुझे सभी भारतीय राज्यों के बारे में ज्ञात नहीं है, परन्तु मुझे इतना पता है कि मेरे अपने राज्य में यह बहुत खतरनाक सीमा तक फैली हुई है। यदि दहेज़ के देने तथा लेने को किसी प्रकार से बन्द किया जा सके तो मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी तथा यदि अपने विधि मंत्री के पदाकाल में विधान द्वारा इस दिशा में मैं कुछ कर सकूं तो उस उद्देश्य की प्राप्ति में किसी व्यक्ति की सहायता के लिए मैं कृतज्ञ हूंगा।

एक अवसर पर मैंने ऐसा भी सोचा कि मुझे परिचालन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि बहुत सर पटकने पर भ मुझे कोई इलाज नहीं सूझ पड़ा। यदि परिचालन से किसी दिशा से हमें इस सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई सुझाव मिल सकें तो यह बहुत अच्छी बात होगी, परन्तु इसमें समय लग सकता है। हम जानते हैं कि विधेयकों को मत प्राप्त करने के अभिप्राय से परिचालित करने में समय लग जाता है जिससे जटिलताएं उत्पन्न होकर कोई प्रगति नहीं हो पाती यदि प्रवर समिति को सौंपने से वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब तो बात दूसरी होती। परन्तु प्रवर समिति को इस विधेयक के सिद्धान्त को मानना होगा और इस विधेयक का सिद्धान्त यह है कि विधान निर्माण ही इस दुष्ट प्रथा को समाप्त करने का उपाय है। दूसरे शब्दों में, आप यह परिवर्तन कर सकते हैं कि सज़ा एक महीना कर दें या तीन महीने कर दें या जुर्माना १,००० रुपये कर दें या ५,००० रुपये कर दें। यह दूसरी बात है। इस प्रथा की बुराई को सब मानते हैं। इस विधेयक में यही उपाय सुझाया गया है कि देहेज का देना और लेना क़ानूनी रूप से अपराध माना जाये। इसलिये इस दुष्ट प्रथा को पूरी तरह से और वास्तविक रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से अन्य सुझावों को, जो यहां सदन में दिये जायें, क्रियान्वित करने की कोई गुजायश नहीं है।

इस विषय पर चर्चा होते समय माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रगट किये हैं उन पर पूरी तरह से सोच विचार किया जायेगा। माननीय मित्र श्री चौधरी ने भी जो विचार प्रगट किये हैं उन्हें ध्यान में रखा जायेगा, हालांकि कभी कभी यह जानना बड़ा कठिन हो जाता है कि श्री चौधरी किस समय कोई बात मज़ाक में कह रहे हैं और किस समय नहीं। इस प्रश्न को सुलझाने के लिये जो भी माननीय सदस्य मुझे सुझाव देंगे, मैं उनका स्वागत करूंगा और मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप मुझे इस समस्या को सुलझाने का उपाय ढूंढ निकालने में सहायता देंगे तो सबसे पहले मैं इस सम्बन्ध में एक विस्तृत और व्यापक विधेयक लाऊंगा।

सरकार की ओर से मैं इतना ही कहना चाहता हूं। वास्तव में, मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं विधेयक को परिचालित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। मैं यह नहीं

कहूंगा कि मैं विधेयक को स्वीकार करता हूं। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : तो आप क्या कहते हैं।

श्री बिस्वास : मैं इसे बता चुका हूं। जब मैं यह बता रहा था उस समय आप यहां नहीं थे। मैं आपकी सहायता चाहता हूं, मैं हरेक की सहायता चाहता हूं। इस दुष्ट प्रथा को खत्म करने के लिये कोई उपाय ढूंढने में मैं आप लोगों के सुझाव चाहता हूं।

श्रीमती सुषुमा सेन : मैं माननीय विधि मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि केवल इस विधेयक से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। इस प्रथा में जो बुराई है उसे वह मानते हैं। मैं समझती हूं कि वह ही हमें कोई उपाय सुझावें जिससे इस दुष्ट प्रथा का अन्त हो; हम उनके सुझावों का स्वागत करेंगे।

जहां तक मेरी राय का प्रश्न है मैं समझती हूं कि यह विधेयक प्रभावी हो सकता है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि बाल विवाह निरोध सफल नहीं रहा है, परन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मैं बिहार की रहने वाली हूं और मुझे मालूम है कि वहां बाल विवाह बहुत अधिक प्रचलित था परन्तु बाल विवाह निरोध अधिनियम बनने के बाद इसमें बहुत कमी हो गई और अब लोग इस कानून से डरते हैं। इसी तरह दहेज़ की प्रथा रोकने के बारे में भी क़ानून बनाया जा सकता है। लोगों पर इसका अवश्य प्रभाव पड़ेगा।

दहेज़ की प्रथा के कारण आज मध्यम श्रेणी के लोगों को अकथनीय कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। यह हमारा कर्त्तव्य है कि इस कुप्रथा का शीघ्र से शीघ्र अन्त कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में जो भी सुझाव दिये जायें हम, स्त्रियों के दृष्टिकोण से उन्हें स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। परन्तु मैं श्री आर० के० चौधरी के इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं कि यह चीज़ हिन्दू विधि के विरुद्ध है। माता पिता और सम्बन्धी विवाह के समय अपनी लड़कियों को हमेशा भेंट देते ही हैं परन्तु दूसरा कोई कारण नहीं कि लड़के वालों की तरफ़ से रुपये की मांग की जाये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करती हूं।

सभापति महोदय : मैं इस प्रश्न को ६ बजे मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य पांच मिनट से अधिक न लगायें और अपनी बात इस दुष्ट प्रथा को बन्द करने के उपाय ढूंढ निकालने तक ही सीमित रखें।

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा) : मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। परन्तु इस विषय में भी जो मुझे सन्देह हैं और जो मेरी कठिनाइयां हैं, उन्हें मैं व्यक्त करना चाहूंगा। माननीय विधि मंत्री का यह प्रश्न काफ़ी महत्व रखता है कि इस मामले में क़ानून बनाने से कहां तक सफलता मिल सकेगी ? एक महिला सदस्या ने अभी बताया कि शारदा अधिनियम से काफ़ी सफलता मिली है, मैं समझता हूं कि इसी उदाहरण का अनुसरण करने से हमें इस क्षेत्र में भी अवश्य सफलता मिलेगी।

मैं मानता हूं कि जब तक क़ानून के पीछे लोकमत की शक्ति न होगी तब तक इसका प्रभाव अधिक नहीं होगा। इस दुष्ट प्रथा को खत्म करने के लिये हमें दोनों प्रकार से ज़ोर लगाना चाहिये।

श्री आर० के० चौधरी ने यह सुझाव दिया कि इस विधेयक की आवश्यकता नहीं रहने देने के लिये हमें प्रणय पद्धति को अपनाना चाहिये। इस पद्धति का या तो आदिम समाज में अनुसरण किया जा सकता है या बहुत उन्नत समाज में। दुर्भाग्य से हमारा

[श्री खर्डेकर]

समाज इन दोनों के बीच में है, इसलिये यहां इसका प्रचलन बहुत कठिन है।

इसमें सन्देह नहीं कि हमारे देश में आर्थिक असमानता बहुत है और जब तक इसे दूर नहीं किया जाता तब तक इस प्रथा का अन्त करना भी कठिन है । यह कहना ग़लत होगा कि स्त्रियों के नौकर होने के कारण बेकारी बहुत बढ़ी हुई है । बात यह है कि आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों का ही बोलबाला है और आम तौर पर आर्थिक सुरक्षा के लिये ही स्त्रियां विवाह करती भी हैं । परन्तु यह सब बातें पुरुषों के दृष्टिकोण के अनुसार हैं । जहां तक स्त्रियों का प्रश्न है, उनका मुख्य काम सन्तान उत्पन्न करना है.....

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि यह सब बातें विधेयक के क्षेत्र में नहीं आतीं ।

श्री खर्डेकर : वास्तव में दहेज की प्रथा स्त्रियों के हित में है । यदि वे इस चीज़ को आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो उन्हें पता चलेगा कि इससे उन्हें फ़ायदा ही है । इससे स्त्री का आत्म-सम्मान बढ़ता है क्योंकि यह रुपया उस परिवार को दिया जाता है, जहां उसका विवाह होता है । पुरुषों का इस प्रथा को ख़त्म करने के लिये ज़ोर देना तो ठीक है परन्तु मैं नहीं समझता कि स्त्रियां इस पर क्यों ज़ोर दें ।

दूसरी बात यह है कि मेरी राय में इस विधेयक का नाम ठीक नहीं । इसे दहेज निरोध अधिनियम की बजाय दहेज दंड अधिनियम कहना अधिक अच्छा होगा । मैं पोकर साहेब की इस बात से सहमत हूं कि इस क़ानून के अन्तर्गत किसी प्रकार की कोई जटिल कार्य-वाही नहीं होनी चाहिये ।

मुझे केवल इतना ही कहना है ।

पंडित क० सी० शर्मा : मैं इस विधेयक के सिध्दान्त से सहमत हूं और उसका समर्थन करता हूं । दहेज की दुष्ट प्रथा का अन्त करने के लिये हमें निश्चय ही कोई उपाय ढूंढना चाहिये ।

विवाह एक सामाजिक प्रथा है जो सांस्कारिक भी है और संविदात्मक भी । जहां तक इसके सांस्कारिक पहलू का सम्बन्ध है, कन्या पक्ष से कन्या के अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ का मांगना पाप है । परन्तु चूंकि विवाह के बाद पुरुष के ऊपर कुछ ज़िम्मे-दारियां आ जाती हैं जिनके निभाने के लिये वह कभी कभी अपने आप को कमज़ोर पाता है इसलिये वह अपनी स्थिति मज़बूत करने के के लिये कुछ चाहता है । स्त्रियां आर्थिक क्षेत्र में स्वतन्त्र नहीं हैं और उन्हें पुरुषों पर निर्भर होना पड़ता है । अतः विवाह के इस संविदात्मक पहलू को दृष्टि में रखते हुए, मेरी राय में जब तक स्त्रियों को अधिक शिक्षा देकर उन्हें इस योग्य बनाने के लिये कि वे अपने पैरों पर स्वयं खड़ी हो सकें । क़दम नहीं उठाये जायेंगे तब तक इस समस्या का ठीक प्रकार से हल नहीं हो सकता । केवल क़ानून बना कर ही आप इस कुप्रथा का अन्त नहीं कर सकते ।

श्री आल्तकर (उत्तर सतारा) : दहेज की प्रथा और विवाह में बहुत अधिक ख़र्च किये जाने से हमारे समाज को जो कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं वे निम्नलिखित पंक्तियों में बड़ी सुन्दरता से व्यक्त की गई हैं :

संभवे स्वजनदुःखकारिका,
संप्रदानसमयेऽर्थहारिका ।
यौवने बहुलदोषकारिका,
दारिका हृदयदारिका पितुः ।।

जब किसी परिवार में कन्या का जन्म होता है तो इस पर बड़ा शोक मनाया जाता है क्योंकि विवाह के समय उसे दहेज देना पड़ता है और अन्य ख़र्चे करने पड़ते हैं । माता-पिता कन्या के उत्पन्न होने पर अपने आपको बहुत अभाग्यशाली समझते हैं । इसलिये मैं

समझता हूं कि इस प्रथा का अन्त करना बहुत आवश्यक है ।

इस प्रथा के आरम्भ होने का कारण यह है कि स्त्रियों को अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता । हमेशा से परिवार में उसको हीन दृष्टि से ही देखा जाता रहा है । यदि परिवार की सम्पत्ति में उसे हिस्सा दिया जाय, तो उसकी स्थिति और उसका स्तर काफ़ी ऊंचा हो सकता है ।

स्त्रियों के विवाह के लिये, आम तौर पर लोग अपने बराबर के स्तर के परिवारों को ही ढूंढते हैं ।

ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम् ।
तयोर्विवाहो मैत्री च ।

परन्तु ऐसे भी लोग हैं जो यह चाहते हैं कि उनके यहां की लड़कियां उनके स्तर से ऊंचे स्तर वाले परिवारों में जायें । जब तक आप इस आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक इस तरह की भावना लोगों में बनी ही रहेगी और यह प्रतिस्पर्धा चलती ही रहेगी । समाज में आर्थिक समानता लाकर ही आप इस दुष्ट पद्धति से छुटकारा पा सकते हैं । इस बीच हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे देहेज देने या लेने वाले को दंडित किया जा सके । मेरी राय में यह इस तरह किया जा सकता है कि जो भी व्यक्ति अपनी लड़की के विवाह में अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के मुक़ाबले में अधिक ख़र्चा करे उसे दंड दिया जाये । हमें लड़की के पिता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिये । मान लीजिये किसी पिता के दो लड़के और दो लड़कियां हैं, तो लड़के और लड़कियों के हिस्से का हिसाब लगा कर यह देखना चाहिये कि लड़की के विवाह में उसके हिस्से में आने वाले रुपये से अधिक ख़र्चा तो नहीं किया जा रहा है । किसी परिवार की ख़र्चा करने की क्षमता का अनुमान लगाना कठिन नहीं । जिस तरह आय-कर के लिये आय का अनुमान लगाया जाता है उसी तरह आप इसका अनुमान भी लगा सकते हैं । ख़र्च करने की क्षमता से मेरा अभिप्राय उस हिस्से से है जो लड़की को पिता की सम्पत्ति के लड़के और लड़कियों में बराबर बराबर बांटे जाने पर मिले । यदि पिता इससे ज्यादा ख़र्चा करता है तो उसे दंड दिया जाना चाहिये । मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में एक व्यापक क़ानून बनाया जाये ।

श्री बिस्वास : हर अपव्ययी करें, चाहे वह अपनी लड़की के विवाह पर व्यय करे या किसी और काम पर, दंड मिलना चाहिये ।

श्री आल्तेकर • यद्यपि इस विधेयक में ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में उपबन्ध है जो अपनी पुत्री का विवाह करने के लिये धन लेते हैं, परन्तु, कम से कम आज तो, इस की चर्चा नहीं की गई । देश के कई भागों में, विशेष कर पिछड़ी हुई जातियों में यह प्रथा प्रचलित है कि अधेड़ आयु के लोग धन दे कर शादी रचाते हैं । मैं यह सुझाव दूंगा कि वधू के लिये धन देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय ।

इस सम्बन्ध में मनुस्मृति म लिखा है :

आददीत न शूद्रोऽपि शुल्कं दुहितरं ददन् ।
शुल्कं गृह्नन्हि कुरुते छन्नं दुहितृविक्रयम् ।
मनु ९ (९८)

अर्थात निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी अपनी बेटी की शादी धन लेकर किसी से नहीं करनी चाहिय क्योंकि यद्वि पुत्री के लिये धन लिया जाय तो यह उसे बेचने के बराबर है ।

इसलिये इस पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये । इस सम्बन्ध में एक और महत्व पूर्ण बात यह है कि इस प्रकार का धन वधू के बाप के पास ही जाता है । इस से वर या वधू में से किसी को लाभ नहीं होता । इसलिये इस को कानून द्वारा बन्द कर देना चाहिये ।

श्री गिडवानी : सभापति महोदय, मैं ४६ वर्ष से इस रस्म के खिलाफ जो आन्दोलन मेरे प्रान्त में चले उन के साथ सम्बन्ध रखता आया हूं। हम लोगों ने बहुत वर्षों तक प्रचार के ज़रिये इस को बन्द करने की कोशिश की लेकिन उसमें हमको सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके लिये सिन्ध लेजिस्लेटिव असेम्बली में एक कानून भी पास किया गया था और इसको कानून के ज़रिये बन्द करने की कोशिश की परन्तु उससे जितनी सफलता होने की आशा थी वह प्राप्त नहीं हुई। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह खराब रस्म इतनी पुरानी और गहरी हो गयी है कि इस को रोकने के लिये दोनों तरीके अख्तियार करने पड़ेंगे। समाज की भावना को भी जाग्रत करना पड़ेगा और कानून का ज़रिया भी काम में लाना पड़ेगा। हमारे ला मिनिस्टर साहब ने हम से पूछा कि इसको रोकने का कौन सा रास्ता हो सकता है। एक रास्ता यह है कि पबलिक ओपीनियन को क्रियेट किया जाय और दूसरा रास्ता यह है कि इसको लेजिस्लेशन के ज़रिय बन्द किया जाय। तीसरा रास्ता तो कोई हो ही नहीं सकता। तीसरा रास्ता यह हो सकता है कि मनुष्य के अन्दर से माया का मोह खत्म हो जाय। जब तक मनुष्य के अन्दर माया का मोह है, प्राप्रटी का मोह है तब तक तो यह शायद बन्द न हो। इसलिये अगर एक ऐसा समाज कायम हो जाय जहां माया की भावना न रहे, जिसको कम्यूनिस्ट या सोशलिस्ट सोसाइटी कहिये, तो शायद इसको बुनियाद से हटाया जा सके। वह तो हमारे ला मिनिस्टर साहब मानेंगे नहीं। इसलिये हमारे लिये केवल दो ही रास्ते रहते हैं। पर उनका रास्ता तो कानून के ज़रिये से इसको बन्द करने का है। आपका काम कानून तक ही सीमित है। आप प्रचार की कोई एजेन्सी तो कायम करेंगे नहीं। इसलिये आप के पास तो एक ही तरीका हो सकता है कि आप इसको कानून के ज़रिये बन्द कीजिये। मिस्टर रोहिनी कुमार चौधरी को शायद इसका अनुभव नहीं है। मेरी तो एक छोटी कम्यूनिटी है लेकिन वहां यह बुराई बुरी तरह फैली हुई है। वहां तो बिना दस हज़ार, बीस हजार, तीस हजार, चालीस हजार और पचास हजार के शादी होती ही नहीं। अब थोड़े से नवयुवक ऐसे पैदा हुये हैं कि जो कि बिना डावरी के शादी करते हैं। लेकिन आम तौर पर बिना डावरी के हमारे यहां शादी नहीं होती। इसी लिये कई लड़कियों की काफी उम्र हो जाती है और उनकी शादी नहीं हो पाती और जिस खराबी का जिक्र श्री रोहिनी कुमार चौधरी ने किया, उस हद तक तो नहीं लेकिन कुछ न कुछ खराबी इससे पैदा हो जाती है। हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है। मनुष्य की प्रकृति बदलती नहीं, तो फिर हम क्या रास्ता अख्तियार करें। हम एक बार फिर कोशिश करें। इसलिये जो बिल श्रीमती उमा नेहरू लायी हैं मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं और मैं अपने ला मेम्बर से कहूंगा कि वह भी कोई कानून लावें। मैं उनसे कहूंगा कि वह सिलेक्ट कमेटी मुकर्रर करें। और उस सिलेक्ट कमेटी में इसके अल्फाज़ में हेरफेर करें। लेकिन आपके पास तो सिर्फ एक लेजिस्लेशन का ही ज़रिया है। बाकी उस लेजिस्लेशन को काम में लाने के लिये अगर आप बाहर कोई प्रचार की एजेंसी कायम करें तो अच्छी बात है। लेकिन कोई तीसरा रास्ता तो समझ में नहीं आता। हमारे लिये दो ही रास्ते हैं। और उन्हीं को ख्याल में रख कर काम में लावें यह एक अच्छा सोशल लेजिस्लेशन (सामाजिक विधान) है। लेकिन जितनी सीरियसनेस (गम्भीरता) से इसको देखना चाहिए उतनी सीरियसनेस से हम इसको नहीं देखते हैं। मैं समझता हूं कि शायद यह बुराई

सारे देश में फैली हुई नहीं जिस तरह से कि कुछ प्रान्तों में या कुछ कम्युनिटीज में है । इससे उससे होने वाले दुःख को उसकी अहमियत (महत्व) को उसकी गहराई को सब लोग नहीं समझते हैं । इसी लिये आज हाउस में लोग भी थोड़े हैं और जो हाजिर हैं उनमें से भी कुछ मजाक सा करते हैं । आधे मजाक और आधे सीरियसनेस से इसको देख रहे हैं । लेकिन यह एक बहुत बड़ी खराबी है जिससे समाज को बहुत नुकसान पहुंचता है । कितनी ही कन्यायें रह जाती हैं और उनकी शादी नहीं हो पाती ।

एक शब्द में गम्भीरता से अपनी बहिनों से भी कहना चाहता हूं । आजकल डावरी बढ़ने का एक कारण यह भी है कि फैशन बहुत बढ़ता जाता है और लड़के इसलिये शादी नहीं करना चाहते कि वह अपनी स्त्री को नये ढंग से नहीं रख सकेंगे । इस लिये यह आवश्यक है कि जो हमारी कन्यायें विद्या प्राप्त करती हैं उनमें हम सादगी का कमखर्ची का भाव पैदा करें । अगर हम पश्चिम की नकल करेंगे और उनका ढंग अख्तियार करेंगे और अपने ठाठ बाट पर, अपने घर पर, अपने रंग रूप पर और बातों पर उनकी तरह खर्च करेंगे तो लड़के सोचेंगे कि इन लड़कियों से शादी करके हम इनको मार्डन तरीके से कैसे रख सकेंगे। वह अपने हाथ से काम नहीं करेंगी, उनको हर काम के लिये नौकर चाहिए, कपड़े भी अच्छे और खर्चीले चाहिए । मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं वहां यह बात बहुत चल रही है । इसलिये मैं अनुभव से कहता हूं कोई सुनी हुई बात नहीं कहता हूं । मैं ने कोई शादी नहीं की है इसलिये यह नहीं कि मुझे मालूम नहीं है । मुझे मालूम है कि किस तरह से यह काम चलता है । इसलिये अगर बहिनों को पबलिक ओपिनियन (लोकमत) कायम करनी है तो लड़कों को यह मालूम होना चाहिए कि मेरी औरत चाहे वह बी० ए०, एम० ए० पास क्यों न हो, वह घर का काम कर सकेगी , बच्चों की परवरिश कर सकेगी । मुझे मालूम है कि जो लड़कियां बी० ए०, एम० ए० पास होती हैं वह अपने बच्चों तक को नहीं पढ़ाती । जो पैसा मर्द कमाकर लाते हैं उसको वह टीचर रखने में खर्च करती हैं । मझे यह सब मालूम है क्योंकि मैं उन फैमलीज में रहता हूं । मेरा विश्वास है .....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य सदन को यह बतलाने की कृपा करें कि वहां पर विधेयक के पास होने के पश्चात् कितने अभियोग सफल रहे ।

श्री गिडवानी : वही मैंने कहा कि बहुत कम सफलता हुई, लेकिन और रास्ता क्या है ? वह तो मैं मानता हूं कि सफलता बहुत कम मिली, और लोग छिप छिप कर देने लगे । जब हम जेल में होते हैं तो हम वहां के कानून को तरह तरह से तोड़ते हैं। इन्सान के दिमाग में बहुत चतुराई है । वह कानून को भंग कर देता है । लेकिन और रास्ता क्या है । जब तक बीमारी रहती है डाक्टर कोई न कोई दवा देता ही रहता है । एक दवा देता है, दूसरी देता है, तीसरी देता है । पार्लियामेंट के पास तो इस बीमारी का यही इलाज हो सकता है कि वह इसके लिये कानून बनावे । इसलिये मैं अपने कानून मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि कोई ऐसा कानून बनाइये जिस से हम इस बीमारी को रोक सकें।

श्री राम दास (होशियारपुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : चेयरमैन साहब, आज यह बीमारी ऐसी शक्ल अख्तियार कर चुकी है कि इसका सब तरफ से विरोध हो रहा है । सिर्फ इस बात पर बहस मुबाहिसा (वादविवाद) है कि इसका इलाज क्या हो सकता है । यह कहा गया है कि कानून पास

[श्री राम दास]

करके हम इसका इलाज नहीं कर सकेंगे जिस तरह से कि शारदा ऐक्ट से कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि उस कानून से भी मुल्क को बहुत फायदा हुआ। मुझे मालूम है कि उसकी वजह से बहुत सी शादियां रुक गई और वह शादियां नहीं हो सकीं जब लोगों ने यह कहा कि हम अदालत में जाकर रिपोर्ट कर देंगे या वह अदातल में चले गये और उनको नोटिस मिल गया कि तुम शादी नहीं कर सकते इसलिये उस कानून से बहुत फायदा हूआ है। और मैं समझता हूं कि इस कानून से भी फायदा होगा। इस वक्त प्रचार के जरिये से मुल्क में यह भावना काफी पैदा की जा चुकी है कि डावरी (दहेज) को बन्द करना चाहिए। अभी कल हमने देखा कि हमने एक कानून धोतियों के मुतालिक बनाया और मिल मालिकों ने उस कानून को सरकमवट किया (निरर्थक बनाया)। इसी तरह से जो लोग डावरी देना चाहेंगे वे भी ऐसा करेंगे कि बिट्राथल (मंगनी) के वक्त या शादी के वक्त वह कुछ नहीं देंगे लेकिन उसके बाद जो कुछ सौदा तै हो चुका होगा वह जाकर दे देगें। इस लिये मैं चाहता हूं कि इसके अन्दर एक यह भी तरमीम (संशोधन) कर दी जाय कि तीन साल के अन्दर किसी किस्म की कोई डावरी नदी जायेगी। मेरा मतलब यह है कि लाइन ११ में यह लिख दिया जाय कि "within three years of the celebration of either the marriage or the betrothal." मंगनी या शादी के तीन साल के अन्दर कोई आदमी डावरी न दे। अगर देगा तो इस ऐक्ट के मुताविक उसको सजा मिलेगी।

दूसरी एक बात मैं आप से यह भी कहूंगा कि लड़की के लिये कोई बिक्री नहीं होनी चाहिए और लड़की के लिए किसी को कोई कीमत नहीं देनी चाहिए। इस की हर जगह निन्दा है और सब लोग इसकी निन्दा करते हैं। लेकिन बाज औकात ऐसी हालत पैदा हो जाती है कि जिस के लिये हमें कानून में कुछ सुविधा रखनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर ऐसी फेमिली है कि जिस में पिता मर गया है और केवल बेवा मां ही रह गई है और अगर दो चार लड़कियां शादी करने को हैं और वही लड़कियां ही कमाती हैं और उसी से उनका निर्वाह होता है, ऐसे खानदान हैं जहां इसी तरह से गुज़ारा चलता है तो ऐसी हालत में शादी करने पर लड़की की मां यह कहे कि मैं तो कोई जेवर नहीं दे सकती, कपड़ा नहीं दे सकती, तुम बरात लेकर आओगे तो खाने के लिये भी नहीं है, लेकिन लड़की की शादी जरूर करना चाहती है, तो उस वक्त दूसरे पक्ष वाले अगर कुछ मामूली गहना, और कपड़ा बरात का खर्च बर्दाष्त कर ले तो उसको पीनेलाइज नहीं करना चाहिए। (दंड नहीं देना चाहिए)।

एक बात मैं यह कहूंगा कि जो ५० रुपया है यह काफी नहीं है। यह कम से कम २५० रुपये होना चाहिए। कोई भी आदमी ५० रुपया जमा करवा कर दूसरे को तंग करने के लिये यह काम कर सके, यह मौका किसी को हासिल नहीं होना चाहिए।

मैं अब आप का बहुत वक्त नहीं लूंगा यह जो आफेंस (अपराध) है उस को नान काग्निजेबुल कहा गया है। लेकिन इससे फायदा नहीं होगा। इस को अगर काग्नि-जेबुल करार दिया जाय तो इस से फायदे की ज्यादा सम्भावना हो सकती है। बाकी इसके अन्दर जो सजा तजबीज की गई है, मैं समझता हूं कि वह बहुत मामूली है। हमारे क़ानून के अन्दर यही एक खामी रह जाती है

कि हम सज़ा इतनी मामूली तजबीज़ करते हैं कि लोग उसकी परवाह नहीं करते । अभी हमने धोती के मामले में भी देखा कि उनको कोई सज़ा नहीं दी गई। लेकिन अगर उसके अन्दर यह रखा गया होता कि ६० परसेंट से ज्यादा कोई मिल वाला धोती बनावेगा तो उस का सारे का सारा मिल इन फेवर आफ गवर्नमेंट फारफीट हो जायेगा तो कोई ऐसा जुर्म नहीं कर सकता था । तो यह जुर्माने की या क़ैद की जो सज़ा तजबीज़ की गई है यह मेरे ख्याल में इतनी डिटरेंट (कड़ी) नहीं होगी जिस से कानून का मंशा (अभिप्राय) पूरा हो सके । इसलिये अगर ज्यादा रिगरस (सख्त) पनिशमेंट (सज़ा) हो जाय और जुरमाना भी ज्यादा हो जाय तो उससे कुछ फायदा हो सकेगा ।

इसलिये इन अल्फाज़ (शब्दों) के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि इसको ज़रूर पास कर देना चाहिए । इस से हमारे मुल्क के अन्दर बहुत फायदा होगा और लोग इस के लिये तैयार हैं। अगर क़ानून पास हो जायेगा तो वह बहुत खुशी से इसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे ।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन दक्षिण) : मिस्टर चेयरमैन, सब से पहले मैं अपने ला मिनिस्टर साहब की असमर्थता पर दुःख प्रकट करता हूं। यदि गवर्नमेंट को मालूम है कि यह ईविल (कुरीति) है और इसको बन्द करना है तो गवर्नमेंट के लिये कोई रास्ता ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है और इस लिये ऐसी असमर्थता या नपुंसकता ज़ाहिर करना उचित नहीं है ।

श्री त्यागी : नपुंसकता का तो कोई सवाल नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं इस बिल से सहमत नहीं हूं ।

श्री त्यागी : चेयरमैन साहब, मुझे यह पूछना है कि किसी ट्रैजरी बैंच के मेम्बर को नपुंसक कहना, क्या आप की राय में पार्लियामेंटरी है ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने तो केवल सरकार की नपुंसक नीति का ही उल्लेख किया है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : अब मैं इस बिल के सम्बन्ध में यह राय नहीं रखता कि इस बिल को पास कर देने से यह डाउरी बन्द हो जायेगी । मेरे प्रान्त में, यानी बिहार, में ऐसा ही एक क़ानून बनाया गया था । उस को बने हुए तीन वर्ष हो गये । वहां कोई भी ऐसी शादी नहीं देखी गई कि जो इस क़ानून के ज़रिये से बन्द की गई हो । लोग उसी तरह से तिलक लेते हैं, दहेज लेते हैं जैसे कानून के पहले लिया करते थे । और जहां कोई दुश्मन लगा रहता है वहां पोशीदा रुपया ले लेते हैं । एक हाई कोर्ट के जज थे । जब वह जजी में थे तो उन्होंने एक सोशियल फंक्शन में एक बार हाथ उठाया था कि तिलक नहीं लेंगे । उनको दो भतीजों की शादी करनी थी । जब उनकी शादी के लिये कोई आया तो उन्होंने कहा कि इस वक्त खर्चे की बहुत दिक्त है, इस वक्त हम शादी नहीं कर सकते । लड़की वालों ने कहा कि हम खर्चा उठावेगें । उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता । लेकिन फिर आखिर में नतीजा यह हुआ कि रुपयों के बदले सोना लड़की वालों की तरफ से उनके घर चुपके से पहुंच गया और तब दोनों लड़कों की शादी हो सकी ।

इसी तरह से यह चीज होगी । जो चीज आज ऊपर है वह अंडरग्राउन्ड हो जायगी । जो ब्लैक मारकेटिंग हम दूसरी चीजों में देखते हैं, वह इस में भी हो जायेगा । हर केस में उससे ब्लैक मारकेटिंग होगी । आप

[पंडित डी० एन० तिवारी]

इस को चैक नहीं कर सकते । इसलिये मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई अनप्रैक्टिकेबुल (अव्यवाहर्य) ला बनावें जिस को हम काम में न ला सकें और ऐनफोर्स (प्रवृत्त) करा सकें । किसी एक केस में भी न लड़की वाला कहेगा और न लड़के वाला जो तिलक लेता है वह कहेगा, तो सबूत ही कैसे सामने आवेगा और ऐसे केसों को आप साबित कैसे करेंगे । लोग खुले आम नहीं लेंगे, छिप कर लेंगे । दूसरे ब्लैक मारकेटिंग के केसों में कहीं दो चार गवाह मिल जाते हैं पर तिलक दहेज वाले मामले में आपको गवाह नहीं मिलेंगे। लड़की वाला भी, जिसका सम्बन्ध हो जायेगा, कभी नहीं चाहेगा, चाहे वह कितना ही चूसा गया हो, कि उसका सम्बन्धी जेल में जाय या उसको कोई सज़ा हो ।

इसलिये ऐसे केस कभी चल नहीं सकते ।

एक माननीय सदस्य : फिर क्या करें, बताइये ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं बताऊंगा । साथ ही यह बिल जिस रूप में लाया गया है, उसमें विवाह शादी का सारा उत्साह जाता रहेगा । विवाह शादी एक उत्साह की चीज़ होती है, बड़े आल्हाद के साथ यह मनाई जाती है । यदि मेरी लड़की की शादी हो तो मैं चाहूंगा कि लड़के को यानी अपने दामाद को जितना मुझ से हो सके, उतना अधिक दूं । मैंने घड़ी दी या और कोई चीज़ दी तो मुझे सज़ा हो जायेगी । हमारे यहां शादी और विवाह हिंदू धर्म में कांट्रेक्ट नहीं है, यह एक धार्मिक व्यवस्था है । विवाह को हम लोग कन्यादान कहते हैं और उस कन्यादान के साथ साथ हमें कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है । हर दान के साथ यह परिपाटी है कि कुछ दक्षिणा दी जाय। लोग गो दान भी करते हैं मैं ने गोदान भी किया तो दो सौ ढाई सौ रुपया गाय का दाम हुआ तो क्या वह नाजायज समझा जायेगा ।

श्री रघुबीर सहाय : जो ज़बरदस्ती लिया जाता है, शर्त की तरह, उसके लिये क़ानून है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : यह इस बिल में नहीं है । साथ ही हमारे यहां शादी के लिये शास्त्रोक्त बात है, "सवस्त्र भूषणम्", कपड़ा और गहना के साथ कन्यादान किया जाये । इस कानून के पास होने पर आप यह नहीं कर सकते । तो इस तरह जिस चीज को आप रोकना चाहते हैं, ज़बरदस्ती लेने की बात, वह हो नहीं सकती । इस क़ानून से आप उस चीज़ को भी बन्द करते हैं जो कि खुशी के साथ दी जा सकती है । और जिसको आप रोकना चाहते हैं वह रुक नहीं सकती जो लोग खुशी से अपने दामाद और लड़की को देना चाहते हैं, वह भी ऐसा न कर सकें, यह दोनों ईविल इस बिल के साथ हैं ।

६ म० प०

अगर हमारे ला मिनिस्टर साहब इस डावरी प्रथा को बन्द करना चाहते हैं तो मेरी राय में उसके लिये एक उपाय है और वह उपाय है ला आफ इनहेरिटेंस को बदलना । यदि हिन्दू समाज में उत्तराधिकार की जो परिपाटी है, उसको आप बदल दें तो शायद यह प्रथा बन्द हो जाय। यदि आप लड़कियों को भी लड़कों की तरह सम्पति में हिस्सा दे दें और उनको भी लड़कों के समान धन में हिस्सा मिलने लगे, तब न तो कोई जबरदस्ती करेगा और न कोई डावरी मांगेगा । यदि कोई ग़रीब आदमी है और उसका मान लीजिये १०० रुपये का हिस्सा होगा, तो उसी के हिसाब से विवाह हो जायेगा, दूसरे यदि कोई धनी आदमी है और पचास हज़ार उसके

हिस्से में पड़ा तो उसके हिसाब से विवाह होगा । इसलिये मेरा तो मत है कि ला मिनिस्टर साहब अगर इस प्रथा को बन्द करना चाहते हैं तो उन्हें ला आफ इनहेरिटेंस बदलना होगा.....

श्री स्नातक (जिला अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : हिन्दू कोड बिल अगले सेशन में आ रहा है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : पता नहीं आयेगा कि नहीं आयेगा । लेकिन मेरा तो कहना यह है कि यदि ला आफ इनहेरिटेंस बदल दिया जाय तो यह मामला साफ हो जायेगा मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता और मेरा इस सम्बन्ध में केवल एक ही सुझाव है कि ला आफ इनहेरिटेंस को बदल दिया जाय और मैं चाहता हूं कि इस बिल को इस रूप में पास करके और कानून का रूप देकर हम इस सदन और कानून की हंसी न उड़ायें ।

सेठ गोविन्द दास : सभापति जी, आपने यह कहा था कि इस बिल को आप ६ बजे खत्म कर देंगे और मैं समझता हूं कि दो दिन तक इस पर बहस हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि अब इस पर बहस समाप्त हो और इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस विधेयक की जो बहस है वह बन्द कर दी जाय ।

सभापति महोदय, अब मैं समापन प्रस्ताव को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है कि :

"अब इस विषय पर वाद विवाद समाप्त किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती उमा नेहरू : सभापति महोदय, पेश्तर इसके कि मैं बिल के बारे में कुछ कहूं, मैं चाहती हूं कि दो एक ऐतराज जो इस बिल पर हुये हैं उनके बारे में मैं सफ़ाई कर दूं । एक तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और दुःख भी हुआ कि मेरे बुजुर्ग भाई रोहिणी कुमार चौधरी ने ऐसा बयान दिया । उनका बयान सुन कर मैं उनकी शक्ल देखती रही और बड़े गौर से उनके सफेद बालों को देखा और देखने के बाद जो शब्द उन्होंने मुंह से निकाला कोर्टशिप का उसको भी मैं ने सुना और मुझे साफ तस्वीर उनकी नजर आगयी और मालूम हो गया कि वह किस मिजाज के आदमी हैं, यह सिन (आयु) देखिये और उनके वह शब्द देखिये और मुझे इस मौके पर एक शेर याद आया है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूं 'महफ़िल वीरान जहां भांड न बाशद" । उनकी कोर्टशिप वाली बात को सुन कर तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वह कैसे इस तरह की बातें करते हैं । मैं आपको बतला रही थी कि जो कुछ भी उनका ऊटपटांग व्याख्यान था वह मैंने सुना, और उस में कोई ऐसी बात ही नहीं जिसके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है । लेकिन महात्मा गांधी का जब जिक्र किया गया, तो उसे सुन कर मुझे बड़ा दुःख हुआ, कि महात्मा गांधी की हमेशा से राय थी कि पांच रुपये में शादी होनी चाहिये और वह यह भी कहते थे कि आइये मेरे आश्रम में, पांच रुपये में विवाह हो जायगा और वह तो इस चीज़ को मानते थे कि कम से कम रुपये में विवाह होना चाहिये, और कभी भी उनका ऐसा विचार नहीं था कि शादी, विवाह के कारण घर की बरबादी होवे ।

दूसरे उन्होंने बारबार धर्म का ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि इससे औरतें बग़ैर सिर पैर घूमेंगी और उन के मुह में लगाम नहीं रहेगी, मुझे उनकी यह बात सुनकर बड़ी तकलीफ हुई । शायद उनकी ज़िन्दगी में ऐसे वा क़यात हुये होंगे और इस तरह की औरतों से उनका साबका पड़ा होगा, लेकिन हमारी जैसी औरतें जो हैं समाज में काम

[श्रीमती उमा नेहरू]

करने वाली मज़दूरनें हैं, हमने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी ।

मेरे भाई गिडवानी जी ने जो सिन्ध में डाउरी प्रथा का ज़िक्र किया, उनसे मैं भी बहुत कुछ वाक़फ़ियत रखती हूं और मैं जानती हूं कि सिन्ध में इस डाउरी प्रथा के कारण किस तरह तबाही फैली है ? वहां पर लड़कियों के वालदैन को न सिर्फ हिन्दुस्तान में तालीम दिलाने के लिये बल्कि लड़के को विलायत भेजने और तालीम दिलाने का खर्चा बर्दाष्त करने पर भी मजबूर किया जाता है और वहां इस प्रथा के कारण बहुत सी लड़कियां कुंवारी भी रह जाती हैं और लड़की वाले शादी करके तबाह हो जाते हैं और उन के घर का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है । मुझे यह सुन कर बड़ी खुशी हुई कि मिनिस्टर साहब इस हार्डशिप (कठिनाई) को समझते हैं और वह कुछ सुधार लाना चाहते हैं और इस सम्बन्ध में जिस तरह की भी उनकी मदद हो हमें मंजूर है और मैं समझती हूं कि वह दिल से इस हालत को सुधारना चाहते हैं, मैं उनकी दिल की कैफियत को खूब अच्छी तरह समझती हूं । मुझे स्नेहलता तथा अनेक और कितनी ही बंगाल की लड़कियों के बारे में मालूम है जिन्होंने इस डाउरी प्रथा की वजह से अपनी जिन्दगी खत्म कर दी । इलाहाबाद में मेरे एक मित्र हैं जो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनकी लड़की को भी इस डावरी (दहेज) के कारण मुसीबत पेश आई । एक नहीं, अनेक जीती जागती मिसालें हमारे सामने हैं जो इस डाउरी प्रथा का शिकार हो चुके हैं । इतनी सब बरबादी होते हुये भी जब हाउस इसमें सुधार करने की ओर क़दम उठाना चाहता है तो मेरे बहुत से भाई लोग व्यर्थ में घबड़ा उठते हैं और मैं तो अपने उन भाई मेम्बरों से कहना चाहती हूं कि यह जो दहेज़ आदि का मामला है यह हम औरतों का काम है, देती लेती तो हम हैं, यह हमारा काम है, हमको यह पसन्द है या नहीं, यह हमी पर बिल्कुल छोड़ देना चाहिये और अगर इसमें मेरे वह भाई लोग दखल न दें तो समाज के लिये लाभकारी होगा ।

मेरे एक भाई ने एकोनोमिक कंडीशन (आर्थिक परिस्थिति) के बारे में भी बतलाया है कि आज कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई नीचा है तो कोई ऊंचा है, मिडिल क्लास की हालत दयनीय है, वह सब ठीक है और हमें इसको सम्हालना है और सोशल कंडीशन्स को बदलना है । मेरे किसी एक भाई ने कहा कि कम्युनिस्ट सोसाइटी अगर होती, तो ये सब बातें नहीं होती, मैं उन भाई को बतला दूं कि मैं उन में से हूं जो यह चाहते हैं कि आज जब मुल्क में सोशल ईविल्स इतने बढ़ गये हैं और मुल्क में इतनी गंदगी फैली हुई है, मैं ऐसी हालत में कम्युनिस्ट सोसाइटी का ज़रूर खैर मकदम करती हूं ताकि हम उसमें जिन्दा तो रह सकें, मैं कीड़ों की मानिन्द मोरियों और नालियों में सड़ने की अपेक्षा कम्युनिस्ट निजाम को पसन्द करूंगी । इन सब चीजों को देखकर मुझे सिर्फ यह कहना है कि अभी यह बिल जो सामने आया है, व बहुत सोच समझ कर लाया गया है, लेकिन जैसा मेरे एक मुस्लिम भाई ने कहा और दूसरे उधर के भाइयों ने कहा मैं मानती हूं कि इसमें कुछ कमियां होंगी; इसकी ज़बान में भी कुछ ख़ामी होगी और जो मेरे वकील भाई हैं वह इसमें नुक्स निकालेंगे और इसमें जो ज़रूरी हो सुधार किया जाना चाहिये । जो भी इसके अन्दर नुक्स हों, उनको दुरुस्त किया जाये, लेकिन साथ ही मेरी यह दरख्वास्त गवर्नमेंट से शुरू से थी कि मैं नहीं चाहती कि यह बिल

सरकुलेट (परिचालित) किया जाय, क्योंकि ऐसा करने से इसमें देरी होगी। साथ ही मैं श्री गिडवानी की इस बात से सहमत हूं कि यह अकेले लेजिस्लेशन से खराबी दूर नहीं होगी, हमें समाज में भी इसके लिये उचित वातावरण पैदा करना होगा, लेकिन मैं आप से कहना चाहती हूं कि समाज में उपयुक्त वातावरण पैदा करने का काम आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिये, हम औरतें उस दिशा में काम कर रही हैं और आगे भी करेंगी, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि लीगली (विधिवत) भी इसमें आवश्यक सुधार कर दिया जाना चाहिये। रीज़न आपका कायम रहना चाहिये और रीजन के साथ आप इसको डील करें।

इस बिल के सम्बन्ध में मेरे सामने दो तीन चीज़ें थी। एक तो यह कि यह सरकुलेट हो, दूसरी यह कि सरकुलेट तो न हो लेकिन यह सेलेक्ट कमेटी में जाय और तीसरी यह कि गवर्नमेंट एक ऐसी कमेटी बनाये जो इस बिल पर विचार करके जो कुछ खामियां इसमें हों उनको दुरुस्त करे और गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में एक बिल और लेजिस्लेशन लाये। मुझे मालूम हुआ है कि हमारे मिनिस्टर साहब को यह मंजूर है और अगर उनको मंजूर है तो हम सब औरतों को यह बात मंजूर है। अगर गवर्नमेंट चाहती है और हर तरह से हर पहलू देखकर ऐसा बिल लाती है तो हम को मंजूर है। और चूंकि हमें मंजूर है और गवर्नमेंट ने इस बिल को लाना मंजूर किया है तो मैं अपने इस बिल को विदड्रा करती (वापिस लेती) हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय विधि मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री विश्वास : जी नहीं। मैं ने वचन दे दिया है और मैं निश्चय ही यथा शीघ्र विधान पुरःस्थापित करूंगा।

श्री एस० एस० मोरे : सरकार निजि सदस्यों द्वारा पुरःस्थापित विधेयकों में आवश्यक सुधार करके उनका समर्थन क्यों नहीं करती ? सरकार सारा श्रेय अपने को ही क्यों लेना चाहती है ?

श्री विश्वास : मैं श्रेय की दृष्टि से इसकी ओर नहीं देखता। निजी सदस्य ही सारा श्रेय ले लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वृद्ध सदस्यों ने इस विधेयक पर बहुत परिश्रम किये हैं। अतः इसका श्रेय उन्हें ही मिलना चाहिये जैसा कि बाल विवाह निरोध अधिनियम का श्रेय श्री शारदा को मिला था।

सभापति महोदय : मुझे विश्वास है कि सरकार किसी न किसी प्रकार उनका नाम इस मामले से संलग्न करने की कोशिश करेगी।

सदन की अनुमति से विधेयक वापिस ले लिया गया।

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक

सभापति महोदय : अब हम अगला विधेयक लेंगे।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर—दक्षिण) : सभापति जी, मेरे नाम पर जो विधेयक है उसे मैं विचारार्थ पेश करता हूं। जब मैं इस विधेयक को इस सभा में पेश करता हूं उस समय मैं यह मानता हूं.....

श्री गिडवानी (थाना) : आप कृपा करके बोलिये तो सही कि किस बारे में है।

सेठ गोविन्द दास : पशु रक्षा विधेयक जिसे कि आपने आज की कार्रवाई में पढ़ा होगा।

[सेठ गोविन्द दास]

जब मैं इसे पेश करता हूं उस समय मैं यह मानता हूं कि देश के सामने जितनी महत्वपूर्ण बातें हमें करनी हैं, उन में से यह सब से महत्वपूर्ण बातों में से है। जिस समय गोवध निषेध पर चर्चा होती है, उस समय हमारे सामने सब से पहले आज जो अपने को सुधारक मानते हैं वे यह कहते हैं कि यह चर्चा रूढ़िवादी चर्चा है।

सभापति महोदय : क्या मैं माननीय सदस्यों को सभागृह छोड़ कर न जाने की प्रार्थना करूं ? इससे गणपूर्ति नहीं रहेगी। केवल पन्द्रह मिनट बाकी रहे हैं।

सेठ गोविन्द दास : तो सब से पहले यह बात कही जाती है कि गोवध निषेध के सम्बन्ध में जो आन्दोलन होता है, जो कुछ कहा जाता है, सब में उस की पृष्ठ भूमि में रूढ़िवाद है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को हम रूढ़िवादी नहीं मान सकते। उन्होंने एक नहीं अनेक बार इस बात को कहा था कि गो रक्षा का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से कम महत्व-पूर्ण नहीं है। राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद जी को हम रूढ़िवादी नहीं मान सकते। उन्होंने एक नहीं अनेक बार गो रक्षा के ऊपर अपने भाषण दिये हैं। संत विनोवा भावे को, जो इस समय इस देश में महात्मा गांधी के सबसे बड़े शिष्य हैं, उन्हें हम रूढ़िवादी नहीं मान सकते। पुरानी सब बातों को जाने दीजिये। अभी हाल ही में बिहार में उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार इस बात को कहा है कि इस देश की जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में गो वध बन्द होना नितान्त आवश्यक है। मैं अपने को भी रूढ़िवादी नहीं मानता। इतना ही नहीं, मैं अपने को सम्प्रदायवादी भी नहीं मानता। गत तेतीस वर्षों से मैं केवल एक संस्था में रहा हूं और वह कांग्रेस संस्था है, और जब से मैं ने गत तीस वर्षों से इस केन्द्रीय धारा सभा में प्रवेश किया है, चाहे इस सभा में हो और चाहे कौंसिल आफ स्टेट में हो, मैं ने सदा गो रक्षा के विषय में कुछ न कुछ करने का प्रयत्न किया है। आज तक इन ३३ वर्षों में मैं किसी भी साम्प्रदायिक संस्था का सदस्य नहीं रहा। इसलिये गो रक्षा के प्रश्न को रूढ़िवादी प्रश्न कहना, गो-रक्षा के प्रश्न का सम्प्रदायवादी प्रश्न कहना इस प्रश्न के साथ और हम लोग जो इस प्रश्न में दिलचस्पी रखते हैं, उन सब के साथ बड़े से बड़ा अन्याय है।

हमारा संविधान भी इस विषय में देखा जाय। हमारे संविधान में जो निर्देषात्मक अध्याय हैं, उसमें स्पष्ट रूप में इस सम्बन्ध में आदेश दिया गया है। सभापति जी, आप को याद होगा कि उस समय जब कि संविधान परिषद् में इस विषय की चर्चा हो रही थी तब वहां पर दो धारायें उपस्थित थीं। एक धारा मैं ने उपस्थित की थी जो कि करीब करीब उसी तरह की थी जिस तरह का कि यह विधेयक है, और दूसरी धारा आपने उपस्थित की थी जो कि स्वीकृत की गई। और जहां तक संविधान की उस धारा का सम्बन्ध है, उस धारा में यह स्पष्ट निर्देष किया गया है कि इस देश में गोबध नहीं हो सकेगा। हम अपने संविधान के बड़े भारी समर्थक हैं, जिस संविधान का पालन करने की, उसके प्रति ईमानदार रहने की, हमने शपथ ली है, उस संविधान के अनुसार भी इस देश में गोबध का कतई बन्द होना अनिवार्य हो जाता है। फिर हम प्रजातंत्र के पोषक हैं, हमने इस देश में प्रजातंत्र को चलाने का संकल्प किया है, हम यह कहते हैं कि देश में हम को प्रजतंत्र चलाना है। प्रजातंत्र तब तक नहीं चल सकता जब तक कि जो प्रजातंत्र शासन को चलाते हैं वे जनता

क्या चाहती है उसकी भावना के अनुसार काम न करें । मैं कहता हूं कि इस देश में जनमत लिया जाय, इस देश में रिफरेन्डम लिया जाय, अगर ९० प्रतिशत मतों से गोवध निषेध का प्रश्न जनता को स्वीकृत न हो और १० प्रतिशत से अधिक व्यक्ति इसके विरोध में हों तो इस प्रश्न को छोड़ दिया जाय । मेरा इस बात पर दृढ़ विश्वास है कि इस देश में एक एक व्यक्ति इस बात का पक्षपाती है कि गाय का एक बूंद भी रक्त न गिरे । जब मैं यह कहता हूं तो मैं कहता हूं अपने अनुभव के आधार पर । मेरा स्वयं का इस देश का कुछ अनुभव है, अपने प्रदेश का कुछ अनुभव है, अपने प्रदेश के जिलों, शहरों, कस्बों और गांवों का अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पर मैं आप से कहना चाहता हूं कि चाहे आप इस देश में हिमालय से ले कर कन्यांकुमारी तक जायें या अरब सागर से से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जायें, आप को ८० प्रतिशत लोग इस पक्ष में मिलेंगे कि गो बध निषेध इस देश में हो गोबध यहां पर न हो ।

फिर सभापति जी, यह मानव केवल मस्तिष्क से ही शासित नहीं है, इस मानव के हृदय भी है इस हृदय में जो भावनायें उठती हैं, उन भावनाओं से भी उसका जीवन चलता है ।

एक मानव का जिस प्रकार जीवन चलता है उसी प्रकार एक राष्ट्र का जीवन चलता है । यदि आप भावनाओं से विहीन करके मानव को चलाना चाहें, राष्ट्र को चलाना चाहें, समाज को चलाना चाहें, तो वह राष्ट्र जिंदा नहीं रह सकता। इस संसार में जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, इस संसार के किसी भी इतिहास को आप देख लें, उस देश में जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, वे सब भावनांओं से ही हुए हैं । जब समाज भावना प्रधान रहता है तभी बड़े बड़े काम हो सकते हैं । हमारे स्वराज्य के ही प्रश्न को आप लीजिये । यदि महात्मा गांधी ने उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक इस देश के मानवों में भावना यें न भरी होतीं स्वतंत्रता की भावनायें न भरी होती, तो क्या यह कभी संभव था कि हम इस देश में स्वराज्य की स्थापना कर पाते । इसलिये जहां एक ओर हम मस्तिष्क से शासित होना है वहां दूसरी ओर हमें भावनाओं का ध्यान भी रखना है, और मैं आप से कहना चाहता हूं कि जहां तक भावनाओं का सवाल है इस देश की भावनायें गो बध के प्रतिकूल हैं । वे नहीं चाहते कि एक भी गाय का यहां पर बध किया जाये ।

फिर गो बध को हम आर्थिक दृष्टि से देखें । यह देश कृषिप्रधान देश है । इस देश की कृषि बिना बैलों के नहीं चल सकती । मैं ट्रेक्टर के विरुद्ध नहीं हूं । मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूं जो यह मानते हैं कि हम को ट्रेक्टर की और किसी मैशिनरी की जरूरत नहीं है । हमको ट्रेक्टरों की आवश्यकता है और हमको दूसरी मशीनों की भी आवश्यकता है । उसी के साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं केवल ट्रेक्टरों से इस देश की खेती नहीं हो सकती । भूमि का जिस प्रकार का विभाजन इस देश में है उसको देखते हुए, इस देश के किसानों की जो आर्थिक अवस्था है उसको देखते हुए, यदि हम ट्रेक्टरों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो हमारी खेती नहीं चल सकती । फिर यहां भूमिदान का आन्दोलन चल रहा है । उसमें लाखों एकड़ जमीन मिल रही है । यह लाखों एकड़ जमीन आगे चल कर बंटने वाली है । भूदान का जो उद्देश्य है वह यह है कि इस देश में कोई भी भूमिहीन मजदूर न रहने पावे । जो लोग खेती से अपना गुजर बसर करते हैं उनको कम से कम पांच एकड़ जमीन मिलनी चाहिए । करीब २४ लाख एकड़ जमीन विनोवा जी को प्राप्त

ोविन्द दास]

हो चुकी है । मैं भी उसमें एक छोटा सा कार्यकर्त्ता हूं । मुझे विश्वास है कि सन् १९५७ तक ५ करोड़ भूमि विनोवा जी को मिलने वाली है । जब यह पांच करोड़ भूमिहीन मजदूरों में बंट जायेगी जो भूमि का बटवारा इस वक्त है और भूदान के पश्चात् जो भूमि का बटवारा होगा उसको देखते हुए, और आगे जो यह आन्दोलन यहां चलने वाला है कि एक खास तादाद के आगे किसी के पास जमीन न रहने पावे, इस सब को देखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि ट्रेक्टरों से उन परिवारों का काम कैसे चलेगा जिनके पास कि पांच पांच एकड़ भूमि होगी । इसलिये हमको बैलों की नित्तात आवश्यकता है, और जहां तक बैलों का सम्बन्ध है वह गोवध बन्द होने पर बहुत दूर तक निर्भर है । फिर हमारे यहां पर जितने निरमिष भोजन करने वाले हैं, जो मांस नहीं खाते उनकी जितनी बड़ी संख्या हमारे देश में है उतनी दुनिया के और किसी देश में नहीं है । उनको दूध चाहिए, उनको घी चाहिए । बिना दूध और घी के हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता । इसलिये एक ओर हमें खेती के लिये बैल चाहिए दूसरी ओर हमें दूध और घी के लिये गायें चाहिए । कहा जाता है कि बेकाम पशु रखकर हम क्या करेंगे ?

मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि यह सबसे बड़ी गलतफहमी इस विषय में है । जो लोग यह कहते हैं कि इस देश में बेकाम पशु ही मारे जाते हैं वे सबसे बड़ी गलती करते हैं । मैंने बम्बई के कसाईखानों को देखा है, मैंने कलकत्ते के कसाईखानों को देखा है, मैंने मदरास के कसाई खानों को देखा है और मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो गायें मारी जाती हैं, जो बछड़े मारे जाते हैं, वे बेकाम नहीं होते हैं । तब प्रश्न उठता है कि उनका वध क्यों होता है ? उनका वध प्रधानतया इसलिये होता है कि इस देश से चमड़े का निर्यात होता है, इस देश से बाहर गोमांस जाता है । मैंने करमरकर जी के सामने कुछ आंकड़े पेश किये थे और उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया था कि आप पता लगावें कि इस देश से कितना गो मांस बाहर भेजा जाता है, इस देश से कितना चमड़ा बाहर भेजा जाता है, यह जो गोवध यहां होता है वह गोवध इस गोमांस के निर्यात चमड़े के निर्यात के लिये प्रधानतया होता है । और गोमांस के निर्यात के लिये जो गोवध होता है, चमड़े के निर्यात के लिये जो गोवध होता है, वह बेकाम पशुओं का हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेकाम पशुओं में मांस नहीं मिलता और न उनके चमड़े अच्छे हो सकते हैं इसलिये चमड़े और गो मांस के लिए जो यह गोवध प्रधानतया होता है यह अच्छे से अच्छे जानवरों का होता है । और इस विषय में जितने भी कानून बनाये गये हैं वे कभी कार्य रूप में परिणत नहीं किये जा सके हैं । उन कानूनों में यह व्याख्या है कि १४ वर्ष से नीचे की उम्र के पशु न मारे जायं । मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं, क्योंकि मैं इस आन्दोलन में गत ३० वर्षों से रहा हूं, कि आठ वर्ष की ऊपर के उम्र के पशुओं के लिये कोई विशेषज्ञ भी यह नहीं कह सकता है कि वह कितनी उम्र का है । आठ वर्ष की उम्र के ऊपर के जो पशु होते हैं वह बेकाम नहीं होते । हमने इस बात को देख लिया है कि अनेक राज्यों में इस प्रकार का कानून है कि बेकाम पशु ही मारे जायं, लेकिन वे कानून कार्य रूप में परिणत नहीं हो रहे हैं । दूसरे देशों की मिसालें भी हमारे सामने हैं । दूसरे देशों में जहां यह कानून बनाये गये कि बेकाम पशु ही मारे जायें वहां वे कानून कार्य रूप में परिणत नहीं

हो सके । मैं आपको बर्मा का ही उदाहरण देता हूं । बर्मा में पहले यह कानून बना था कि वहां अमुक अमुक अवस्था के ऊपर के पशु मारे जायं, उसके नीचे के पश न मारे जायं, लेकिन वह कानून कार्य रूप में परिणत नहीं हो सका और अन्त में बर्मा में बिल्कुल ही गोबध बन्द करना पड़ा तभी उपयोगी पशुओं की रक्षा हो सकी । फिर किसी पशु को बेकाम कर देना बड़ा आसान है । उसकी एक टांग तोड़ दी जाय या और किसी प्रकार अंग भंग कर दीजिये, वह बेकाम की संज्ञा में आ जाता है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि बेकाम पशु ही मारे जायें और अच्छे पशु न मारे जायं, उनका उद्देश्य जब तक गोवध कतई बन्द न होगा तब तक सिद्ध नहीं हो सकता ।

एक और दूसरी गलत फहमी है कि इन बेकाम पशुओं के लिये चारा कहां से आवेगा जब कि काम के पशुओं के लिये ही चारा नहीं है । इसके लिय हमारे गो सेवक समाज ने गोसदनों की योजना रखी है । आप इस देश में रेल द्वारा मीलों चले जाइये आपको दोनों तरफ ऐसी बहुत भूमि मिलेगी जिसमें हरी घास मौजूद है । वह घास जाड़ों में या तो ठंड के कारण खत्म हो जाती है या गरमियों में लू के कारण जल जाती है । यदि इन स्थानों पर गोसदनों की स्थापना हो जाये तो वहां पर बेकाम पशु रखे जा सकते हैं । हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि इन बेकाम पशुओं की संतति बढ़ायी जाये । हमने स्पष्ट कहा है कि वहां सांड न रख कर वहां पर बेकाम पशु रखे जायें और उनको वहां पर रख कर गोसदन चलाये जायं । इस काम में जो वर्तमान गोशालायें हैं वे भी बहुत बड़ी सहायता दे सकती हैं । हमारी यह योजना भी है कि इन गोशालाओं के दो दो विभाग कर दिये जायें, एक विभाग डेअरी और नस्ल सुधार का होना चाहिए और दूसरा विभाग बेकाम पशुओं की रक्षा का होना चाहिए। हमारे यहां कई गोशालायें ऐसी हैं जिनमें ये दोनों विभाग चल सकते हैं । उनके पास जमीन है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार भी गोसदन स्थापित करे और इन गोशालाओं को भी सहायता दें ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य बहुत समय लेंगे ?

सेठ गोविन्द दास : जी हां, अभी मुझे बहुत समय चाहिए ।

सभापति महोदय : सदन सोमवार के डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित होगा ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक सोमवार ३० नवम्बर, १९५३ तक के लिए स्थगित हो गई ।